खण्ड-264, अंक-1
बुधवार, 11 फाल्गुन, शक संवत् 1887
(2 मार्च, 1966 ई0)

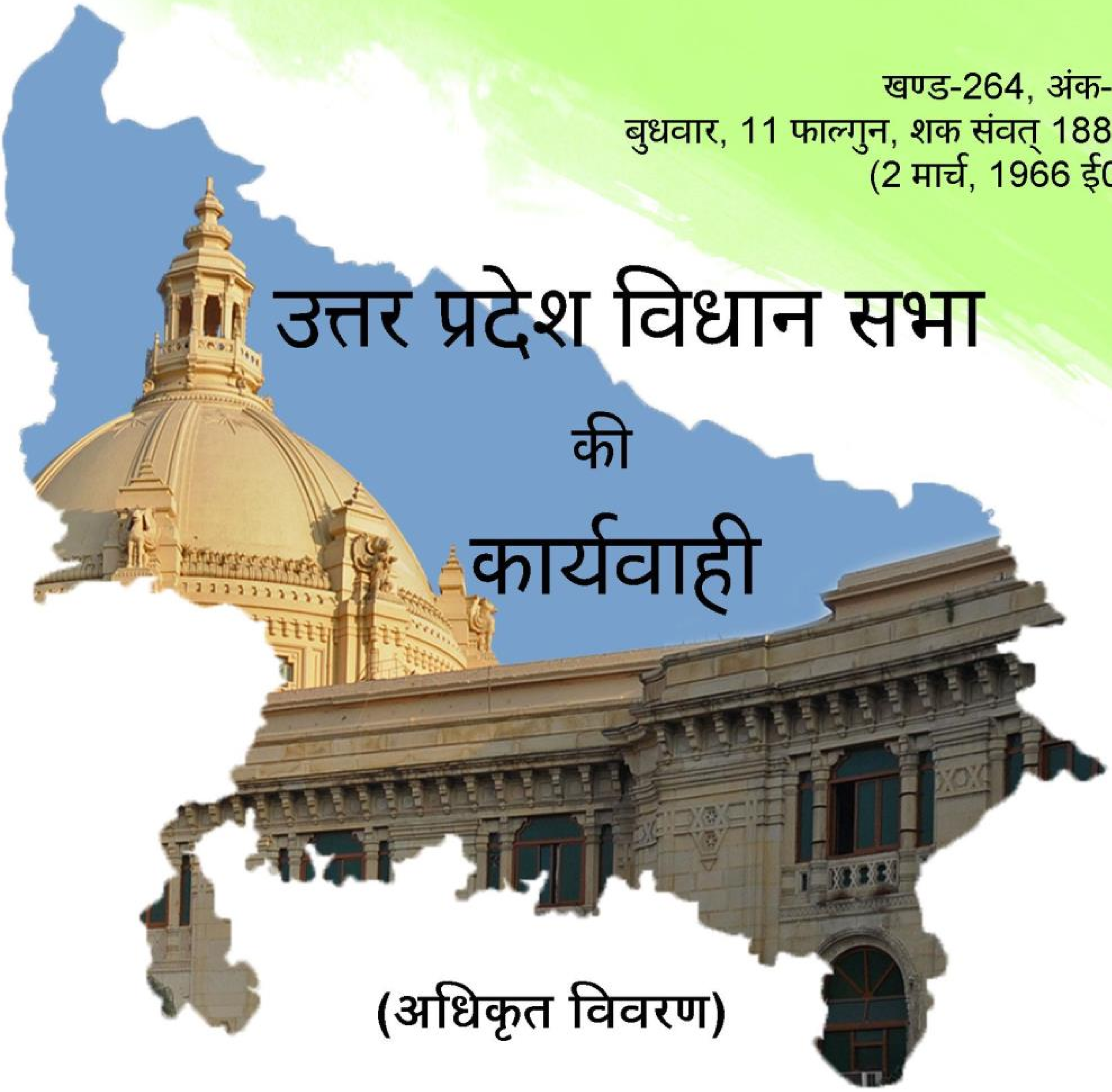

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 264 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६८

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

131790

बुधवार, २ मार्च, १९६६

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३५७

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा बेगम, श्रीमती
कुमार करुणा कृष्ण नायर, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री

गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जुगलकिशोर, श्री
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री

पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलाप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधवप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री

रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामचरण शाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शारदानन्द, श्री
शिब्बनलाल सक्सेना, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सूरजलाल गुप्त वकील, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

गृह मन्त्री, श्री हरगोविन्दसिंह तथा गृह उपमन्त्री, श्री शिवप्रसाद गुप्त भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, २ मार्च, १९६६

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

मधुबन थाने में वारदातें

**१—श्री बृजबिहारी (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि आजमगढ़ जिला अन्तर्गत मधुबन थाने के पूर्वी भाग में पुलिस चौकी रामपुर के आस-पास ही दिन दहाड़े कई व्यक्ति मारे गए हैं ?

गृह उपमन्त्री (श्री शिवप्रसाद गुप्त)—

सन् १९६६ में अब तक थाना मधुबन जिला आजमगढ़ के क्षेत्र में व पुलिस चौकी रामपुर के आसपास धारा ३०२/३०४ भा० दं० वि० की कोई घटना होने की रिपोर्ट थाने में नहीं प्राप्त हुई है।

**२—श्री बृजबिहारी—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि उस क्षेत्र के ग्राम रामपुर तथा बिलौली में गत १०–१५ दिनों के अन्तर्गत ऐसी कितनी घटनाएं घटी हैं और उनकी रोक-थाम के लिए शासन की तरफ से अब तक क्या कार्यवाही की जा सकी है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

थाना मधुबन के अन्तर्गत ग्राम रामपुर व बिलौली में गत १०–१५ दिनों के अन्तर्गत धारा ३०२/–३०४ भा० दं० विधान की कोई घटना होने की सूचना नहीं प्राप्त हुई है। परन्तु एक मारपीट की घटना की सूचना प्राप्त हुई जिसमें अभियुक्त गिरफ्तार किए जा चुके हैं तथा विवेचना की जा रही है।

श्री बृजबिहारी—

क्या मन्त्री जी को ज्ञात है कि इसी ग्राम बिलौली में जो प्रश्न दो के उत्तर में मारपीट की घटना बतायी गयी है उसमें प्रधान दरवाजे पर बैठा था और कुछ लोगों से बात कर रहा था। उसी समय कुछ लोग पहुंचे और उसको मारा। जब वह मकान में घुस गया तो दरवाजा तोड़ कर उसे बाहर निकाल कर मारा और जब यह समझ लिया कि वह मृतप्राय हो गया है तब उसे छोड़ा। क्या यह सही है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

यह सही है कि वह हिरावन तेली के छप्पर के नीचे बैठ कर आग ताप रहे थे। जब यह मारपीट हुई तो वे भागे। उन लोगों ने किवाड़े तोड़ कर भी उन को पीटा।

श्री बृजबिहारी---

क्या मन्त्री जी को इस बात की सूचना है कि इस घटना के एक सप्ताह पहले प्रश्नकर्ता ने स्वयं थाना मधुबन में इस बात की इत्तला दे दी थी कि इस गांव में अशांति का वातावरण उत्पन्न हो गया है और पुलिस कोई कार्यवाही करे, और एक सप्ताह के बाद ही यह घटना हो गयी ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

इसकी सूचना मुझे नहीं है। माननीय सदस्य को होगी।

श्री बृजबिहारी---

क्या मन्त्री जी को इस बात की सूचना है कि दो दिन के अन्दर बलम में और लाठियों से इतने लोग पीटे गये हैं कि किसी का हाथ टूटा है, किसी का पैर टूटा है और इन लोगों की रिपोर्ट मधुबन थान में दर्ज नहीं की गयी ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

जो घटना लिखी गयी है उस का विवरण मैंने दे दिया। इस के अतिरिक्त कोई सूचना थाने में नहीं पहुंची।

श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)---

क्या यह सही है कि जिन लोगों के साथ यह घटना हुई उन की रिपोर्ट थाने में नहीं लिखी गयी ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

रिपोर्ट बिलकुल लिखी गयी। १० आदमियों के खिलाफ रिपोर्ट थी जिस में से ७ गिरफ्तार हो चुके हैं।

श्री बृजबिहारी---

क्या मन्त्री जी को पता है कि थाना मधुबन बलिया, देवरिया और आजमगढ़ की सीमा पर स्थित है और इस प्रकार की घटनाएं वहां बहुधा हुआ करती हैं, तो क्या मन्त्री जी इस स्थिति को सुधारने के लिये कोई कदम उठाने का विचार कर रहे हैं ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

वहां ३०२/३०४ की कोई घटना नहीं हुई और ऐसा कोई थाना नहीं है जहां मारपीट की घटनायें न होती हों।

श्री अध्यक्ष---

क्या आप वहां कोई विशेष व्यवस्था करने जा रहे हैं ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

पुलिस अधिकारी तो सतर्क रहते ही हैं।

श्री बृजबिहारी---

क्या मन्त्री जी को जानकारी है कि ३, ४ महीने पहले इसी थाने के अन्तर्गत मंगल देव शास्त्री, जो जिला कांग्रेस के मन्त्री हैं, उनको भी दिन दहाड़े पीटा गया था और उनके लिए पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की है ?

गृह मन्त्री (श्री हरगोविन्दसिंह)---

एक दूसरे सवाल के सम्बन्ध में यह देखने का मौका मिला कि श्री मंगलदेव जी के ऊपर भी ऐसा ही प्रहार किया गया था लेकिन वह व्यक्तिगत जायदाद का झगड़ा था। एक महन्त से जायदाद श्री मंगलदेव शास्त्री ने भी लिखायी है और किसी और ने भी लिखायी है और इन दोनों आदमियों के बीच में कोई पंचायत थी, उसमें यह झगड़ा हुआ था।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उस मारपीट में उसकी मृत्यु हो गयी थी और यदि हां, तो क्या उसका पोस्टमार्टम कराया गया ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

उसकी मृत्यु नहीं हुई है, उसके चोटें लगी हैं और उसकी रिपोर्ट हमारे पास है।

संसद में श्री छागला द्वारा पढ़ा गया बनारस विश्वविद्यालय विषयक पत्र

**३---श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर), श्री लालबहादुरसिंह (जिला वाराणसी), श्री श्रीपत मिश्र (जिला सुल्तानपुर), श्री राजनाथसिंह (जिला गाजीपुर), श्री रामअवध सिंह (जिला गोरखपुर), श्री बिश्वनाथप्रसाद (जिला बाराणसी) तथा श्री अजीज इमाम (जिला मिर्जापुर)---

क्या मुख्य मन्त्री उस पत्र को सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे कि जो केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री श्री छागला ने बनारस विश्वविद्यालय में नियुक्त न्यायिक जांच समिति के सम्बन्ध में लिखा था तथा जिसकी प्रति दिनांक २१ फरवरी, १९६६ को लोक सभा में शिक्षा मन्त्री ने पढ़ कर सुनाया था ?

मुख्य मन्त्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)---

इस पत्र को सदन की मेज पर रखना जनहित में न होगा।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

श्रीमन्, मैं आपका ध्यान श्री छागला के उस बयान की ओर दिलाना चाहता हूं जिसे उन्होंने पार्लियामेंट में दिया है और जिसकी यहां मांग की गयी है। जिस पत्र की यहां मांग की गयी है उसको पार्लियामेंट में उन्होंने पढ़ कर सुनाया है। तो यह प्रश्न विचार करने योग्य है कि जिस पत्र को वहां पढ़ कर सुना दिया गया वह किस प्रकार जनहित में बताना ठीक नहीं है। मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्य मन्त्री उन बातों पर प्रकाश डालेंगी जिनके कारण उस पत्र को पार्लियामेंट में रखना जनहित में था और यहां रखना जनहित में नहीं है ?

(व्यवधान)

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

श्रीमन्, यह बड़ा ही अहम प्रश्न है और इस पर आपको अपनी व्यवस्था देनी चाहिए कि वह जनहित में है या नहीं। इसको आप अपने आप हाथ में लें। इस तरह से तो जो भी प्रश्न हम पूछेंगे, यही उत्तर मिल जायगा कि उसका उत्तर देना जनहित में नहीं है। आप, श्रीमन्, इस कुर्सी पर विराजमान हैं, आपको ट्रेजरी बेन्चेज का भी विश्वास प्राप्त है और इधर का भी है, आपको अपने विवेक से इस समय काम लेना है। इस पर आप निर्णय दें, वरना हम तो कोई प्रश्न कर ही नहीं पायेंगे, आप ही यह निर्णय दें कि पार्लियामेंट में उस पत्र का जाना कहां तक जनहित में था और यहां उसका रखा जाना कहां तक जनहित में नहीं है ?

श्री अध्यक्ष---

इस सम्बन्ध में नियम ३९ (३) इस प्रकार है कि---"यदि मन्त्री की यह राय हो कि सदस्य द्वारा अपेक्षित सूचना लोकहित में नहीं दी जा सकी तो वे ऐसा कहेंगे। इस आधार पर मन्त्री

का सूचना देने से इन्कार करना विशेषाधिकार का विषय नहीं बनाया जा सकता और न इस आधार पर सदन के स्थगन का ही प्रस्ताव लाया जा सकता है।" रहा यह प्रश्न कि जनहित में कोई विषय है या नहीं, इस सम्बन्ध में जहां तक मुझे मालूम है.....

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, हमारी बात सुन लेते तो आप निर्णय दे देते।

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेता विरोधी दल ने कह ही दिया है। कानून की दृष्टि से भी अगर मिनिस्ट्री या स्टेट द्वारा यह कह दिया जाय कि पब्लिक इन्ट्रेस्ट में कोई चीज व्यक्त करना ठीक नहीं है तो अदालतों ने बिना किसी प्रश्न के उसे स्वीकार कर लिया है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

अदालतें उसे देख लेती हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप स्टडी करें, शायद साक्ष्य विधिक १२२ या १२३ दफा है। दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि जनहित में क्या चीज है और क्या नहीं है यह तथ्यों पर और राज्य की स्थिति पर निर्भर करता है। राज्य अवस्था और हित की वास्तविक स्थिति क्या है, उसका ज्ञान विशेष रूप से गवर्नमेंट को हो सकता है। तो अध्यक्ष किसी प्रकार से भी बगैर उन तथ्यों को जाने हुए यह निर्णय नहीं कर सकता कि कोई बात जनहित में है या नहीं। अब प्रश्न यह रह जाता है कि अध्यक्ष उन तथ्यों को देखे। इसमें मेरा मत यह है कि अध्यक्ष की जानकारी में यदि कोई ऐसी बात आ जाय जो बात सरकार की तरफ से जनहित में गोपनीय कही जाती है जिसको वह व्यक्त नहीं करना चाहते तो उस बात की गोपनीयता भंग हो जाती है। अगर उसे दूसरा आदमी जान ले जिसका सरकार से सम्बन्ध न हो। तो गोपनीयता कैसे सुरक्षित रही? दूसरी बात यह है कि सरकार के ऊपर दायित्व है कि वह जनकल्याण सम्बन्धित तमाम व्यवस्था करे। उस व्यवस्था की जिम्मेदारी उन पर है। कल को अगर मैं यह तय करूं कि एक गोपनीय बात आप अभिव्यक्त करें और उसके परिणामस्वरूप कोई अनिष्ट हो जाय तो उसका उत्तरदायित्व उन पर नहीं रहेगा, बल्कि मेरे ऊपर आ जायगा। इन सब बातों को दृष्टि में रखते हुए मुझे अधिकार नहीं है कि गोपनीयता के सम्बन्ध में मैं कोई निर्णय दूं।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—

श्रीमन्, आपने जो यह जनरल प्रिन्सिपल इनीशियेट किया है यह अपनी जगह ठीक है। परन्तु जो यह घटना है उसे लोक सभा में छागला जी ने स्वयं पढ़ी है, उसे लोक सभा में सारे लोगों ने सुना है, वह सारे पत्रों में छपी है आपने जो यह कहा कि गोपनीयता नष्ट होती है वह तो पहिले से ही नष्ट हो गई है। अगर मुख्य मंत्री इस गोपनीयता का आश्रय लेती हैं तो यह ठीक नहीं है। यह आश्रय एक बात में हो सकता है कि यह बताना मंत्रिमंडल के हित में न हो। यह जनहित में न हो, ऐसी बात नहीं मालूम पड़ती। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि आप इस पर अपना निर्णय पुनः दें।

श्री अध्यक्ष—

जो उत्तर दिया है, जनता का या आपका खयाल है कि वह अनुचित रूप से किसी तथ्य को छिपा रहे हैं, अपने संरक्षण की दृष्टि से तो यह आप अपना अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन मैं उन्हें आदेश नहीं दे सकता।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

व्यवस्था का प्रश्न है, श्रीमन्, आप बगैर अनुपूरक प्रश्नों का अवसर दिये आगे चल दिये। हम और अनुपूरक प्रश्न करना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष--

अनुपूरक प्रश्न उनके उत्तर पर ही तो होगा और उत्तर है कि जनहित में नहीं है, बता नहीं सकते। इसलिये इस पर क्या अनुपूरक कीजियेगा ?

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

यह बात पार्लियामेन्ट में तो जनहित में गोपनीय नहीं थी मगर यहां हो गई।

श्री अध्यक्ष--

यह तो बहस है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

अगर ऐसी व्यवस्था है तो डेमोक्रेसी चल नहीं सकती। हम इसके क्षोभ में सदन का त्याग करते हैं।

(जनसंघ दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय--

क्या मुख्य मंत्री जी मिट्ठनलाल आयोग के स्थान पर किसी सिटिंग जज को बैठाने जा रही है इनक्वायरी के लिये ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

मुझे यह नहीं मालूम कि उन्होंने पत्र पढ़ा है या नहीं। पत्र की चर्चा उन्होंने जरूर की है। अगर सारा पत्र रखा है तो यह केन्द्रीय और प्रदेशीय सरकारों के बीच जो परम्परा होती है पत्र व्यवहार की उसके खिलाफ है। आज तक यह नहीं हुआ है कि ऐसी चिट्ठी हाउस के फ्लोर पर रखी जाय। अगर उन्होंने नई परम्परा शुरू की है तो इसमें मैं क्या कह सकती हूं। पत्र-व्यवहार एक तरफ से नहीं बल्कि दोनों तरफ से होता है। अगर सारी कारेसपान्डेंस फ्लोर पर रख दी जाय तो कोई गवर्नमेन्ट नहीं चल सकती है। यदि ऐसा हुआ है तो शायद इसलिये कि छागला साहेब की पालिटिक्स में नयी जिन्दगी है और उन्हें इस परम्परा से पूरी वाकिफयत नहीं है।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय--

छागला साहब का बयान २२ तारीख के सारे भारत के अखबारों में छपा है, जो मेरे हाथ में भी है, क्या उसे देखते हुए मुख्य मंत्री जी छागला साहब को कोई पत्र लिखने जा रही हैं कि प्रादेशिक सरकार की स्थिति किस प्रकार खराब हुई है उनके पार्लियामेन्ट में बयान से ?

श्री अध्यक्ष--

आप समाचार पत्रों के आधार पर एक बात कह रहे हैं। तो यह भी समाचारपत्रों में आ जावेगा।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय--

यह लोकसभा की प्रोसीडिंन्स पर आधारित है।

श्री अध्यक्ष--

लोकसभा की प्रोसीडिन्गस हमारे सामने नहीं है।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)--

क्या यह सही है कि जब केन्द्रीय शिक्षा मंत्री ने उस पत्र की चर्चा लोक सभा में की तो माननीय सदस्यों ने यह कहकर एतराज किया कि यह परम्परा रही है कि इस प्रकार का केन्द्र और राज्य सरकार के बीच का पत्र व्यवहार सदन के समक्ष न रखा जाय ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया।)

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न।]

सैनिटरी इंस्पेक्टरों के प्रतिवेदन

*१—श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में कितने सेटिरी इंस्पेक्टर्स के रिप्रेजेन्टेशन अपने एरियर्स, इंक्रीमेन्ट तथा कन्फर्मेशन के लिये १९५९ तथा उससे पूर्व के दिये हुए अनिर्णीत पड़े हैं तथा विलम्ब के क्या कारण हैं ?

चिकित्सा मंत्री (श्री दाऊदयाल खन्ना)—

सैनिटरी इंस्पेक्टरों के प्रतिवेदन स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अतिरिक्त जिला स्वास्थ्य अधिकारियों, स्थानीय निकायों विकास खन्डों आदि के कार्यालयों में भी आते हैं। उन सब कार्यालयों में अनिर्णित प्रतिवेदनों के संबंध में सूचना इकट्ठा करने में जो श्रम और व्यय होगा, उसे देखते हुए ऐसी सूचना मंगाना उपयोगी नहीं होगा।

जहां तक स्वास्थ्य सेवा निदेशालय का संबंध है, वहां १९५९ और उसके पहले का कोई भी प्रतिवेदन अनिर्णीत नहीं है।

श्री दयाराम शाक्य—

क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् ५९ के कितने प्रतिवेदन स्वास्थ्य सेवा निदेशालय में आये जो निर्णीत हो चुके हैं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

१९५९ और उससे पहले का कोई प्रतिवेदन नहीं है।

श्री दयाराम शाक्य—

मेरा प्रश्न यह है कि ५९ के कितने प्रतिवेदनों पर निर्णय हो चुके हैं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

नोटिस चाहिये।

श्री दयाराम शाक्य—

सूचना मंगाना उपयोगी न होगा जो कहा गया है उत्तर में, तो यह सरकार के दृष्टिकोण से उपयोगी न होगा या इंस्पेक्टर के ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

सैनीटरी इंस्पेक्टर्स के बारे में जो इस तरह के प्रतिवेदन हो सकते हैं वे डी० एम० ओ० एच० के यहां, बी० डी० ओ० के यहां और परिषद् में भी हो सकते हैं। यह इतना लम्बा काम हो जायगा कि उससे कोई खास फायदा होने वाला नहीं है। अगर माननीय सदस्य किसी विशेष इंस्पेक्टर के या किसी जिले के बारे में जानना चाहें तो सवाल कर लें सूचना मंगा कर उन्हें दे दी जायगी।

रायबरेली जिले में रहटों व सिंचाई कूपों का निर्माण

*२—श्री रतीपाल (जिला रायबरेली) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रायबरेली में बछरावां, राही ऊंचाहार, जगतपुर लालगंज व सतांव ब्लाकों में कितने ऐसे नलकूपों व रहट के कुओं का निर्माण नहीं हो पाया

है जिनके प्रार्थियों की ६ मास से भी अधिक पहले कर्जा व अनुदान व क्षेत्र समितियों द्वारा स्वीकृत होकर पहली किस्त भी मिल गई थी और उन्होंने गड्ढे आदि खुदवाकर ईंट आदि भी मंगवा ली थी ?

विकास मंत्री (श्री राममूर्ति)--

केवल राही ब्लाक में १९६५-६६ में काश्तकारों को सिंचाई के कुओं के लिये किश्तों में तकावी दी गई जिसमें १० अपूर्ण हैं, जिन्हें ६ मास पूर्व तकावी की किश्त दी गई। शेष ब्लाकों में पूरी तकावी दे दी गई।

*३--श्री रतीपाल (अनुपस्थित)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपरोक्त कुओं का निर्माण क्यों नहीं हो पाया है? क्या यह सही है कि नियोजन विभाग ने निर्माताओं के बार-बार प्रार्थना करने पर भी अभी तक सीमेन्ट नहीं दी है ?

श्री राममूर्ति--

अभी उपरोक्त कार्यों को पूर्ण करने की अवधि समाप्त नहीं हुई है। ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि किसी काश्तकार को जिसे अल्प सिंचाई कार्य के लिये तकावी स्वीकृत हो और मांगने पर सीमेन्ट न दिया गया हो।

झांसी सिविल अस्पताल के डाक्टर के विरुद्ध जांच

*४--श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी) (अनुपस्थित)--

स्वास्थ्य मंत्री यह बतायेंगे कि क्या यह सत्य है कि दिनांक १० नवम्बर, १९६५ को प्रश्नकर्त्ता द्वारा मऊरानीपुर, जिला झांसी के सिविल अस्पताल के डाक्टर के विरुद्ध मऊरानीपुर के किसी व्यक्ति द्वारा लिखित गंभीर आरोप माननीय उप मंत्री स्वास्थ्य विभाग को पुनः प्रेषित किये गये थे ? यदि हां, तो उक्त डाक्टर के विरुद्ध आरोपों की गम्भीरता को देखते हुये क्या कार्यवाही हुई ? नहीं, तो क्यों ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

जी हां। जांच कराने पर आरोप निराधार पाये गये। अतः डाक्टर के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

देवरिया जिले में पंचायत मन्त्रियों का अवशेष वेतन

*५--श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)--

क्या सरकार को ज्ञात है कि देवरिया जिले के पंचायत राज सेक्रेटरियों का वेतन १९४९ से १९६५ के बीच की विभिन्न अवधियों का बाकी चला आ रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? उक्त बकाया वेतन कब तक अदा किया जावेगा ?

श्री राममूर्ति--

देवरिया जिले में १९६० के पूर्व की अवधि का किसी भी पंचायत मंत्री का वेतन अवशेष नहीं है। कुछ पंचायत मंत्रियों के वर्ष १९६१ से १९६५ की विभिन्न अवधियों का वेतन बकाया है जिनके कारण निम्नलिखित हैं--

(१) क्षेत्र से प्रार्थना-पत्र दिये बिना कर्मचारियों का अनुपस्थित हो जाना।

(२) क्षेत्र समिति द्वारा अवकाश स्वीकृति में विलम्ब।

(३) कर्मचारियों के विरुद्ध पुलिस द्वारा कार्यवाही।

उक्त पंचायत मंत्रियों के मामलों का यथाशीघ्र निबटारा करने अवशेष वेतन भुगतान करने के आदेश प्रसारित किये जा चुके हैं।

घाटमपुर विकास खण्ड में ग्राम सेवकों का पारिश्रमिक

*६—श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर) (अनुपस्थित)—

क्या सामुदायिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर जिलान्तर्गत घाटमपुर विकास खन्ड के किन-किन ग्राम सेवकों का पारिश्रमिक ३१ मार्च, १९५६ से ३१ मार्च, १९५८ तक की मध्यावधि का शासन द्वारा दिनांक १ दिसम्बर, १९६५ तक भुगतान नहीं किया गया ?

*७—क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त पारिश्रमिक रोके गये ग्राम सेवकों के वेतन रोकने के मुख्य मुख्य आधार क्या हैं ?

*८—क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पारिश्रमिक अथवा वेतन का उक्त धन कब तक अदा किया जा सकेगा ?

श्री राममूर्ति—

सूचना एकत्रित की जा रही है

वाराणसी जिले में जनशक्ति उपयोग योजनान्तर्गत सड़कों का निर्माण

*९—श्री ऊदल (जिला वाराणसी) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रूरल मैन पावर स्कीम के अन्तर्गत जिला वाराणसी में कौन-कौन सड़कें ली गयी हैं और कितनी सड़कों पर कार्य शुरू हो गया है ?

श्री राममूर्ति—

सूचना परिशिष्ट 'क' में संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ८५ पर)

*१०—श्री ऊदल (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि रूरल मैन पावर स्कीम के अन्तर्गत वाराणसी जिले में जो १८० फीट चौड़ी सकलडीहा-मोगलसराय रोड बन रही है उसमें जो जमीन किसानों से ली गयी है उसका मुआविजा नहीं दिया गया है ? इस सड़क की चौड़ाई १८० फीट रखना क्यों आवश्यक समझा गया ?

श्री राममूर्ति—

इस नाम की कोई सड़क ग्रामीण जन शक्ति योजना में स्वीकृत नहीं है। अतः किसानों को मुआवजा देने एवं १८० फीट चौड़ाई का प्रश्न ही नहीं उठता।

एटा जिले में बोरिंग मशीनें

*११—श्री सुखलाल (जिला लखनऊ)—

सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सत्य है कि आजकल एटा जिले में लगभग २८ असिस्टेन्ट बोरिंग मैकेनिक इसलिये बेकार बैठे हैं कि उनके पास सैंड मशीन नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)--

एटा जिले में आजकल २७ असिस्टेन्ट बोरिंग मेकेनिक कार्य कर रहे हैं और सबके पास बोरिंग सेट मशीन उपलब्ध हैं।

श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि ये बोरिंग मशीनें उन लोगों को कब उपलब्ध करायी गयीं ?

श्री बंशीधर पांडेय--

इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री राजेन्द्रसिंह--

मुझे यह निश्चित सूचना है कि उनका एप्वाइन्टमेन्ट बहुत पहले हो गया था और मशीनें उनको जनवरी तक नहीं दी गयीं थीं। तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उन्होंने मशीन पर कोई कार्य किया है ?

श्री बंशीधर पांडेय--

अध्यक्ष महोदय, प्रश्न में यह कहा गया है कि मेकेनिक बेकार हैं, उनके पास मशीनें नहीं हैं, लेकिन मेरी सूचना है कि वे सब काम कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्रसिंह--

यह प्रश्न १८ जनवरी को दिया गया था। मशीनें १८ जनवरी से पहले दी गयीं या बाद में ?

श्री राममूर्ति--

अध्यक्ष महोदय, ऐसा मालूम होता है कि माननीय सदस्य को १८ जनवरी को पता लगा कि मशीनों की कमी है, लिहाजा उन्होंने प्रश्न किया। लेकिन जब हमारा जवाब आया उसमें लिखा है कि मशीन वहां मौजूद हैं। उस वक्त मशीन पहुंच गयी होंगी।

श्री राजेन्द्रसिंह--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि मशीनों के उपलब्ध कराने के पहले ही बोरिंग मेकेनिक्स का एप्वाइन्टमेन्ट क्यों कर लिया गया था ?

श्री राममूर्ति--

कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि एप्वाइन्टमेन्ट पहले हो जाता है और सामान बाद में आ पाता है। समय के अन्दर सामान मुहैया नहीं हो पाता।

खण्ड विकास अधिकारी, कीरतपुर के विरुद्ध शिकायतें

*१२--श्री श्रीराम (जिला बिजनौर)--

क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बिजनौर जिले के खन्ड विकास अधिकारी, कीरतपुर के विरुद्ध भ्रष्टाचार, कार्य की उपेक्षा तथा दुर्व्यवहार से संबंधित कितने शिकायती-पत्र वित्तीय वर्ष १९६४-६५ में सरकार को प्राप्त हुये ? उनमें मुख्य-मुख्य शिकायतें क्या की गई हैं तथा उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री बंशीधर पांडेय--

वित्तीय वर्ष १९६४-६५ में खन्ड विकास अधिकारी, कीरतपुर के विरुद्ध तीन शिकायती-पत्र प्राप्त हुए। इन तीनों शिकायतों में जानवरों की बीमारी के फैलने और उनकी रोकथाम

न करने के संबंध में शिकायत की गई थी। इन शिकायतों के आने पर उप-निदेशक, बरेली ने पशु चिकित्सक बिजनौर को तार से आदेश भेजे कि वे शीघ्र ही मौके पर जाकर जांच करें और रोकथाम करें, बाद में बीमारी पर पूर्ण काबू पा लिया गया।

श्री श्रीराम--

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह बीमारी क्या थी और वे शिकायती-पत्र क्या थे ? क्या माननीय मंत्री जी उनको पढ़ कर सुनायेंगे ?

श्री बंशीधर पांडेय--

जानवरों की बीमारी के संबंध में शिकायती-पत्र थे। उसको देखने के लिये पशुपालन विभाग के उप निदेशक को भेज दिया गया था।

श्री श्रीराम--

परसों यह प्रश्न आया था लेकिन उसका जवाब कृषि मंत्री जी ने दूसरा दिया गया और आज जो जवाब दिया गया है वह दूसरा दिया गया है। इसलिये अब मेरा प्रश्न यह है कि ये जो शिकायती-पत्र दिये गये थे वे क्या थे ? क्या इनके अलावा पशुओं की बीमारी के और भी शिकायती-पत्र थे ?

श्री बंशीधर पांडेय--

जिस वर्ष के बारे में वह जानना चाहते हैं उसमें तीन शिकायती-पत्रों के अलावा कोई शिकायती-पत्र नहीं था।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)--

शिकायती-पत्र किस तारीख को दिये गये और आपके अधिकारी कब वहां पहुंचे ?

श्री बंशीधर पांडेय--

एक शिकायती-पत्र उनका २०-१२-६४ का था, एक तार १९-१२-६४ का था और इनको पशुधन अधिकारी के पास २१-१२-६४ को भेजा गया था।

श्री रघुनाथसिंह (जिला बाराणसी)--

मूल प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बताया है कि तीन शिकायती-पत्र आये थे और उनकी जांच की गई और बीमारी की रोकथाम की भी व्यवस्था की गई तो क्या मंत्री जी को जानकारी है कि वे विकास अधिकारी की लापरवाही के कारण ही यह बीमारी फैली तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राममूर्ति--

बी० डी० ओ० को सख्त चेतावनी दी गई है कि ऐसी गलती आइन्दा नहीं होनी चाहिये।

श्री श्रीराम--

जो प्रार्थना पत्र मिले उनमें क्या कोई उनके दुर्व्यवहार और भ्रष्टाचार की बात भी थी ?

श्री राममूर्ति--

इन्हीं सब बातों को देखकर तो उनको सख्त वार्निंग की गई है ताकि वह आइन्दा ऐसा न करें।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)--

क्या यह सही है कि बावजूद कई बार वार्निन्ग के वह अधिकारी अपना व्यवहार ठीक नहीं कर रहे हैं ?

श्री राममूर्ति--

इसकी तो हमें इस वक्त इत्तिला नहीं है कि पहले भी उनको वार्निंग दी जा चुकी है।

[२ मार्च, १९६६ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

राजकीय अस्पताल, मधुबन को सुविधायें

*१--श्री रामसुन्दर पांडेय --

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता द्वारा दिनांक ७मई, सन् १९६४ का लिखित पत्र जिसमें मधुबन जिला आजमगढ के राजकीय अस्पताल में रोगियों की संख्या का खयाल करते हुए पानी पीने का कुआं, चहारदीवारी बनाने एवं औषधालयों के लिये और धन दिये जाने की मांग की गई थी, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर कौन सी कार्यवाही की गई ?

श्री दाऊ दयाल खन्ना--

जी हां। उसमें उल्लिखित मांगों पर निम्न कार्यवाही की गयी है :--

(१) १९६४-६५ में चिकित्सालय में एक पक्का कुआं १,६६५ रुपये की लागत से बनवाया गया है जिससे मरीजों तथा कर्मचारियों को पानी की सुविधा हो गई है।

(२) चहारदीवारी का निर्माण कार्य वर्तमान संकटकालीन अवस्था में धनाभाव के कारण स्थगित कर दिया गया है।

(३) दवाओं के अभाव को दूर करने के लिये पिछले वित्तीय वर्ष में ५०० रुपये का और चालू वित्तीय वर्ष में ५०० रुपये का अतिरिक्त अनुदान दिया गया है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या मंत्री जी फिर से इसकी जानकारी हासिल करेंगे कि १,६६५ रुपये में जो यह कुआं बताया गया है उसमें बिलकुल पानी नहीं है और उससे मरीजों को कोई लाभ नहीं पहुंचा है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

बहरहाल हमारे पास तो यही सूचना है कि सब उससे लाभ उठा रहे हैं लेकिन अगर ऐसी बात है तो हम फौरन जांच फिर करा लेंगे कि वह कुआं पानी देता है या नहीं।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि इसी मधुबन अस्पताल में प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र बनाने के लिये भी निश्चय हो चुका है तो उसके बनाने और वहां की चहारदीवारी बनाने के लिये उसका उपयोग क्यों नहीं हो रहा है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

अध्यक्ष महोदय, जो पूछा गया था उसका उत्तर मैंने दे दिया है। इसके अतिरिक्त यदि कोई और बात हो तो नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--

क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय अस्पतालों को जो अनुदान वे देते हैं वे १० वर्ष पहले के रोगियों के आधार पर देते हैं और जहां से दबाव आता है जैसे अभी माननीय रामसुन्दर जी ने किया, तो आप और अतिरिक्त अनुदान दे देते हैं। तो क्या इस अतिरिक्त अनुदान की प्रथा को हटाने और जो एडहाक अनुदान देते हैं, वह रोगियों की मौजूदा संख्या का पता लगाकर देने की कृपा करेंगे ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

अतिरिक्त अनुदान जहां पर जरूरत होती है, वहां फौरन भेज दी जाती है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय--

माननीय रामसुन्दर पांडेय जी ने जिस कुएं का जिक्र किया, उसके बारे में यह कहा कि उसमें पानी नहीं आता है। माननीय मंत्री जी कहते हैं कि उसमें पानी है और मरीज फायदा उठाते हैं तो क्या माननीय मंत्री जी उनके संतोष के लिये उसमें बोरिंग करवाने की कृपा करेंगे?

श्री अध्यक्ष--

वे तो कहते हैं कि वे उसकी जांच करायेंगे।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि व इन अस्पतालों को अनुदान वैसे ही सबको बराबर देते हैं या मरीजों के आधार पर देते हैं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

अध्यक्ष महोदय, इस अस्पताल में २,५०० रुपये का अनुदान देते हैं। अब की बार ५०० रु० का अतिरिक्त अनुदान दिया है। जहां पर जिस अस्पताल में जरूरी होता है वहां पर जैसे सिविल सर्जन रिपोर्ट करते हैं, उसी लिहाज से दवा का इन्तजाम कर दिया जाता है। मैं माननीय सदस्य की इस बात से इतिफाक करता हूं कि चूंकि अब लोग ज्यादा हास्पिटल माइंडेड हो गये हैं इसलिये जितनी भीड़ हो रही है, उन्हें दवाई कम मिलती हैं। लेकिन मजबूरी की बात है। जितना रुपया होता है, उतना ही प्रबन्ध किया जाता है।

प्रधान, गांव सभा, बहरामपुर के विरुद्ध शिकायतें

*२--श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा बहरामपुर, विकास खंड, बड़राव, जिला आजमगढ़ के प्रधान के विरुद्ध जनवरी, १९६५ से आज तक कितनी दरख्वास्तें जिलाधीश आजमगढ़ के यहां इस आशय की पड़ी हैं कि गांव समाज की सम्पत्ति का दुरुपयोग, प्राप्त धन का हिसाब ठीक नहीं रखना, बावली की आय हिसाब में न लिखना, प्राइमरी पाठशाला पर पाइप लगाने का पैसा लेकर न लगाना, सदस्यों का जाली हस्ताक्षर बना लेना, आदि शिकायतों से परिपूर्ण हैं, प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उसकी जांच किस अधिकारी से कब कराई गई और परिणाम क्या हुआ ?

श्री बंशीधर पांडेय--

गांव सभा बहरामपुर, जिला आजमगढ़ के प्रधान के विरुद्ध दो शिकायती-पत्र परगना मैजिस्ट्रेट, घोसी को दिसम्बर, १९६५ तथा जनवरी, १९६६ में प्राप्त हुये थे, जिन पर सम्बन्धित तहसीलदार एवं क्षेत्र विकास अधिकारी द्वारा जांच कराई जा रही है। इसके अलावा एक शिकायती-पत्र जिला नियोजन अधिकारी को फरवरी, १९६५ में प्राप्त हुआ था जिसकी जांच सम्बन्धित क्षेत्र विकास अधिकारी द्वारा कराई गई थी और जांच रिपोर्ट प्रधान के विरुद्ध कार्यवाही हेतु परगना मैजिस्ट्रेट घोसी को भेज दी गई है। अब परगना मैजिस्ट्रेट द्वारा प्रधान के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आपके विभाग में एक नयी परिपाटी चली हुयी है कि विकास के जो अधिकारी हैं, वे तो प्लानिंग अफसर हैं लेकिन प्रधान के खिलाफ कार्यवाही करने का अधिकार परगना हाकिम को दिया गया है। फरवरी, १९६५ में प्राप्त हुयी दरख्वास्त की जांच करके उसे एक माह में परगना हाकिम के यहां भेज दिया गया, लेकिन एक साल के करीब हो गया है पर परगना हाकिम ने उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की ? इसके क्या कारण हैं ?

श्री राममूर्ति—

पंचायतराज अधिनियम में ग्राम सभाओं के प्रधानों के खिलाफ कोई ऐक्शन लेने का जो प्राविधान है, सिर्फ वह परगनाधीश को है। सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। जैसा कि रिपोर्ट की गयी है यह सही है कि उसमें देर हो गयी है लेकिन यह तो परगनाधीश का मामला है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या माननीय मंत्री जी इस अधिनियम में संशोधन लाने की व्यवस्था करेंगे कि सम्बन्धित विभाग के अधिकारी ही जांच कर लें जैसे कि गांव समाज से सम्बन्धित यदि शिकायत हो तो परगनाधीश उसकी जांच कर लें और अगर अनुदान की गड़बड़ी हो, या पाठशाला की गड़बड़ी हो तो इस प्रकार की शिकायतों को प्लानिंग आफिसर जांच करने के उपरान्त कार्यवाही कर सकें ?

श्री राममूर्ति—

श्रीमन्, जब यह अधिनियम बनाया जा रहा था तो उस समय इस पर विचार किया गया था और देखा कि अगर हम अपने विभागीय कर्मचारियों से गांव सभा के प्रधानों के खिलाफ कोई कार्यवाही करायेंगे तो उस में यह आशंका हो सकती थी कि चूंकि ये जिला परिषद् के नीचे सब लोग हैं, क्षेत्र समितियों के नीचे हैं उसमें राजनीति इंट्रोड्यूस हो सकती है। इस संभावना को दूर करने के लिये परगनाधीशों को ताकत दी गई थी।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

इस बात को देखते हुये कि ऐसे मामलों में तुरन्त जांच होकर कार्यवाही होनी चाहिये और जो अनावश्यक देर परगनाधीश और जिलाधीश करते हैं, इसको दूर करने के लिये आदेश मंत्री जी देंगे कि ऐसे मामलों में तुरन्त जांच हो कर तुरन्त कार्यवाही होनी चाहिये ?

श्री राममूर्ति—

मैंने अर्ज किया कि जो जिला परिषद् अधिनियम बना हुआ है पंचायती राज का उसमें गांव सभा के प्रधान के खिलाफ इंक्वायरी करने या कोई कदम उठाने की ताकत सिर्फ परगनाधीश को दी गई है। अब हम अपनी तरफ से उस कानून को देखते हुये उनके लिये कोई हिदायत भी नहीं दे पाते। वार्निंग भी नहीं कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा मामला हो तो माननीय सदस्य जिलाधीश की नोटिस में लायें।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—

मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी को यह जानकारी है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक रूलिंग हो चुकी है अभी कि जो चुने हुये प्रधान हैं उनको एस० डी० एम० मुअत्तल नहीं कर सकता है। तो ऐसी अवस्था में सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ? नामिनेटेड को तो वह मुअत्तल कर सकता है, लेकिन चुने हुये को नहीं ?

श्री राममूर्ति—

इसके बारे में मुझे कोई इत्तला नहीं है।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—

मेरा प्रश्न यह नहीं था कि उनका अधिकार छीन लें। मेरा प्रश्न यह था कि क्या आप आदेश देंगे कि ऐसे मामलों में तुरन्त कार्यवाही कर दिया करें। मैं उनके अधिकार छीनने की बात नहीं करता।

फतेहपुर मडाव विकास खण्ड में सीमेंट वितरण

*३—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सितम्बर और अक्तूबर सन् १९६५ में फतेहपुर मड़ाव विकास खंड की क्षेत्रीय समिति द्वारा कितनी बोरी सीमेंट वितरित हुई और क्या कन्या पाठशाला दुवारी अपर प्राइमरी पाठशाला, मिसौली भोलानापुर घिरा, नेवादा, गोपालपुर धरौधा माधवपुर को सीमेंट दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बंशीधर पांडेय—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

जालौन जिले में सरकारी अस्पताल

*४—श्री विजयसिंह (जिला जालौन) (अनुपस्थित)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जालौन जिले में ग्रामों में राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालयों की संख्या क्या है उनकी नामवार सूची दिये जाने की कृपा करेंगे ? तथा यह भी बतायेंगे कि दान में प्राप्त इमारतें कितने अस्पतालों की हैं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जिला जालौन के ग्रामों के राजकीय महिला व पुरुष एलोपैथिक अस्पताल की सूची इस प्रकार है :

पुरुष अस्पताल

(१) मेंड
(२) जगमानपुर
(३) कुदारी
(४) कोंच
(५) कुठोंद
(६) माधोगढ़ ।
(७) रामपुरा
(८) डकोर
(९) पिडारी
(१०) नदी गांव और
(११) कदौरा ।

महिला अस्पताल—

(१) कौंच (२) कालपी और (३) जालौन ।

उपर्युक्त अस्पतालों में से दान में प्राप्त इमारतें निम्नलिखित अस्पतालों की है :

(१) जगमानपुर, (२) मेंड, (३) महिला अस्पताल कालपी

*५—श्री विजयसिंह (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि उपरोक्त जिले में ऐसे कितने राजकीय ऐलोपैथिक अस्पताल हैं जिनकी इमारत की मरम्मत पिछले १० वर्ष से नहीं कराई गई है ? उनकी नामवार सूची दिये जाने की कृपा करेंगे ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

केवल मेंड अस्पताल के भवन की मरम्मत पिछले १० वर्षों से नहीं हो सकी है । छत का प्लास्टर गिर रहा है ।

*६—श्री विजयसिंह (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि जालौन जिले के ग्राम मेंड़ में अस्पताल की इमारत की छतें गिर रही हैं और वहां पर मेडिकल अफसर को बैठने की भी जगह सुरक्षित नहीं है ? यदि हां, तो उसकी स्पेशल मरम्मत को कितना रुपया वित्तीय वर्ष, १९६५–६६ के लिये स्वीकार किया गया और कार्य कब से प्रारम्भ होगा ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

१९६५–६६ में इस कार्य के लिये कोई धनराशि अभी स्वीकृत नहीं है। इस सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है।

*७–९—श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)—

[५वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

विकास खण्ड, कल्यानपुर का आडिट

*१०—श्री कमलासिंह यादव—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि वर्ष १९६४ में सरकार के आदेशानुसार विकास खंड कल्यानपुर के आय-व्यय का विशेष आडिट हुआ था और जिसमें आडिटर ने विकास खंड अधिकारी के द्वारा विकास खंड के धन के गोल-माल करने के सम्बन्ध में विकास खंड अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने के लिये अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की थी? यदि हां, तो विकास खंड अधिकारी के विरुद्ध अब तक क्या विभागीय कार्यवाही की गई?

श्री बंशीधर पांडेय—

विकास खंड कार्यालय, कल्यानपुर, जिला कानपुर का कोई स्पेशल आडिट आय-व्ययक का सन् १९६४ में सरकार के आदेश से नहीं हुआ।

श्री कमलासिंह यादव—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि किसी दूसरे प्रकार का आडिट हुआ है वहां का? यदि हां तो क्या रिपोर्ट है?

श्री बंशीधर पांडेय—

श्रीमन्, माननीय सदस्य ने जिस वर्ष का जिक्र अपने प्रश्न में किया है उसमें किसी प्रकार का स्पेशल आडिट नहीं हुआ और किसी वर्ष में किसी प्रकार का आडिट हुआ या नहीं इसके लिये सूचना चाहिये।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

उत्तर में कहा गया है कि सरकार के आदेश से स्पेशल आडिट तो नहीं हुआ है, जिसका मतलब यह है कि किसी और प्रकार का आडिट हुआ है। तो मैं जानना चाहता हूं कि किसी प्रकार का हुआ तो वह बता दीजिये?

श्री बंशीधर पांडेय—

इसकी मुझे सूचना इस समय नहीं है।

*११–१३—श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—

[५वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

*१४—श्री राजेन्द्रसिंह—

[५वें बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

*१५–१६—श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

[५वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

गंजडुंडवारा तथा पटियाली विकास खण्ड में जनशक्ति उपयोग योजना चलाना

*१७—श्री राजेन्द्रसिंह—

क्या विकास मंत्री विकास खंड गंजडुडवारा एवं पटियाली जिला एटा के अत्यन्त पिछड़ेपन को देखते हुये उस क्षेत्र को ग्रामीण जन शक्ति उपयोग योजना में सम्मिलित करने की कृपा करेंगे ?

श्री बंशीधर पांडेय—

वर्तमान संकट कालीन परिस्थितियों के कारण भारत सरकार ने ग्रामीण जन शक्ति योजना में नये ब्लाकों को शामिल करने की अनुमति नहीं दी है। अस्तु एटा जिले के गंजडुंडवारा तथा पटियाली ब्लाकों को योजनान्तर्गत शामिल करना संभव नहीं है।

श्री राजेन्द्रसिंह—

क्या मंत्री जी इस बात को देखते हुये कि दोनों विकास खंड गंगा और बूढ़ी गंगा के बीच में स्थित हैं और अत्यन्त पिछड़े हुये हैं, मंत्री जी बतायेंगे कि केन्द्रीय सरकार से यदि किसी भी नये ब्लाक के लेने की फिर परमीशन मिलती है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में तो इन दोनों ब्लाकों को भविष्य में प्राथमिकता देंगे या नहीं ?

श्री बंशीधर पांडेय—

जब भारत सरकार नये विकास खंडों को लेने की अनुमति देगी तो विचार किया जायगा कि कौन-कौन से ब्लाक किस श्रेणी में आते हैं।

*१८—श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

[५वें बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

*१९—श्री सन्तसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)—

[५वें बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

राज्य विद्युत् परिषद् के विचाराधीन बोनस

*२०—श्री सन्तसिंह यूसुफ (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य विद्युत् परिषद्, उत्तर प्रदेश, ने अपने कर्मचारियों को १९६४–६५ का बोनस अदा किया था या नहीं ? यदि नहीं, तो सरकार ने बोनस ऐक्ट और केन्द्रीय श्रम मंत्री द्वारा राजकीय क्षेत्र में बोनस की अदायगी सम्बन्धी घोषणा का पालन करने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसी दास)—

राज्य विद्युत् परिषद् के अधीन कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई एडमिनिस्ट्रेशन, कानपुर, को छोड़ कर परिषद् की और किसी बिजली इकाई ने अपने मजदूरों को १९६४–६५ का बोनस नहीं दिया है। बोनस ऐक्ट तथा केन्द्रीय श्रम मंत्री की घोषणा के अनुसार परिषद् की इकाइयों के सभी मजदूरों को बोनस के भुगतान का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

मैनपुरी जिले में आई० टी० आई०

*२१—श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—

क्या यह सत्य है कि मैनपुरी की आई० टी० आई० में लुहारगिरी व बढ़ईगिरी के क्लास इस साल बिल्कुल खत्म कर दिये गये हैं और फिटर क्लास में भी लड़के कम दाखिल हुये, इसका क्या कारण है ?

श्री बनारसीदास—

मैनपुरी के आई० टी० आई० में लुहारगिरी व बढ़ईगिरी की ट्रेनिंग देने के लिये १६–१६ सीटों की व्यवस्था की गई थी किन्तु ट्रेनिंग लेने वाले लड़कों की संख्या ५० प्रतिशत से कम थी इसलिये इस साल इन ट्रेडों में क्लास नहीं खोले जा सके हैं। फिटर क्लास में लड़के पूरे दाखिल हुये थे।

*२२—श्री गणेशचन्द्र काछी—

क्या यह सत्य है कि मैनपुरी जिले में इसी साल एक और आई० टी० आई, शिकोहाबाद में सरकार खोल रही है? यदि हां, तो कब तक और इस पर सरकार का कितना धन व्यय होगा?

श्री बनारसीदास—

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में मैनपुरी में शिकोहाबाद में एक नया आई० टी० आई० खोलने का प्रस्ताव है। इस पर अभी कोई धन व्यय करने की व्यवस्था निर्धारित नहीं की गई है।

श्री गणेशचन्द्र काछी—

क्या सरकार बतलायेगी कि पिछले दिनों जिन लड़कों ने आई० टी० आई० पास किया था वे बेकार घूम रहे हैं और उनकी नौकरियां नहीं लगी हैं, इसी वास्ते क्लासेज खाली हैं और कुछ क्लासेज में दाखिला होने के बाद लड़के भाग गये?

श्री बनारसीदास—

आम तौर से लोहारगीरी और बढ़ईगीरी के जो ट्रेडस हैं उनमें कम लड़के आते हैं और इसका कारण यह है कि सामाजिक प्रथाओं के कारण इन ट्रेडस को नीचा समझा जाता है। आई० टी० आई० से जो लड़के निकले हैं उनके आंकड़े तो नहीं हैं लेकिन ज्यादातर लोगों को काम मिल गया है और एक भारी तादद में वे इंस्ट्रक्टर्स हैं। दूसरे एप्रिन्टस ऐक्ट के मातहत जितने कल कारखाने हैं उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था सरकार करती है और जो लड़के पास होकर निकलते हैं उनको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है और इस बात की खतोकिताबत की जाती है कि उनको काम मिला या नहीं मिला। तजुर्बा यह बतलाता है कि बहुत कम लोग जवाब देते हैं और इससे हम यह समझते हैं कि वे काम में लग गये।

श्री सोहनलाल धुसिया (जिला बस्ती)—

क्या सरकार यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि जो लड़के आई०टी०आई० से निकलते हैं उनकी नालेज प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के मुकाबले में बहुत कम होती है और इसीलिये उनको सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती है?

श्री बनारसी दास—

इसके लिये आल इंडिया सर्टिफिकेट कोर्स है और एप्रिन्टस ऐक्ट के मातहत प्राइवेट कारखानों के अन्दर ६ महीने की ट्रेनिंग है।

श्री अध्यक्ष—

उनका कहना यह है कि आई० टी० आई० के लड़के जो निकलते हैं व योग्यता और दक्षता की दृष्टि से दूसरों की अपेक्षा निम्न स्तर के होते हैं।

श्री बनारसीदास—

योग्यता तो होती है और एप्रिन्टस ऐक्ट के मातहत ६ महीने उनको अनिवार्य कल कारखानों में ट्रेनिंग लेनी होती है। इसलिये यह प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री ए० सी० ग्राइस (नाम निर्दिशित आंग्ल भारतीय)—

जो लड़के ट्रेनिंग के लिये प्राइवेट एम्प्लायर्स के पास एप्रेंटिस ऐक्ट के मातहत जाते हैं उनका इनके बारे में क्या खयाल है ?

श्री बनारसीदास—

नौकरी में तो बराबर एम्पलायर के साथ उनका सम्पर्क रहता है और एप्रेन्टिस ऐक्ट के मातहत उनको कारखाने के अन्दर केवल ६ महीने के लिये ट्रेनिंग के लिये भेजते हैं।

श्री राजेन्द्रसिंह—

क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि आई० टी० आई० में लोकल पढ़ाने वाले इतने योग्य नहीं हैं कि उनको पढ़ा सकें ?

श्री बनारसीदास—

श्रीमन्, इसकी जानकारी माननीय सदस्य को स्वयं हो सकती है।

श्री सोहनलाल बुसिया—

श्रीमन्, जिस तरह से दूसरे इंस्टीट्यूशन्स को देखने के लिये इन्सपेक्टर्स होते हैं उसी तरह से आई० टी० आई० को सुपरवाइज करने के लिये क्या सरकार के पास अलग से स्टाफ है और वह लड़कों की प्रोग्रेस के बारे में रिपोर्ट देता है ?

श्री बनारसीदास—

जी हां, प्रिंसिपल्स हर जगह हैं और डिप्टी डायरेक्टर तथा ज्वाइंट डायरेक्टर हैं। लेकिन यह अवश्य है कि थोड़ी कमी है और अच्छे प्रिंसिपल के पी० एस० सी० को मिलने में कठिनाई हो रही है।

श्री सोहनलाल बुसिया—

श्रीमन, हमने पूछा है कि क्या इनके पास अलग से सुपरवाइजिंग स्टाफ है जो वहां के काम को देखता हो ?

श्री अध्यक्ष—

उनका कहना है कि सुपरवाइज करने के लिये अलग से स्टाफ रखा गया है।

श्री बनारसीदास—

श्रीमन्, मैंने कहा कि डिप्टी डायरेक्टर है और ज्वाइंट डायरेक्टर है जो इनको सुपरवाइज करते हैं।

श्री गणेशचन्द्र काछी—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि मैनपुरी के आई० टी० आई० से लड़के जाते थे हैं और क्यालेज बंद हो गई है तो शिकोहाबाद में दूसरा स्कूल खोले जाने का क्या कारण है ?

श्री बनारसीदास—

कारण यही है कि शिकोहाबाद औद्योगिक केन्द्र है। प्रदेश में हर जगह इन स्कूलों में ज्यादा से ज्यादा लड़के दाखिला चाहते हैं। अगर माननीय सदस्य चाहें तो वहां स्कूल न खोल कर दूसरे जिले में खोल दें।

अध्यक्ष, जिला परिषद्, सीतापुर, के विरुद्ध कथित जांच

*२३—श्री अवधेशकुमार सिन्हा (जिला सीतापुर)—

क्या सरकार बताने की कृष्ट करेगी कि सीतापुर के जिला परिषद् के अध्यक्ष के विरुद्ध कोई जांच आवास तथा भ्रष्टाचार अथवा सुरक्षा के नाम रुपया लेने तथा उसे सरकारी कोष में

न दाखिल करने की कोई जांच डायरेक्टर, पंचायत विभाग, की ओर से लगभग गत चार माह से चल रही है ? यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या है तथा उसमें अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री बंशीधर पांडेय--

डायरेक्टर, पंचायत राज, की ओर से अध्यक्ष, जिला परिषद्, सीतापुर, के विरुद्ध कोई जांच नहीं हो रही है ।

श्री अवधेशकुमार सिनहा--

क्या सरकार बतायेगी कि डिप्टी डायरेक्टर, सरन साहब, अध्यक्ष के विरुद्ध किस बात की जांच कर रहे थे ?

श्री बंशीधर पांडेय--

श्रीमन्, सरन साहब नाम के कोई डिप्टी डायरेक्टर पंचायत विभाग में नहीं है ।

गोरखपुर जिले में आर० एम० पी० स्कीम

*२४--श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

क्या विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले के बृजमनगंज, फरेन्दा तथा धानी ब्लाकों की जो सड़कें आर० एम० पी० स्कीम में ली गई हैं उन पर अभी तक कार्य शुरू नहीं किया गया ? क्या कारण है ?

श्री राममूर्ति--

इन ब्लाकों में आर० एम० पी० स्कीम के अन्तर्गत कोई सड़क स्वीकृत नहीं है । अतः उन पर कार्य शुरू करने का प्रश्न नहीं उठता ।

*२५--श्री नरसिंह नारायण पांडेय--

[५ वें बुधवार के लिये स्थगित किया गया ।]

स्टेट कालेज आफ आयुर्वेद, लखनऊ के विद्यार्थियों की हड़ताल

*२६--श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़), श्री उग्रसेन (जिला देवरिया), श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा), श्री शिवनाथसिंह (जिला कानपुर), श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया), श्री गिरजाप्रसाद (जिला गोंडा) तथा श्री गणेश चन्द्र काछी--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपा करके यह बतायेंगे कि स्टेट कालेज आफ आयुर्वेद (लखनऊ विश्वविद्यालय) के विद्यार्थियों की हड़ताल किन-किन मांगों के लिये हो रही है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

स्टेट कालेज आफ आयुर्वेद, लखनऊ विश्वविद्यालय, के विद्यार्थियों की हड़ताल मुख्यतः निम्न मांगों के आधार पर हो रही है:

(१) उन्हें बी० एम० बी० एस० स्नातकों के समान अधिकार, वेतन-क्रम आदि दिये जांये ।

(२) उन्हें मेडिकल काउन्सिल द्वारा प्रस्तावित कन्डेन्स्ड कोर्स की सुविधा दी जाय ।

(३) हाई पावर्स कमेटी जो कि भूतपूर्व मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में हुई थी उसकी संस्तुतियों के आधार पर विशेष कैडर दिया जाय ।

(४) कालेज सम्बन्धी फैकल्टी का नाम फैकल्टी आफ आयुर्वेद के स्थान पर फैकल्टी आफ मेडिसिन (माडर्न ऐंड एन्शेन्ट) रक्खा जाय।

(५) आयुर्वेदाचार्य, बैचलर आफ आयुर्वेद विद माडर्न मेडिसिन एन्ड सर्जरी, की डिग्री का नाम बी० एम० बी० एस० कर दिया जाय।

(६) बलरामपुर हास्पिटल में हाउस जाब दिया जाय।

(७) मेडिको लीगल अधिकार दिये जायं।

*२७—श्री उमा शंकर, श्री उग्रसेन, श्री राधेश्याम शर्मा, श्री शिवनाथ सिंह, श्री काशीनाथ मिश्र, श्री गिरजाप्रसाद, तथा श्री गणेशचन्द्र काछी—

क्या यह सच है कि उक्त कालेज में ९ ही अध्यापक आयुर्वेद के हैं और एलोपैथिक के ४० हैं? यदि हां, तो क्या मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि उक्त कालेज का पूर्व नाम (फैकल्टी आफ ऐनशियन्ट एण्ड माडर्न (मैडिसिन) बदल कर नया नाम फैकल्टी आफ आयुर्वेद क्यों रखने की जरूरत पड़ी है?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

*२८—श्री उमाशंकर, श्री उग्रसेन, श्री राधेश्याम शर्मा, श्री शिवनाथसिंह, श्री काशीनाथ मिश्र, श्री गिरजाप्रसाद तथा श्री गणेशचन्द्र काछी—

क्या यह भी सच है कि बी० एम० बी० एस० और आयुर्वेदाचार्य की विवरण पत्रिका (प्रोस्पेक्टस) समान रूप का सरकार द्वारा मान लिया गया है? यदि हां, तो दोनों स्नातकों को समान रूप की सेवाओं का अवसर देने में सरकार को क्या परेशानी है?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जी नहीं; प्रश्न नहीं उठता।

श्री उमाशंकर—

क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि छात्र जो यह सुविधाएं मांग रहे हैं उनको देने में उनको क्या आपत्ति है?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

विद्यार्थी कोई सुविधायें नहीं मांग रहे हैं। जो वह समय समय पर मिले हैं हमारे अधिकारियों से और मुझसे भी उन्होंने डिमांड्स के रूप में रखा है। हम हर बात करने को तैयार हैं जो कायदे से कर सकते हैं लेकिन इस तरह से स्ट्राइक कर देने से, डिमांड दे देने के बाद यह जरूरी नहीं है कि सरकार उन डिमांड्स को मान ले।

श्री धर्मदत्त वैद्य—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो छात्रों की मांगें हैं उनमें कुछ पर शासन ने पहले आश्वासन दिया था उनको कार्यान्वित करने का?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

कोई आश्वासन की बात नहीं है। एक दो मांगों के बारे में मैं अर्ज कर दूं। छात्रों की मांग यह है कि इंडियन मेडिकल काउन्सिल ने कहा है कि कंडेंस्ड कोर्स करवा कर लाइसेंशियेट बना दिया जाय। इंडियन मेडिकल काउन्सिल का यह प्रस्ताव, १९६० से पहले वाले विद्यार्थियों के लिये है जो उसके बाद के विद्यार्थी हैं उनके लिये नहीं है। कंडेंस्ड कोर्स १९६० से पहले वाले विद्यार्थियों को दिया जा सकता है। शायद हड़ताल करने वाले विद्यार्थियों में एक आध कोई फेल हो गया हो वह हो, वरना १९६० से पहले का कोई होगा नहीं। दूसरी बात यह है कि इस स्टेट की पालिसी नहीं है कि इंटीग्रेटेड कोर्स का पाठ्यक्रम जो चल रहा है उसको बन्द कर दिया जाय। लिहाजा इंडियन मेडिकल काउंसिल की जो सिफारिश है वह मान नहीं सकते। इस तरह की डिमांड कैसे पूरी की जा सकती है?

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

इसके पहले जो विद्यार्थी विद्याध्ययन करते थे, जिनकी मांगों को लेकर चल रहे हैं सरकार उनको पहले देती थी, आज उनको कटेल करने का क्या कारण है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

अध्यक्ष महोदय, यह जो मांगें कर रहे हैं पहले से यह सुविधाएं उपलब्ध थीं ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात यह कि स्ट्राइक करवाने की जिम्मेदारी ऐसे ही माननीय सदस्यों के ऊपर है जो विद्यार्थियों को फुसला कर इस राह पर लाते हैं।

श्री रघुनाथसिंह—

आये दिन आयुर्वेदिक कालेज के विद्यार्थियों की हड़तालें हुआ करती हैं और उनकी मांगें सारांश रूप में यही हैं कि उनके अध्यापन में समान मर्यादा और सुविधा हो, व्यवसाय में जाने पर समान वेतन हो, जो यह लम्बी परम्परा बन गयी है उनके असंतोष की, क्या राज्य सरकार आयुर्वेद पद्धति की शिक्षा को वैज्ञानिक ढंग से अक्षम समझती है जिससे उसकी उपेक्षा कर रही है ?

श्री दाऊ दयाल खन्ना—

इसकी उपक्षा नहीं की जा रही है बल्कि इसकी इज्जत अफजाई की जा रही है। मिसाल के के तौर पर अर्ज कर दूं। नेशनलन मेडिकल काउन्सिल ने जो कहा कि कंडेन्स्ड कोर्स कराया जाये जिसकी यह दुहाई देते थे उसमें यह सिफारिश थी कि इन्हें २२५ से ४२५ तक का ग्रेड दिया जाये और हमने बिना कन्डेन्स्ड कोर्स कराये ही उनका ग्रेड २३५ से ५०० तक का कर दिया है, यानी मेडिकल काऊन्सिल के बताये हुये से भी ज्यादा कर दिया है, तो इनको अब परेशानी ही नहीं होनी चाहिये।

गांव पंचायत, ऐती के कागजात की जांच

*२९—श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार तारांकित प्रश्न संख्या ४७, नत्थी (क), ११ अगस्त, १९६५ के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेगी कि जिलाधीश महोदय कानपुर के आदेशानुसार सहायक जिला पंचायत अधिकारी, कानपुर, ने वित्तीय वर्ष १९६१–६२ से लेकर १९६३–६४ तक गांव पंचायत ऐती के जिन कागजातों की जांच की थीं उन्हीं कागजात की जांच परगनाधीश महोदय कानपुर ने करके गांव पंचायत ऐती के प्रधान को पंचायत के धन गबन, धन के दुर्विनियोजन, जाली लेखा बनाने, जालसाजी करने, पद के दुरुपयोग करने, अनियमितताओं के विविध आरोपों के सम्बन्ध में प्राइमा फेसी आरोपों का आरोप पत्र दिनांक ११ अक्तूबर, १९६५ को दिया है ? यदि हां, तो क्या कारण थे कि जिला सहायक पंचायत अधिकारी ने अपनी जांच के नतीजे में यह लिखा है कि जांच में कोई अनुचित बात एवं अनियमितताओं तथा भ्रष्टाचार की शिकायत नहीं पाई गई ?

श्री राममूर्ति—

सहायक जिला पंचायत अधिकारी ने केवल गांव पचायत खेती के कागजात की जांच की थी परन्तु परगना मजिस्ट्रेट ने पचायत के अलावा भूमि प्रबन्धक समिति के कागजात की भी जांच की थी। परगना मजिस्ट्रेट ने गांव पंचायत तथा भूमि प्रबन्धक समिति दोनो के ही कागजात की जांच के फलस्वरूप प्रधान के विरुद्ध प्रश्न में उल्लिखत आरोप लगाये थे।

भूमि प्रबन्धक समिति के कागजात पहले से ही परगना मजिस्टेट के पास थे, इसलिये उनकी जांच सहायक जिला पचायत अधिकारी द्वारा नहीं की जा सकी। चूंकि गांव पचायत के कागजात में कोई अनिमियता या भ्रष्टाचार नहीं पाया गया इसलिए सहायक जिला पंचायत अधिकारी ने तदनुसार ही अपनी रिपोर्ट दी थी।

नोट—तारांकित प्रश्न २८ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

*३०—श्री चन्द्रजीत यादव—

क्या सरकार उक्त प्रश्न के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सत्य है कि सहायक जिला पंचायत अधिकारी, कानपुर ने गांव पंचायत ऐतो के कागजात की जांच करके प्रधान को बचाने हेतु भ्रष्टाचार के बल पर अपनी जांच की असत्य रिपोर्ट जिलाधीश महोदय को प्रेषित की थी ? यदि हां, तो सरकार उनके सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति—

सहायक जिला पंचायत अधिकारी, कानपुर ने गांव सभा प्रधान के बनाने के नीयत से गलत रिपोर्ट नहीं दी बल्कि गांव पंचायत के कागजातों में अनियमितता तथा भ्रष्टाचार आदि न पाये जाने पर ही तदनुसार रिपोर्ट दी थी । इसलिए सहायक जिला पंचायत अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

*३१—३३—श्री रक्षपाल सिंह (जिला फतेहपुर)—

[५वें बुधवार के लिए स्थगित किये गये।]

कानपुर से औद्योगिक प्रतिष्ठानों में बोनस वितरण

*३४—श्री सन्तसिंह यूसुफ—

क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगी कि बोनस ऐक्ट के अन्तर्गत कानपुर के किन औद्योगिक प्रतिष्ठानों में १९६४ का बोनस बांटा गया है और किन प्रतिष्ठानों में अभी तक बकाया है ? जिन प्रतिष्ठानों में १९६४ का बोनस अभी तक नहीं बंटा बहुत बढ़वाने के लिए सरकार क्या कर रही है और बोनस न बांटने वाले सेठायोजकों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री बनारसीदास—

प्राप्त सूचना के अनुसार ४३६ प्रतिष्ठानों में से २६८ को ३१ जनवरी, सन् १९६६, तक बोनस का वितरण करना था जिनमें से २१७ ने वितरण कर दिया है। ५ प्रतिष्ठानों को बोनस वितरण करने की अवधि बढ़ाने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। १० प्रतिष्ठानों को शो काज नोटिस दिया गया है। शेष प्रतिष्ठानों में निरीक्षण की कार्यवाही की जा रही है।

आगरा क्षेत्र में सहकारी निरीक्षकों तथा सहायक विकास अधिकारियों का स्थायित्व

*३५—श्री गणेशचन्द्र काछी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आगरा रीजन में ऐसे सहकारी निरीक्षक व सहायक विकास अधिकारी सहकारिता कुल कितने हैं जिनकी नौकरी दस साल तक हो गई है और उनको अभी तक परमानेंट नहीं किया गया; उनको परमानेंट न करने के कौन-कौन से कारण हैं ?

श्री बनारसीदास—

आगरा रीजन में ऐसे सहकारी निरीक्षकों की कुल संख्या आठ है परन्तु वहां ऐसा कोई भी सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) नहीं है जिसकी नौकरी दस साल तक हो गई हों और वह परनेंट न हो ।

उपरोक्त ८ सहकारी निरीक्षकों में से दो व्यक्तियों के मामले लोक सेवा आयोग के समक्ष स्थायीकरण के निमित्त विचाराधीन है। शेष व्यक्तियों के मामले सहकारी निरीक्षक ग्रुप २ तथा सहकारी विकास अधिकारी (सहकारिता) को सम्मिलित ज्येष्ठा-सूची बन जाने पर आयोग को भेजे जा सकेंगे। सम्मिलित ज्येष्ठता सूची बनाने के लिये सूचना एकत्र की जा रही है।

आई० टी० आई०, रायबरेली के लिए भूमि

*३६—श्री रतीपाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला रायबरेली के अन्तर्गत आई० टी० आई० के लिये कितनी भूमि सरकार ने प्राप्त की है, और कौन सी भूमि की (किन प्लाट नं० की) रजिस्ट्री कराई गई है ? उस पर कितने रुपये का खर्च आया है ?

श्री बनारसीदास--

आई० टी० आई० रायबरेली के लिये मौजा अहमदपुर नजूल में ४० बीघा १५ बिस्वा-१२ बिस्वांसी भूमि लैन्ड एक्वीजीशन ऐक्ट के अन्तर्गत अर्जित की गई है । इस ऐक्ट के अन्तर्गत अर्जित की गई भूमि की रजिस्ट्री नहीं होती । अतः किसी प्लाट की रजिस्ट्री और उस पर किये गये किसी खर्च का प्रश्न नहीं उठता ।

*३७--३८--श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)--

[वापस ले लिये गये ।]

*३९- श्री उल्फतसिंह यादव (जिला बदायूं)--

[५ वें बुधवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*४०--सर्वश्री उग्रसेन, राधेश्याम शर्मा, शिवनाथ सिंह, काशीनाथ मिश्र तथा गिरजा प्रसाद--

[पुनरावृत्ति होने के कारण हटा दिया गया ।]

मथुरा जिले में विकास खण्ड तोड़ना

*४१--श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)--

क्या विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जिले में किस-किस बिकास खण्ड को तोड़ा जा रहा है ?

श्री राममूर्ति--

जिला अधिकारियों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है । अंन्तिम निर्णय कमेटी आफ डाइरेक्शन लेगी ।

*४२--श्री लखीसिंह--

[५ वें बुधवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*४३--श्री हरीशकुमार गंगवार--

[५वें बुधवार के लिये स्थगित किया गया ।]

कस्तूरबा बाल मन्दिर, फिरोजाबाद, के बच्चों को दूषित नाश्ता

*४४--श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा)--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री जी को पता है कि कस्तूरबा बाल मंदिर, फिरोजाबाद, में गत अगस्त के दूसरे सप्ताह में, बच्चों को जो नाश्ता दिया गया उसे खाने के बाद बच्चों को उल्टी (वोमिटिंग) हो गई है और बच्चों के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ा है ? यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की ? यदि कार्यवाही नहीं की गई, तो क्यों ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

प्रश्नगत विद्यालय में १० अगस्त, १९६५ को दोपहर का नाश्ता लेने के बाद बच्चों को उल्टी आने लगी थी पर तात्कालिक उपचार के फलस्वरूप ११ अगस्त तक सभी बच्चों की तबीयत ठीक हो गई ।

उस दूकान से, जहां नाश्ता तैयार किया गया था, नाश्ता के तथा उसमें प्रयुक्त पदार्थों के नमूने जांच हेतु प्रयोगशाला भेजे गये । जांच की रिपोर्ट के आधार पर यथोचित कार्यवाही की जायगी ।

इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के उद्देश्य से आगरा जिले की सभी शिक्षा संस्थाओं को आगाह कर दिया गया है और इस सम्बन्ध में उन्हें अनेक कारगर सुझाव भी दिये गये हैं । प्रदेश के सभी सम्बन्धित अधिकारियों से इस ओर विशेष सतर्कता बरतने के लिये लिख दिया गया है ।

*४५—श्री भगवानदास यादवेन्दु—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वह कौन-कौन सा व्यक्ति दूकानदार था जिसने यह नाश्ता भेजा ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

नाश्ता बनाने तथा बेचने वाले का नाम और अन्य विवरण निम्न है :

श्री चन्द्रपाल वैश्य, पुत्र श्री सोन पाल वैश्य, जलसार रोड, फिरोजाबाद ।

*४६—श्री उल्फतसिंह यादव—

[५ वें बुधवार के लिये स्थगित किया गया ।]

बस्ती जिले के सहायक रजिस्ट्रार सहकारिता के तबादले की मांग

*४७—श्री चन्द्रपाल (जिला बस्ती)—

क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के सहायक रजिस्ट्रार सहकारिता अपने इस पद पर इस जिले में कितने वर्षों से काम कर रहे हैं ?

श्री बनारसीदास—

लगभग सवा वर्ष से । इन्होंने बस्ती में २८-११-१९६४ को कार्यभार लिया था ।

*४८—श्री चन्द्रपाल—

क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त प्रश्न उल्लिखित सहायक रजिस्ट्रार जब से बस्ती में हैं इस अवधि में कितनी बार उन्हें स्थानान्तरण आदेश दिया गया तथा पुनः क्यों रद्द कर दिया गया ?

श्री बनारसीदास—

बार बार । तबादिला रद्द करने के कारण हर बार अलग-अलग हैं । एक बार उन्हीं के जिला सुल्तानपुर में हुआ था तथा तीन बार उनके स्थान पर जाने वाले अधिकारी अपने स्थानों से मुक्त नहीं किये जा सके ।

*४९—श्री चन्द्रपाल—

क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जब सामान्य व्यवस्था यह है कि ३ वर्ष के बाद स्थानान्तरण हो जाना चाहिये, तो प्रश्न (१) में उल्लिखित महोदय के अभी तक स्थानान्तरित न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री बनारसीदास—

प्रश्न ४७ के उत्तर के अनुसार यह प्रश्न उठता ही नहीं ।

बैतालपुर चीनी मिल मजदूरों से सुरक्षा कोष के लिए चन्दा

*५०—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि देवरिया जिले की बैतालपुर चीनी मिल के मजदूरों के दिनांक ११-१२ जनवरी व २६ जनवरी, १९६६ के वेतन में से जबरदस्ती सुरक्षा फंड के लिये मिल व्यवस्थापक द्वारा कटौती करने के निश्चय से क्षोभ, क्रोध एवं अराजकता और औद्योगिक

अशान्ति का वातावरण पैदा हो गया है ? यदि हां, तो इसको रोकने के लिये तत्काल क्या कदम उठाया जा रहा है ?

श्री बनारसीदास—

इस मिल के श्रमिकों के दोनों रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियनों की सहमति से केवल २६-१-६६ को जिन श्रमिकों ने काम किया उनका अतिरिक्त वेतन सुरक्षा कोष में ले लिया गया है । इससे श्रमिकों में कोई अशान्ति, क्षोभ और क्रोध नहीं है ।

*५१—[पुनरावृत्ति होने के कारण हटा दिया गया ।]

गौरीबाजार चीनी मिल मजदूरों में अशान्ति

*५२—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि देवरिया जिले की गौरीबाजार चीनी मिल के राष्ट्रीय चीनी मिल कर्मचारी, गौरी बाजार द्वारा १७ जनवरी, १९६६ को ४९ मांगों का पत्रक, श्रम सचिव, उत्तर प्रदेश, को दिया है और उस पत्रक में मांगों के पूरा न होने पर सीधी कार्यवाही की बात लिखी है ? यदि हां, तो क्या उक्त औद्योगिक अशान्ति की आशंका को रोकने के लिये मांगों की पूर्ति की दिशा में तत्काल क्या कदम उठाया गया है ?

श्री बनारसीदास—

जी हां । प्रादेशिक संराधन अधिकारी, गोरखपुर, दोनों पक्षों से आपसी समझौता कराने के लिये बातचीत कर रहे हैं ।

जिला परिषद्, गोंडा के अध्यक्ष का रिक्त स्थान

*५३—श्री सूरजलाल गुप्त वकील (जिला गोंडा)—

क्या सरकार को पता है कि २३ जनवरी, १९६६ से जिला परिषद्, गोंडा में कोई अध्यक्ष नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति—

जिला परिषद्, गोंडा के अध्यक्ष निलम्बित हैं और उपाध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त हो गया था । अतः जिला परिषद् में अध्यक्ष के पद के कार्यों को कोई नहीं कर रहा था किन्तु २६-२-१९६६ को उपाध्यक्ष का चुनाव हो गया है और अब वह स्थिति नहीं रही ।

*५४—श्री राजेन्द्रसिंह—

[५वें बुधवार के लिये स्थगित किया गया ।]

अतारांकित प्रश्न

विकास खण्डों का पुनर्गठन

१—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या सामुदायिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाकों का जो पुनर्गठन होने जा रहा है उसके आधार क्या हैं ?

जी हां । प्रादेशिक संराधन अधिकारी, गोरखपुर दोनों पक्षों से आपसी समझौता कराने के लिये बातचीत कर रहे हैं ।

श्री राममूर्ति---

विकास खण्डों के पुनर्गठन में भौगोलिक स्थिति, यातायात के साधन और जनसंख्या पर विशेष महत्व दिया जा रहा है । न्याय पंचायतों की सीमा का भी ध्यान रखा गया है ताकि अलग-अलग विकास खण्डों में न पड़ें । तहसीलों की वर्तमान सीमाओं का भी खयाल रखा जा रहा है ताकि एक विकास खण्ड की सीमा जहां तक सम्भव हो दो तहसीलों में न पड़े ।

२---श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

क्या सामुदायिक विकास मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि इस सम्बन्ध में जिला अधिकारी को कुछ राजाज्ञा भी भेजी गई है ? यदि हां, तो क्या उनको प्रति सदन की मेज पर रखेंगे ?

श्री राममूर्ति---

जी हां । पत्र-व्यवहार सदन की मेज पर रखना जनहित में न होगा ।

डिस्ट्रिक्ट मेडिकल आफिसर, फतेहपुर के कार्यालय में हरिजन

३---श्री रघुवीरसहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)---

१८ अगस्त, १९६५ के तारांकित प्रश्न ९ के उत्तर के सन्दर्भ में क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ७ सैनेटरी इंस्पेक्टरों, ५२ वैक्सीनेटरों, १४ लिपिकों और ९ चपरासियों में से जो दो वैक्सीनेटर व एक लिपिक हरिजन वर्ग के हैं उनके पते क्या हैं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना---

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

दहगवां ब्लाक में गबन की जांच

४---श्री उल्फतसिंह यादव---

२२ सितम्बर, १९६५ के तारांकित प्रश्न सं० २८ के उत्तर से सम्बन्धित क्या विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बदायूं जिले के विकास खण्ड दहगवां और जूनामई के वर्तमान खण्ड विकास अधिकारी अपने इस पद पर इस ब्लाक में किस तिथि से काम कर रहे हैं ?

श्री राममूर्ति---

बदायूं जिले के विकास खण्ड दहगवां और जूनामई के वर्तमान खण्ड विकास अधिकारी इन विकास खण्डों में निम्न तिथियों से कार्य कर रहे हैं :

नाम क्षेत्र विकास अधिकारी	विकास खण्ड का नाम	विकास खंड में कार्यभार संभालने की तिथि
१---श्री रामदेव राम ..	.. दहगवां	७-४-६१
२---श्री हामिद मिर्जा ..	.. जूनामई	१-८-६२

५---श्री उल्फतसिंह यादव---

क्या सरकार यह बतायेगी कि जिला बदायूं के विकास खण्ड दहगवां में ऐसे कौन-कौन ग्राम प्रधान हैं जिनके खिलाफ गबन की जांच हो रही है ? ऐसे कौन-कौन हैं जिनके ऊपर गबन का मुकदमा अदालत में चल रहा है तथा ऐसे कौन कौन हैं जिनके खिलाफ गबन सम्बन्धी शिकायत होने के कारण सरकारी वकील से राय ली गई है ?

श्री राममूर्ति—

जिला बदायूं के विकास खंड दहगवां में श्री सियाराम, प्रधान गांव सभा सिर्सा खुर्द, तथा श्री वकील अहमद, प्रधान, गांव सभा नहनोल बागवाला, के विरुद्ध गबन की जांच हो रही है, ऐसा कोई प्रधान नहीं है जिसके खिलाफ गबन का मुकदमा अदालत में चल रहा हो । श्री अशर्फी लाल, प्रधान, गांव सभा, दहगवां के विरुद्ध गबन सम्बन्धी शिकायत होने के कारण सरकारी वकील से राय ली गई है ।

प्रश्नों के स्थगित करने पर आपत्ति

*श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

श्रीमन, अक्सर जब प्रश्नों का अवसर आता है तो बहुत से प्रश्नों के बगल में लिखा रहता है कि स्थगित किये गये, किसी दूसरे दिन के लिये । इस बारे में मुझे एक निवेदन करना है । अक्सर मैं देखता हूं कि जो बहुत महत्व के प्रश्न होते हैं उनको गोलमाल करने के लिये या कि यदि उनका उत्तर आ जायेगा तो सरकार के कारनामों का भण्डाफोड़ होगा, उन्हें स्थगित कर दिया जाता है । यह चीज नियमों के विरुद्ध की जाती है । जैसे अयोध्या कांड की इन्क्वायरी का मामला है, उसका नतीजा यहां पर नहीं आया, उसको स्थगित किया गया । किन किन कारणों से स्थगित किया गया, यह तो मंत्री जी जानें । जैसा कि आप, श्रीमन्, कहते हैं कि नियमों का पालन करना चाहिये, तो इसमें नियम ३९ आता है, इसके अलावा क्लाज (२) में यह लिखा हुआ है कि मिनिस्टर साहब प्रश्नों के उत्तर को स्थगित करने के कारण आपके सामने यहां पर स्पष्ट-रूप से कहेंगे और उनके कहने के बाद अगर आप उचित समझेंगे तो उन्हें समय देंगे वरना नहीं देंगे । और जिस वक्त आप उचित अनुचित का विवेक करने लगेंगे तो हम भी आपकी सहायता करेंगे कि यह उचित है या नहीं । तो यह कैसा गोलमाल करते हैं, इसे आप देखें । कैसे उसका महत्व कम बताकर उसे स्थगित करते हैं, इसे आपको देखना है । मैं इस क्लाज को पढ़ दूं, यह मेरे पास अंग्रेजी में है, जिसमें लिखा है. . . . . .

श्री अध्यक्ष—

रहने दीजिये, मेरे पास है, मैं पढ़े देता हूं हिन्दी में—

"प्रश्नों के उत्तर प्रश्नों के विषय से सुसंगत होंगे और यदि अध्यक्ष यह विनिश्चित करें तो वे सभा की मेज पर विवरण रखने के रूप में हो सकेंगे ।

(२) किसी प्रश्न का उत्तर उस तिथि को दिया जायेगा जिसके लिये वह सूचीबद्ध किया गया हो । यदि सदस्य द्वारा अपेक्षित सूचना उपलब्ध न हो तो मंत्री तदनुसार स्थिति बतायेंगे और अध्यक्ष इतना अधिक समय, जिसे वे परिस्थितियों को देखते हुये उपयुक्त समझें, दे सकेंगे तथा उत्तर के लिये कोई तिथि नियत करेंगे ।"

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

मंत्री महोदय आपके सामने अपनी जरूरत व्यक्त करेंगे कि कौन कौन कारणों से आज उत्तर वह नहीं दे सकेंगे और हमको १० दिन या १५ दिन का समय दे दिया जाये । तब आप उस पर अपनी बुद्धि ववेक से इजाजत देंगे कि यह इनका निवेदन उचित है या अनुचित । तो इस प्रकार से वह आपके निर्णय से प्रभावित होना चाहिए । आज यह होता है कि कुछ गोपनीय कह कर निकल जाते हैं, कुछ स्थगित कह कर निकल जाते हैं, और कुछ आपसे, श्रीमन्, सहायता न मिलने के कारण निकल जाते हैं । जिस समय हम आशा करते हैं कि आपका समर्थन हमें प्राप्त होगा, उस समय आप मौन हो जाते हैं । मैं समझता हूं कि इस तरह से प्रजातंत्र की रक्षा नहीं हो सकती है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष---

यह तो आप मेरे ऊपर आक्षेप कर रहे हैं ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी---

श्रीमन्, मैं आप पर आक्षेप नहीं कर रहा हूं । यदि आप कहेंगे तो मैं अपने शब्द वापस ले लूंगा, लेकिन यदि इस तरह से होगा तो प्रजातंत्र की रक्षा नहीं होगी ।

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)---

चूंकि जो फैजाबाद इन्क्वायरी की रिपोर्ट है, उसे स्टडी करने का हमें मौका नहीं मिला है इसलिए इस तारीख में नहीं हो पाया । अब जल्द से जल्द कोई तारीख निर्धारित कर लीजिए, तब तक मैं कर लूंगी ।

श्री अध्यक्ष---

जो प्रश्न आपने उठाया है, वह मेरे सामने आया था । जो रिपोर्ट इस संबंध में, प्रश्न के बारे में आयी थी उसमें कारण लिखा हुआ है कि इस बारे के कागजात पूर्णरूप से या पूरी सूचना अभी नहीं आ सकी है । अतः हमें समय दिया जाय । मैंने इस पर समय दे दिया है । अबकी बार जब आयेगा तब उनको उत्तर देना पड़ेगा । अब की बार इस आधार पर समय दिया गया है कि कागजात संपूर्ण रूप से नहीं पहुंचे हैं ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी---

जो निवेदन आपके पास पहुंचा है, वह सदन के सामने यहां आए और सदस्यों को मालुम हो तो अच्छा हो, जिससे सरकार की नैतिक जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाए ।

श्री अध्यक्ष---

इस संबंध में मुझ से कृपया मेरे कक्ष में बात कर लें । इस संबंध में आज तक हमारी यह परिपाटी रही है कि प्रथम बार जब सरकार की ओर से कोई आपत्ति उठाई जाती है तो हम उसमें समय दे देते हैं और दूसरी बार, वह सदन में अपनी असमर्थता के कारण प्रकट करें । यों तो मैं इस संबंध में कह देता कि दो-चार रोज में उत्तर दो, लेकिन चूंकि अभी समय है, इसलिए कह दिया है कि सूचना जब आए, तब दे दें ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---

जो राजकीय आयुर्वेद कालेज हैं, जिसके संबंध में इधर के बैठने वालों ने एक बार नहीं अनेक बार नियम ५२ और कामरोको प्रस्ताव की सूचना दी है और आपसे निवेदन किया कि आप उस पर ध्यान दें । आप के जरिए मंत्री महोदय से निवेदन करना मैं चाहूंगा और खासकर मुख्य मंत्री महोदय से कि यह सवाल इतने महत्व का है कि इस पर तुरन्त ध्यान दें । इसमें महीनों से हड़ताल चल रही है, स्कूल बन्द हैं । साढ़े तीन सौ लड़के उसमें हैं । मैं यह चाहता था कि माननीय मुख्य मंत्री जी इसमें हस्तक्षेप करें और इसका कोई हल निकालें, जिससे कालेज खुले और जो विद्यार्थियों का समय जा रहा है, वह भी बच सके । मैं चाहता हूं कि वह इस सदन में यह आश्वासन दें कि इसकी वह पहल करेंगी ।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)---

अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता विरोधी दल ने जो प्रश्न उठाया उस पर आपने अपनी व्यवस्था दी । पहले भी एक बार जब यह प्रश्न आया था उस समय भी आपने व्यवस्था दी थी तो यह दी थी कि जो प्रश्न स्थगित किए जाते हैं उनके कारण देने चाहिए और एक के बाद उस कारण को वह सदन में दें । मेरे कहने का मतलब यह है कि जो आपकी व्यवस्था इसके पूर्व हो चुकी है उसका सरकार की ओर से पालन नहीं हुआ है, अतः आप अपनी व्यवस्था का पालन करायें ।

131790

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय पुनस्संगठन समिति का प्रतिवेदन†

श्री होतीलाल अग्रवाल (जिला इटावा)—

अध्यक्ष महोदय, मैं, सभापति, विधान सभा सचिवालय पुनस्संगठन समिति, उत्तर प्रदेश, विधान सभा सचिवालय पुनस्संगठन समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सवाल बहुत दिनों से चला आ रहा था कि विधान सभा सचिवालय के संबंध में कुछ निर्णय लिए जाएं। मुझे मालूम है कि हमारे भूतपूर्व मुख्य मंत्री बाबू संपूर्णानन्द ने इस बात को माना था कि जल्द से जल्द यह हो जाय और आपकी कैबिनेट का भी यह निर्णय था कि इस मामले में जल्द निर्णय लिए जाएं। लेकिन दुर्भाग्य से वह कार्यान्वित नहीं हो सके। वैसे सबसे पहले सन् १९२८ में जब माननीय विट्ठल भाई पटेल केन्द्रीय असेम्बली के सभापति थे, उस समय यह सवाल पैदा हुआ था और फिर गवर्नमेंट ने उसको बिलकुल पृथक् कर दिया था, असेम्बली को सचिवालय को पृथक् कर दिया था। जब हमारा नया संविधान बना तो यह सवाल फिर पैदा हुआ और वहां पर अनुच्छेद ९८ के जरिए इस सचिवालय के संबंध में निर्णय हुए। और ठीक उन्हीं लफ्जों में १८७ अनुच्छेद में यह कहा गया कि स्टेट्स में भी दोनों विधान सभा और विधान परिषद् के सचिवालयों के कर्मचारी अलग से होंगे। वह बात इसमें चाल की गई है। इसमें हम लोगों ने बहुत संक्षेप रिपोर्ट दी है। वह इसलिए कि बहुत-सी बातें इसमें तय हो चुकी है। हमारी विधान परिषद् की एक कमेटी बैठी थी, उसने अपनी विस्तृत रिपोर्ट दी है। हम लोगों ने इसलिए यह रिपोर्ट संक्षेप में दी है और आशा करते हैं कि जल्द से जल्द यह काम हो जाय। फिर एलेक्शन आने वाला है, तो यह काम खटाई में पड़ जायगा।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, हम अपने सभापति महोदय के आभारी हैं जिनके सभापतित्व में हम लोगों ने रिपोर्ट तैयार की है। यह बड़े महत्व की रिपोर्ट है और यह सदन इसके महत्व को समझता है। श्रीमन्, इस सदन में सभी यह जानते हैं कि यदि हम सचमुच प्रजातंत्र की हर एक कड़ी को मजबूत करना चाहते हैं तो इस सदन की मर्यादा रखने के लिए, इस सदन में जो कार्यवाही करते हैं उसकी गरिमा कायम रखने के लिए, यह अत्यन्त आवश्यक था कि विधान सभा का सचिवालय सरकारी कंट्रोल से या अन्य किसी कंट्रोल से या अन्य दबाव से बिलकुल अलग हो। इसीलिए संविधान में यह प्राविजन किया गया था कि यह पृथक् किया जाय, यह सब से स्वतंत्र किया जाय। यह बात बहुत दिनों से इस असेंबली में चल रही थी और हम लोगों ने इस प्रश्न को उठाया। विधान परिषद् के विषय में एक रिपोर्ट इस प्रश्न पर आ गई। लोक सभा में यह प्राविजन बहुत पहले से लागू है। तो इसी संबंध में हमने यह रिपोर्ट तैयार की है। आपसे प्रार्थना है, जैसा हमारे सभापति महोदय ने कहा, कि इसको इम्प्लीमेंट कराने का आप भरसक प्रयत्न करें और सरकार से भी प्रार्थना है कि यह बहुत पवित्र कार्य है और ऐसा आवश्यक कार्य है कि सचमुच जो आगे आने वाले सदस्य होंगे वे हमको याद करेंगे और इसका स्वागत करेंगे। इन शब्दों के साथ में आशा करता हूं कि आप इस पर ध्यान देंगे।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव इस सदन ने सर्वसम्मति से पारित किया था, जिस पर यह रिपोर्ट आज सदन में आई है। उस समिति में माननीय बनारसी दास, माननीय वित्त मंत्री कैलाश प्रकाश जी और न्याय मंत्री अली जहीर साहब भी थे। यह कमेटी की रिपोर्ट इस सदन की रिपोर्ट है। इसमें किसी के लिए कोई संदेह की बात नहीं है। हम लोगों ने भी इसको सर्वसम्मति से स्वीकार किया है। मैं उधर के बैठने वाले सदस्यों से और मंत्री लोगों से भी निवेदन

---

†देखिए नत्थी "ख" आगे पृष्ठ ८६–९३ पर।

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

करूंगा कि इस पर कोई विशेष बहस की बात नहीं है। यह इस सदन की गरिमा की बात है। इसको बिना किसी बहस के पारित होना चाहिए ताकि सदन का समय बचाया जा सके।

श्री अध्यक्ष—

हम सदन की भावनाओं का आदर करते हैं। वह छप जाय तो हम उसको वितरित कर देंगे। उस पर बहस करें या नहीं, यह सदन के अधिकार की बात है। कदाचित बजट के समय हम उसको नहीं ले सकेंगे। उसके बाद फिर इस पर विचार कर लेंगे।

नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

नियम ५२ के अन्तर्गत मेरे पास कई सूचनाएं आई हैं। उन सब ४, ५ सूचनाओं को मैं मंत्री महोदय के पास शीघ्र ध्यान आकर्षणार्थ व उचित कार्य हेतु भेज रहा हूं। उनमें एक माननीय सन्तसिंह यूसुफ की है जो कि कानपुर काटन मिल से संबंधित है। एक बात मैं यह भी बतला दूं कि कल श्रम के विषय में बहस है .....

श्री सन्तसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)—

सरकार को इस पर कार्यवाही करना है। हमारी बहस में तो वह बहस का जवाब दे देंगे। इसमें कानून को लागू करने की बात है जिसके लिए उन्होंने लापरवाही की है। इसलिए मैं इसका जवाब चाहता हूं कि गवर्नमेंट इस संबंध में क्या कार्यवाही करने जा रही है?

श्री अध्यक्ष—

इस पर मैंने लिख दिया है कि माननीय मंत्री महोदय के पास शीघ्र ध्यान व उचित कार्य हेतु प्रेषित। माननीय राम किशोर वर्मा जी की नियम ५२ के अन्तर्गत एक सूचना आयी है कि कानपुर और फतेहपुर जिले की क्रमशः तहसील घाटमपुर और बिन्दकी के बहुत बड़े भाग में सिंचाई की समुचित व्यवस्था न होने से गेहूं की फसल सूख रही है। इसे मैं माननीय सिंचाई मंत्री के पास शीघ्र कार्यवाही के लिए भेज रहा हूं।

एक नियम ५२ की सूचना माननीय काशीनाथ मिश्र, माननीय गिरजा प्रसाद, माननीय राधेश्याम शर्मा और माननीय रतीपाल की तरफ से आयी है जिसमें लिखा है कि बांदा जिले के अन्तर्गत बांदा—चिल्ला सड़क पर कल जो बस दुर्घटना हुई है उसमें जो लोग जख्मी हुए हैं उनका उपचार ठीक रूप से अस्पताल में नहीं हो रहा है। तो इसको भी मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री के पास विशेष ध्यान हेतु भेज रहा हूं।

माननीय चन्द्रबलीसिंह और माननीय बांकेलाल जी ने जो कल अपनी नियम ५२ की सूचना में ५०-६० मन गन्ना लिख दिया था उसे ठीक करके ५०-६० लाख मन आज कर दिया है। इस संबंध में मैं अपना ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने इस आदरणीय सदन में आश्वासन दिया है कि पूर्णरूपेण सारा गन्ना पेर दिया जायगा। इस तरह से सभी उपलब्ध गन्ने को समय से पेरे जाने की आशा की जाती है। तो अब मैं इसको माननीय मंत्री जी की सेवा में उचित कार्यवाही हेतु भेज रहा हूं।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

मैं उस संबंध में कुछ निवेदन करता चाहता हूं। कप्तानगंज चीनी मिल के सुरक्षित क्षेत्र का लगभग ५०-६० लाख मन गन्ना अभी तक खेतों में पड़ा है और वह मिल अन्य क्षेत्रों का गन्ना ले रही है। इसका नतीजा यह होगा कि अब गन्ने की फसल खड़ी की खड़ी ही रह जायगी तो सूख जाने पर उसमें आग लगाना पड़ेगा और सारी फसल बरबाद जायगी। इससे वहां

के किसानों में बहुत असंतोष है। इसलिए सरकार जल्दी से जल्दी ६ लाख मन गन्ना कप्तानगंज सुरक्षित क्षेत्र से निकाल कर दूसरी मिलों को देने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष—

इस संबंध में मैंने मंत्री जी को लिखा है कि वे शीघ्र व्यवस्था करें।

अब नियम ५२ के अन्तर्गत इलाहाबाद के संबंध में दो सूचनाएं आयी हैं। एक तो माननीय सालिग्राम जायसवाल, माननीय केशरी प्रसाद पांडेय और माननीय सत्यनारायण पांडेय जी की है और एक माननीय गया प्रसाद जी की है। एक बात मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इलाहाबाद जिले की इन तहसीलों के संबंध में सदन में कल दिए गए वक्तव्य से विदित हुआ और जो प्रश्न दोनों तरफ से हुए—उनसे भी विदित होता है कि स्थिति गम्भीर है। माननीय सदस्यों का आग्रह था कि किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा या मंत्री द्वारा इस संबंध में जांच करायी जाए तो उनको संतोष होगा। माननीय सालिग्राम जायसवाल जी ने इस प्रकार से लिखा है—इलाहाबाद जिले की अधिकांश भागों में विशेषकर मेजा और करछना तहसीलों में लाखों की संख्या में लोग अन्न तथा पानी के बिना भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। भुखमरी से अब तक दर्जनों व्यक्ति मर चुके हैं और सैकड़ों की स्थिति मरणासन्न है। किन्तु दुख है कि राजकीय कर्मचारी जबरदस्ती इस स्थिति को दबाने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार को वस्तुस्थिति से गुमराह कर रहे हैं। सारे क्षेत्र में पशुओं को चारा और पानी न मिलने के कारण हजारों की संख्या में वे मृत्यु के शिकार हो रहे हैं। बावजूद हम लोगों के सारे प्रयासों के सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। अब स्थिति इतनी गंभीरतर और भयावह हो गयी है कि राज्य सरकार के लिए उस पर काबू पाना असंभव-सा प्रतीत हो रहा है। सारे क्षेत्र में हाहाकार मचा हुआ है और एक विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो गई है।

अतः उक्त स्थिति पर माननीय मंत्री का ध्यान खींच कर स्पष्टीकरण की मांग करते हैं।

अब इस पर बहुत प्रश्न हो चुके हैं और नियम ५२ भी हो चुका है। इसको मैं माननीय मुख्य मंत्री के पास विशेष ध्यान हेतु भेज रहा हूं।

श्री सालिग्राम जैसवाल (जिला इलाहाबाद)—

श्रीमन्, इस संबंध में मुझे भी दो-चार मिनट सुन लें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में हम लोगों ने एक प्रस्ताव पिछले सोमवार को दिया था और उस प्रस्ताव में हम लोगों ने यह चाहा था कि वहां की परिस्थिति का ज्ञान मंत्रियों को सही तरीके से हो, इसीलिए हम लोगों ने कई मंत्रियों से इस संबंध में बात की और मुख्य मंत्री जी और दूसरे मंत्रियों से प्रार्थना की कि आप चल कर स्थिति को स्वयं देखें और उसे देख कर उचित कार्यवाही करें। लेकिन मुझे दुख और वेदना हुई जब मैंने २८ तारीख को माल मंत्री का वक्तव्य पढ़ा। माल मंत्री महोदय ने अपने तरीके से, मजाक में इस प्रश्न को टाल दिया। वहां की वास्तविक स्थिति क्या है, इसके संबंध में मैं समझता हूं कि न तो मुख्य मंत्री जी को ही कोई ज्ञान है और न दूसरे मंत्रियों को ही कोई ज्ञान है। वहां पर दर्जनों व्यक्ति भूख से मर चुके हैं उनकी कोई सूचना यहां नहीं है। दूसरी तरफ हालत यह है कि वहां पर जबरदस्ती लगान वसूली हो रही है। वहां पर मंत्री या दूसरे लौह पुरुष जाते हैं और लाखों रुपया चन्दा अध्यापकों तथा विद्यार्थियों से लेकर आते हैं। यह मैं केवल सदन में ही नहीं कह रहा हूं, इसके लिए मेरे पास पर्याप्त प्रमाण हैं। आज से ६, ७ महीने पहले केंद्रीय खाद्य मंत्री के सामने यह प्रश्न उपस्थित हुआ था और उन्होंने यहां के मंत्रियों को आदेश दिया था कि वहां पर गल्ले की दूकानें खोली जानी चाहिएं। लेकिन एक भी गल्ल की दूकान वहां नहीं खोली गयी। मेरे पास अखबारों की कटिंग हैं जिन में मेरा नहीं, खाद्य मंत्री का, वहां के कलेक्टर का,

[श्री सालिग्राम जैसवाल]

कमिश्नर का पूरा बयान है कि इलाहाबाद जिले में भयानक अकाल पड़ चुका, लेकिन सरकार उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देती। मैं आज भी आपसे निवेदन करता हूं कि आप स्वयं चलें क्योंकि कोई मंत्री वहां नहीं जायगा। मैं विरोधी दल के नेताओं से निवेदन करूंगा कि वे वहां चल कर स्थिति का अध्ययन करें। जिस क्षेत्र में यह हाहाकार मचा हुआ है वहां नेहरू जी और टंडन जी की जन्म भूमि रही है। प्रदेश क दो प्रधान मंत्रियों का क्षत्र रहा है। वहां पर लोग इस तरह से भूखे और प्यासे मरें यह समझ म नहीं आता और मैं तो सोचता हूं कि अगर यही स्थिति रही तो मेरे ऐसे व्यक्ति के लिए इस असेम्बली में और ऐसी राजनीति में कोई जगह नहीं। इसलिए मैं आप से आज निवेदन करना चाहता हूं कि आप स्वयं वहां पर चलें और स्थिति को देखें और उसको देख कर जो कुछ आप कर सकें करें।

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

यह सही है कि माननीय सालिग्राम जी ने मुझसे इस संबंध में कहा था और एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट का अफसर वहां जा कर स्थिति देख कर आया है। उनके ड्यूज कलेक्शन न करने के आर्डर्स यहां से चले गए हैं और मैंने गेंदासिंह जी को कहा था कि जाकर एक चक्कर काट आएं। वह किन्हीं कारणोंवश नहीं जा सके। अब मैं किसी को वहां भेजूंगी।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

आप के लिए उन्होंने प्रार्थना की है। आप चले जाएं।

श्री अध्यक्ष—

नहीं, नहीं। उन्होंने गेंदा सिंह जी को कहा था और वे दूसरी कार्यवाही भी करने को तैयार हैं।

श्री सालिग्राम जैसवाल—

मैं माननीय गेंदासिंह जी से इस बारे में तीन बार मिला हूं।

श्री अध्यक्ष—

मैं मुख्य मंत्री जी से कह चुका हूं।

श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा)—

उन्होंने इसकी महत्ता इसी से कम कर दी कि गेंदा सिंह जी जाकर चक्कर काट आएं। इससे पता चलता है कि वह इसको कितना महत्व देती हैं।

श्री अध्यक्ष—

यह फिरोजाबाद की चूड़ियों का विषय नहीं है। आप बैठिए।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि माल विभाग का आफिसर वहां भेजा था, मगर मैं आपको बताऊं कि वह गांव में गया ही नहीं, जिलाधीश के बंगले में बठकर ही जानकारी हासिल कर उसने सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी।

श्री अध्यक्ष—

वह देख लेंगी उसको।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

कल, श्रीमन्, ढाई लाख कर्मचारियों ने वेतन नहीं लिया। मैं समझता हूं यह घटना ऐसी है कि जिस पर यहां सदन में बयान होना चाहिए, आप सरकार से सूचना तक नहीं दिलवाते

हैं। जब कभी भी सरकारी कर्मचारियों का प्रश्न आया आपने टाल दिया। सरकारी कर्मचारी क्या कोई ट्रेड यूनियन का झंडा लेकर धावा बोलेंगे, तब कुछ होगा? आज आपने कोई और प्रस्ताव नियम ५२ के अन्तर्गत स्वीकार भी नहीं किया है। इसलिए इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर आप बयान दिला दें, बड़ी कृपा होगी।

श्री अध्यक्ष--

इस संबंध में काफी चर्चा यहां हो चुकी है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

२८ तारीख को माननीय शिक्षक ने एक नियम ५२ का प्रश्न दिया था और उसी के साथ २-३ और माननीय सदस्यों के थे, आपने कहा भी था कि संशोधित वक्तव्य दे दिया जाय, आपने अपने कक्ष में उन्हें बुलाया भी था...

श्री अध्यक्ष--

माननीय शिक्षक जी मेरे कक्ष में आए थे, वे संतुष्ट हैं मेरी कार्यवाही से, आप उनसे पहले पूछ लें। उनके सामने मैंने उस पर आदेश कर दिए और वे उससे संतुष्ट थे।

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)--

श्रीमन्, नियम ५२ आपने स्वीकार मेरा किया था, मगर मेरी तहसील का उत्तर नहीं आया।

१९६६-६७ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या २३--सहकारिता

*सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)--

अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २३--सहकारिता के अन्तर्गत २,४९,८१,६०० रुपये के मांग वर्ष १९६६-६७ के लिए स्वीकार की जाय।

श्रीमन्, गत वर्ष जब मैंने सहकारिता का अनुदान इस सदन में प्रस्तुत किया था, यह आशा की थी कि सहकारिता--कानून इस प्रदेश में हाल ही में आ जायगा और मुझे प्रसन्नता है कि सितम्बर, १९६५ में दोनों सदनों ने एक विधेयक पारित कर दिया और ऐसी आशा है कि बहुत जल्दी ही उस विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो जायगी और वह कानून अमल में आ जायगा। यद्यपि जो कानून हमारे सदनों ने पारित किया वह केन्द्रीय सरकार के कानून पर आधारित है, लेकिन हमारे कानून में कुछ विशेषतायें हैं और मुझे आशा है कि उसके अमल में आ जाने से सहकारिता आन्दोलन को ज्यादा गति मिलेगी और सहकारिता आन्दोलन सही मानी में जनता का और गैर सरकारी लोगों का नेतृत्व प्राप्त कर सकेगा। उस विधेयक के द्वारा जितने भी इस वक्त तक आर्बीट्रेशन्स के एवार्डर्स होते हैं, उन सब की अपील ट्रायब्युनल्स के अन्दर हो सकेगी और रजिस्ट्रार के जितने भी निश्चय हैं या तो गवर्नमेन्ट के सामने या ट्रायब्युनल के सामने उन सब की अपीलें हो सकेंगी। उस सहकारिता विधेयक में अब तक चुनावों की अनिश्चितता के संबंध में प्राविधान किया गया है जिससे निश्चित समय के अन्दर चुनाव किया जा सकेगा और जो सहकारिता विभाग के अन्दर कर्मचारी कार्य करते हैं या अन्य संस्थायें हैं उनकी सेवा की शर्तें उनके पारितोषिक या उनकी सेवा की सुरक्षा आदि के लिये भी नियम बनाने की उस विधेयक के अन्दर व्यवस्था की गई है तथा शीघ्र ही आशा की जाती है कि वह विधेयक अमल के अन्दर आयेगा और यह कोशिश की जा रही है कि सहकारी आन्दोलन एक जनता का आन्दोलन हो जिसका मुख्य लक्ष्य यह है कि आर्थिक जीवन का संगठन हमारे देश के अन्दर भी केन्द्रित हो जिससे कि आर्थिक सत्ता कुछ लोगों के हाथ में केन्द्रित न हो।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बनारसीदास]

एक तरफ तो पब्लिक सैक्टर और दूसरी तरफ प्राइवेट सैक्टर तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं में हमारे आर्थिक बिकास के लिये बराबर बढ़ता चला जा रहा है। इसलिये हमारे देश की यह नीति रही है कि हमारे संगठन का आधार ज्यादातर सहकारिता पर आधारित हो। इसलिये जीवन के प्रत्येक अंग में जहां पर भी अर्थ का संबंध होता है उसका आधार ज्यादा से ज्यादा सहकारिता के आधार पर हो जिससे जनतंत्रीय आधार पर उन तमाम उत्पादनों की इकाई का वितरण हो, उन इकाइयों का जो समाज के प्रत्येक जीवन से संबंधित हैं उनका संचालन सुव्यवस्थित ढंग से किया जा सके। श्रीमन्, इस प्रकार के आन्दोलनों का संचालन किसी विभाग द्वारा नहीं किया जा सकता है। सरकार तो केवल एक प्रेरणा दे सकती है उसके लिये। जनता की मिलकियत को सुरक्षित रखने के लिये आडिट की व्यवस्था कर सकती है। मुझे अत्यन्त प्रसन्नता है कि हमारा प्रदेश ही ऐसा प्रदेश है जहां पर आडिट स्वतंत्र रूप से होता है। जो सहकारी विभाग के अन्तर्गत नहीं बल्कि स्वतंत्र है और आडिट कार्य की क्षमता का अन्दाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वित्त विभाग को प्रत्येक साल हमारी सहकारी संस्थायें चौबीस लाख रुपया आडिट फीस के रुप में देती हैं। इसलिये जो आडिट होता है वह काफी विस्तार से और क्षमता के साथ किया जाता है और विभाग इस का प्रयास करता है कि जो आडिट की आपत्तियां हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जाय। तो श्रीमन्, जैसा कि मैंने निवेदन किया कि सहकारी आन्दोलन जनता का एक आन्दोलन है। सहकारी आन्दोलन की क्षमता, कुशल नेतृत्व पर, लोगों के डायोनमिज्म पर और जनता की अभिरुचि पर है और उसके लिये अत्यन्त आवश्यकता है कि जनता की मनोवृत्ति के अन्दर तब्दीली की जाय। आज जो जनता के अन्दर संग्रहात्मक प्रवृत्ति है उसको बदलकर उनकी आस्था सहकारी ढंग के समाज में कायम की जाय। यद्यपि सीमित रूप में सहकारी विभाग की तरफ हमने एक प्रशिक्षण का आयोजन भी किया है जिसमें गैर सरकारी जो निर्वाचित सदस्य आदि हैं उनको प्रशिक्षित करने की व्यवस्था की जाती है, लेकिन यह कार्य इतना विस्तृत है और इसका संबंध लोगों के आम जीवन की बिचार धारा से है। इसको केवल सहकारी विभाग के प्रशिक्षक या सहकारी परिषदों द्वारा सही मानों में सहकारी सिद्धान्तों को प्रशिक्षित नहीं किया जा सकता है। इसके लिये समस्त उन तत्वों के सहयोग की अपेक्षा है जो कि सहकारिता के अन्दर अमल कर सकते हैं। मैं जानता हूं कि प्रदेश के अन्दर जितने प्रगतिशील तत्व हैं वे एक ही बात पर सीमित हैं पर हमारे समाज का विकास, हमारे समाज की समृद्धि और उन्नति सहकारिता के आधार पर हो ताकि जो आजकल राजनैतिक जनतंत्र सही मानों में है वह एक आर्थिक गणतंत्र की शक्ल ले सके और आर्थिक सत्ता जो सही मानों में सही सत्ता हो सकती है वह पूरे तरीके से विकेन्द्रित हो। इसलिये तमाम दल के नेताओं को, जो कि सहकारिता की सत्ता के अन्दर यकीन रखते हैं उनको इसके अन्दर सक्रिय दिलचस्पी लनी होगी। कोई भी जो जनता का आन्दोलन होगा वह उस पृष्ठभूमि के मुताबिक, जनता की रुचि के मुताबिक और सामाजिक परिस्थितियों के मुताबिक चलेगा। उसके अन्दर कुछ कमियां संभव हो सकती हैं, कुछ त्रुटियां संभव हो सकती हैं। सरकार ने जहां तक संभव हो सका है उन कमियां को दूर करने का प्रयास किया है तथा इस आन्दोलन को गतिशील बनाने का प्रयास किया है।

हमारे प्रदेश में प्रथम पंचवर्षीय योजना में यह नीति बनायी गयी थी कि प्रत्येक गांव में एक सहकारी समिति की स्थापना की जाय। उसके बाद रुरल क्रेडिट सर्वे कमेटी बैठी, तथा मेहता कमेटी बैठी। रूरल क्रेडिट सव कमेटी ने यह सुझाव दिया कि सुसाइटियां बड़ी बड़ी हों। इसलिये हमारे प्रदेश के अन्दर क्षेत्र समितियां कायम की गयीं जिनकी संख्या प्रदेश में ७३० है। जो अच्छा कार्य कर रही हैं। लेकिन बाद में प्रदेश और देश में अनभव से यह पाया गया कि लार्ज स्केल सुसाइटीज अधिक लाभकर नहीं हैं। इसलिये हम इस नतीजे पर पहुंचे कि सुसाइटियां ऐसी हों जो अपना दफ्तर रख सकें, पूरे समय के लिये वेतन भोगी कर्मचारी रख सकें और साथ ही अपने पैरों पर खड़ी हो सकें क्योंकि गवर्नमेन्ट की सहायता से तो वह केवल ३–४ साल तक ही जिन्दा रखी जा सकती ह, अन्ततोगत्वा तो सोसाइटी को अपने पैरों

पर ही खड़ा होना होगा। इसलिये हम इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे प्रदेश के अन्दर बायेबिल सुसाइटीज हों। इन सुसाइटीज और सर्विस कोप्रोपरेटिव सुसाइटीज का लक्ष्य हमने पूरा कर लिया है। सुसाइटीज को बायेबिल बनाने से, हमारे प्रदेश में, केन और इन्ड्रस्टीज को छोड़ कर, कुल मिला कर ५७ हजार थीं जो घट कर अब ५१ हजार रह गयीं हैं। इनकी संख्या में हम अभी और कमी करना चाहते हैं। सुसाइटीज को बायेबिल बनाने के लिये हमने यह कार्यक्रम बनाया है कि छोटी सुसाइटीज को मर्ज कर दिया जाय। साथ ही क्षेत्र समितियों के क्षेत्र को भी कम किया गया है ताकि सदस्यों के अन्दर पारस्परिक सहयोग, प्रबन्ध के अन्दर और अधिक दिलचस्पी और सुसाइटी के कार्य संचालन में और ज्यादा गहरा संपर्क हो सके। इस दिशा में प्रयास किया जा रहा है।

श्रीमन्, सहकारिता आन्दोलन की प्रगति का अन्दाजा इससे लगाया जा सकता है कि केन और इन्डस्ट्री की कोआपरेटिव सुसाइटीज को छोड़कर हमारा वर्किंग कैपीटल २ अरब २८ करोड़ है। तमाम प्रदेश में जो हमारा रिजर्व फन्ड है वह बहुत काफी है जिसकी वजह से जनता की संस्था पूरी तरह से सुरक्षित है। हमारे प्रदेश का यू० पी० कोआपरेटिव बैंक प्रदेश की बहुत प्रतिष्ठित संस्थाओं में से है। जो लक्ष्य उसका निर्धारित किया गया था, उसने उस लक्ष्य को ही पूरा नहीं किया बल्कि उससे भी आगे बढ गया है। इस बैंक की अमानतों की संख्या २० करोड़ रुपया के करीब हैं तथा कार्यरत पूंजी ५२ करोड़ रुपया है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)--

आपने जो २२८ करोड़ रुपये की वर्किंग कैपीटल बतायी वह किस की है?

श्री बनारसीदास--

यह ग्राम की सुसाइटीज, जिला स्तर की सुसाइटीज मार्केटिंग सुसाइटीज, आदि सब को मिला कर है। इसको अलग-अलग भी बताया जा सकता है लेकिन उसमें बहुत विस्तार हो जायगा। ५१ हजार सुसाइटीज ग्रामों की सुसाइटीज के अतिरिक्त जिला स्तर की सुसाइटियां, जिला सहकारी बैन्क, और यू० पी० कोआपरेटिव बैंक सब की वर्किंग कैपीटल मिलाकर २२८ करोड़ रुपये की पूंजी होती है।

श्रीमन्, मुख्यतः जो हमारी ऋण योजना है--अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घ-कालीन इसमें हम इस बात पर अधिक जोर दे रहे हैं कि मध्यकालीन और दीर्घकालीन लोन लोगों को अधिक मात्रा में उपलब्ध हो सकें और साथ ही किसान को माइनर इर्रीगेशन कार्यों के लिये, अच्छे कृषि यंत्रों के लिये और कृषि सुधार के लिये अधिक रुपया मिल सके जिससे सरकार को अलग से उसके लिये ज्यादा व्यवस्था न करनी पड़े। इसलिये सरकार ने पिछले साल इस बात का निश्चय किया कि १७ जिलों में तकावी न देकर दीर्घकालीन ऋण बैंक के द्वारा किसानों को दिया जाय। अभी तक इस बैंक से करीब ५ करोड़ ९ लाख रुपया जनता को वितरित हो चुका है और अभी पिछले दो तीन मास में इन १७ जिलों में १ करोड़ ८० लाख रुपया नलकूप आदि कृषि सुधारों के लिये दिया है। हम इसकी शाखाओं को और बढ़ाना चाहते हैं और हमारा लक्ष्य है कि इन १७ जिलों में जहां पर कि सरकार की ओर से अब तकावी नहीं दी जाती है वहां हर तहसील के केन्द्र पर उनकी शाखायें कायम करें। हमने नये बजट में २५ शाखाय खोलने की व्यवस्था की है और हम चाहते हैं कि लैन्ड डेवलपमेन्ट बैंक के लिये २५ अफसर रखें जो इस प्रबन्ध को देखें ३ साल की अवधि तक। कृषि साधनों का जुटाना हमारे सूबे के बजट की सामर्थ्य के बाहर हो सकता है इसलिये प्लान हेड के बाहर लैन्ड डेवलपमेन्ट बैंक के जरिये मध्यकालीन लोन बहुत उपयोगी हो सकता है और वह हमारी उपज को बढ़ाने में भी सहायक हो सकता है। इस तरह से बैंक का काम बराबर बढ रहा है और इन १७ जिलों में १ करोड़ ८० लाख रूपया २ मास में बांटा गया है, जो दरख्वास्ते प्राप्त हुई हैं उनकी संख्या तो बहुत अधिक है।

[श्री बनारसी दास]

हमने इस बात का भी आदेश दिया है कि जो एक्सटेंशन सर्विसेज के लोग हैं, जो प्लान के अधिकारी हैं वे अच्छी तरह से प्रक्रिया करें और वह प्रार्थियों की मदद करें, उनकी सिक्योरिटी वगैरा जमा कराने में, लेखपालों से लैन्ड रिकार्डस दिलाने में या नान-एन्कम्बेंट्स सर्टिफिकट वगैरा दिलाने में ताकि ऋण के मिलने में किसानों को असुविधा न हो। इस दिशा में उत्तरोत्तर सुधार भी हो रहा है। पिछले साल जितना ऋण हमने वितरित किया था उसमें शार्ट टर्म लोन में २ करोड़ रुपये की कमी हुई। पहले हमारी समितियां और जिला सहकारी बैंक ने गत वर्ष जितना ऋण वितरित किया था उसका मुख्य कारण यह है कि जिला सहकारी बैंक द्वारा मध्य-कालीन ऋण की मात्रा २ करोड़ से इस साल ४ करोड़ हो गई। मध्यकालीन ऋण के लिये ८० प्रतिशत रिजर्व बैन्क देता है, १० प्रतिशत यू० पी० कोआपरेटिव बैंक देता है और बाकी १० प्रतिशत जिला सहकारी बैंक देता है .....

श्री रामसुन्दर पान्डेय (जिला आजमगढ़)—

आप जनता से कितना सूद लेते हैं ?

श्री बनारसी दास—

सवा ८ प्रतिशत की व्यवस्था है। आप को ज्ञात होना चाहिये कि म्योर मिल के लिये हम स्टेट से ऋण ले रहे हैं, उसको ११ प्रतिशत देना पड़ेगा।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद—

साहू जैन को आप किस भाव पर देते हैं ?

श्री बनारसी दास—

मैं अर्ज करूंगा कि यदि बिना किसी ब्याज के ऋण की व्यवस्था की जाय तो हमारे श्री माधव प्रसाद जी तैयार नहीं होंगे और उसके लिये रुपया तो कहीं से जुटाना होगा। तो मैं अर्ज कर रहा था कि सवा ८ प्रतिशत का व्याज लिया जाता है।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

श्रीमन्, उद्योग विभाग से २–३ प्रतिशत पर उद्योगों के लिय ऋण दिया जाता है, तकावी भी १७ जिलों को छोड़कर ५ प्रतिशत पर दी जाती है तब किसानों को ऋण देने के लिये सहकारी विभाग ८–९ प्रतिशत की बात क्यों करता है ?

श्री बनारसीदास—

देश में जो हमारा क्रेडिट का स्ट्रक्चर है और जहां तक यह व्याज की दर का सवाल है इस नीति का निर्धारण रिजर्व बैन्क करता है। जब उन्होंने ही पैसा बढी हुई दर पर दिया तब हमारा रेट भी बढ़ गया और जो अमानत हमें देते हैं उस पर हम ६ प्रतिशत पर देते हैं और जितना धन हम वितरित करते हैं उसमें २५ या २९ करोड़ रुपया रिजर्व बैंक का होता है। बाकी की व्यवस्था हमें अपने साधनों से करनी पड़ती है, यू० पी० कोआपरेटिव बैंक या जिला कोआप-रेटिव बैन्क से। जितना भी धन हम लोग टर्म और शार्ट टर्म के आधार पर वितरित करते ह वह ५५ करोड़ के करीब है। इसमें जैसा कि मैंने अभी कहा, २५ या २६ करोड रुपया रिजर्व बैंक का होता है। हमको डिपाजिट्स पर देना पडता है जिसका एवरेज ६ फीसदी आता है लेकिन वैसे अभी अगर आप अध्ययन करें तो वस्तु स्थिति का पता चल जायगा। मैंने तो स्वयं बुन्देलखण्ड के अन्दर जाकर देखा और गांवों में भी देखा कि अगर इस ऋण को सस्ता कर दें तो लोग सूद पर रुपया उठाने का काम आरम्भ कर देंगे। जब माननीय सदस्य मुझसे मिलते हैं तो कहते है कि इन्डस्ट्रीज का लोन जो दिया जाता है उन लोगों में से १।३ लोग ऐसे ह जिन्होंने मनी लैंडिंग का काम आरम्भ कर दिया है। इसलिये श्रीमन्, यह जो हमारा इन्टरेस्ट है ....

श्री टम्बेश्वर प्रसाद—

आप कम पर्सेन्ट बता रहे हैं। हम तो उसे २/३ कह रहे हैं।

श्री बनारसी दास—

इसमें तो कोई मतभेद नहीं है। यह क्रेडिट की व्यवस्था सहकारी आन्दोलन का मुख्य अंग है। इसलिये एक नयी नीति निर्धारित की गयी है और हमारा जो सहकारी साल १९६६ होगा उसमें अमल में आयेगा। अभी तक जो किसानों को शार्ट र्म के अन्दर मीडियम टर्म के अन्दर दोनों में मिलाकर २ हजार रुपये की व्यवस्था थी। अब हमने शार्ट टर्म के अन्दर १,५०० रुपये और उसके लिये मीडियम टर्म में २,०० रुपये कर दिए। इस प्रकार से लांग टर्म को सिंचाई के साधनों पर केन्द्रित किया है यद्यपि उसमें दूसरे भी लक्ष्य थे। इस वक्त हमारा ध्यान माइनर इर्रीगेशन को बढ़ावा देने की ओर है और उसमें स्टेट गवर्नमेन्ट भी पूरी दिलचस्पी ले रही है। लन्ड डवलपमेन्ट ने पांच बार डिबन्चर फलोट किए हैं और छठा डिबेन्चर और फलोट करना चाहते हैं। इस समय सहकारिता में जनता की ज्यादा से ज्यादा आस्था बढी है। इसीलिये रिजर्व बैन्क के कानून को भी हमने माना है कि १५०० रुपये का जो डिपाजिट हों उनका इन्श्योरेन्स किया जाय ताकि डिपाजिटर्स का रुपया सुरक्षित रहे और उसकी जिम्मेदारी पूरी गवर्नमेन्ट के द्वारा हो। जब यह अमल में आ जायगा जो कि गवर्नमेन्ट आफ इंडिया के विचाराधीन है तो १५०० रुपया रखने के लिये ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा।

श्री खेम चन्द (जिला आगरा)—

इन्श्योरेन्स को बात माननीय मंत्री जी कह रहे हैं....

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी जब समाप्त कर लें तो आप अपना सवाल पूछ लीजिए। माननीय मंत्री जी बैठे नहीं हैं। आपका यह फर्ज है कि आप बीच में न टोकें।

श्री बनारसीदास—

तो श्रीमन्, मैं निवेदन कर रहा था कि सहकारी आन्दोलन का जो मुख्य कार्य है वह कृषकों को ऋण की व्यवस्था करना है। जितने भी शैडयूल बक हैं वे कृषि उत्पादन के लिये व्यवस्था नहीं करते हैं। उनके ३ अंग हैं। किसानों का उत्पादन और उनकी क्षमता इस बात पर ज्यादा निर्भर करती है कि मीडियम टर्म और शार्ट टर्म लोन उन्हें ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध हो सकें। इस दिशा में हम प्रयत्नशील हैं। जिस मात्रा में लांग टर्म और मीडियम टर्म लोन किसानों को ज्यादा मिलेगा, शार्ट टर्म उतना ही कम होता चलेगा। हम इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा किसानों की सेवा की जाय। जिला सहकारी बकों की शाखायें खुली हुयी हैं। इस समय प्रदेश में उनकी शाखायें १११ हैं। आगामी वित्तीय वर्ष के अन्दर भी हमने इस बात की व्यवस्था की है कि ३६ शाखायें और खुलें। उनके लिये सरकार ग्रान्ट इन एड देगी मनेजीरियल सबसिडी के लिय जो कि पहले साल ज्यादा होगी, दूसर साल कम होगी और वह धीरे-धीरे गिरती चली जायगी।

दूसरा मुख्य अंग सहकारी आन्दोलन का क्रय विक्रय सोसाइटीज हैं। प्रदेश के अन्दर ५०० से ऊपर मंडियां हैं जिनको गवर्नमेन्ट से मान्यता प्राप्त है लेकिन उनमें से ऐसी मंडियों की संख्या जिनमें पर्याप्त मात्रा के अन्दर किसानों के उत्पादन का माल आता है वह करीब २५० ह। जो ज्यादा अच्छी मंडियां हैं करीब १९९, उनके अन्दर हमारी मार्केटिंग सोसाइटीज कायम हैं और उन्होंने गत वर्ष और इस वर्षभी लाभ कमाया है। एक मार्केटिंग सोसाइटी को लाभ ८,००० रु० से ज्यादा होता है, इन १९९ मार्केटिंग सोसायटीज में सीधे कृषि समितियां उनसे संबंधित हैं किसानों की और वहां पर हमने उनके कर्जे को उनकी जिन्स के साथ में लिंक कर

[श्री बनारसी दास,]

दिया है और जो हमारा लक्ष्य था कि जितना मंडियों के अन्दर माल आता है हमारी क्रय विक्रय सोसायटीज उसको ज्यादा से ज्यादा हैंडिल कर सकें। १७ करोड का माल इन मारकेटिंग सोसाइटीज के द्वारा इस वर्ष दिया गया। जो माल आता है उसका १५ प्रतिशत के करीब किया है। और हमने इरादा किया है कि आगामी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में मंडियों में जितना माल आता है, मारकेटिंग सोसाइटीज उसका ४० प्रतिशत हैन्डिल कर सकें। इन मंडियों में हमने गोडाउन्स बनाए हैं। ११२ समिति के या तो अपने भवन बन गए हैं या खरीद लिये गये हैं। कुछ जगह इमारत तयार हो रही हैं। ५० जगह कोई इन्तजाम नहीं किया जा सकता है। १९२ सोसाइटीज को हमने २५ परसेन्ट ऋण और ग्रान्ट की शक्ल क अन्दर २५ हजार रुपया सैंक्शन किया है। इन मारकेटिंग सोसाइटीज के साथ-साथ तीसरी योजना में इस बात पर भी बल दिया गया कि प्रदेश की उन्नति के लिये भी इस बात की आवश्यकता है कि ऐग्रो इंडस्ट्रीज बढें, प्रोसेसिंग यूनिट्स भी बड़ी तादाद के अन्दर कायम हों। इसलिये हमने अपने प्रदेश में अब तक तीसरी योजना के काल में सात कोल्ड स्टोरेज के लिये धन की व्यवस्था की है। एक कोल्ड स्टोरेज पारसाल काम के अन्दर आया और उसको १ वर्ष के अन्दर लगभग ८० हजार का मुनाफा हुआ और उसका इजाफा किया जा रहा है। इटावा का कोल्ड स्टोरेज बन कर तैयार हो जायगा और ५ जगह जो कोल्ड स्टोरेज ह, फर्रुखाबाद, जौनपुर, गाजीपुर आदि वहां पर भी जल्दी हम आशा करते है कि कोल्ड स्टोरेज बनकर तैयार हो जायंगे।

चौथी योजना के अन्दर हम इस बात की व्यवस्था करना चाहते हैं कि तीन उत्तराखन्ड में और १५ और कोल्ड स्टोरेज हमारे प्रदेश के अन्दर बनें। आगामी बजट के अन्दर भी हम चाहते है कि ८ कोल्ड स्टोरेज नई जगहों पर कायम करें। ३ उत्तराखण्ड में और ५ प्रदेश के अन्य जिलों के अन्दर। उसके लिये सरकार की तरफ से ऋण की शक्ल में सहायता करेंगे। इसकी व्यवस्था इस बजट के अन्दर की गई है। अन्य प्रोसेसिंग यूनिटस भी हमारे प्रदेश के अन्दर हैं उनकी संख्या ८० है। बदायूं के अन्दर चूंकि मूंगफली काफी पैदा होती है इसलिय वहां पर एक वेजिटबिल आयल का कारखाना लगाना चाहते हैं और उसके लिये व्यवस्था की जा रही है। साथ ही साथ उससे संबंधित जो उद्योग हैं, जैसे साबुन आदि, जो ऐन्सिलियरी इंडस्ट्रीज हैं उनको कायम करना चाहते हैं। मूंगफली का तैल पैरने के कई जगह कारखाने कायम कर रहे ह। तैल की मिल महोबा और चिरगांव में कायम करने का प्रयास कर रहे हैं। चौथी योजना में प्रोसेसिंग यूनिट्स ज्यादा से ज्यादा कायम करने के लिय व्यवस्था की गई है, इसको प्रोत्साहन दे रहे ह। इसके लिये हमारे यहां पर एक प्रोसेसिंग एडवाइजरी कमेटी भी है जिसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं।

दूसरा मुख्य कारण सहकारिता आन्दोलन का क्रेडिट की व्यवस्था करना है। मार्केटिंग का काम, प्रोसेसिंग का काम और डेरी डवलपमेंट की व्यवस्था भी की गयी है। हमारे प्रदेश के सभी कबलस टाउन्स में आगरे को छोड़ कर चारों स्थान पर कोआपरेटिव डेरीज हैं जो दूध उत्पादन का कार्य करती हैं। आगरा के अन्दर सहकारी दुग्ध शाला है। जो दूध सप्लाई करने का कार्य करती है। चौथी पंचवर्षीय योजना में हमने मुरादाबाद के अन्दर एक दूध का कारखाना कायम करने का फैसला किया था। इस साल के बजट में २९ लाख की व्यवस्था की है। पारसाल के बजट में भी व्यवस्था की गई है। प्रदेश के अन्दर हम चाहते हैं कि पाउडर मिल्क का १० लाख का प्रोजेक्ट तैयार हो। दो और छोटे-छोटे कारखाने उसमें लगें। तीसरी पंचवर्षीय योजना में मथुरा, देहरादून, बरेली, गोरखपुर की योजनायें अग्रसर हो रही हैं हम आशा करते हैं कि शीघ्र ही वे कार्यान्वित होंगी। जहां तक देहरादून का सवाल है तथा बरेली का, उन में काफी कार्य हो चुका है। जहां तक गोरखपुर और मथुरा के प्रोजेक्ट का सवाल है ऐसे ही वहां प्रोजेक्ट तैयार हो जायेंगे जैसी कि बजट में व्यवस्था की गई है जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि उनको कार्यान्वित किया जाय। दिल्ली मिल्क सप्लाई यूनियन के जो १० केन्द्र हैं हम चाहते हैं कि उनमें तरक्की हो। कोआपरेटिव डेयरी यूनियन्स और बने जिससे किसान

अच्छी नस्ल के मवेशी खरीद सकें और उसके लिये हमने १५ लाख रुपये मीडियम टर्म लोन के लिये रखे हैं। इस प्रकार डेरी डेवलपमेंट के द्वारा हमारे प्रदेश की समुचित उन्नति हो सकती है। उससे लोगों को मौका मिलेगा। अलीगढ़ में जैसे ग्लेक्सो का कारखाना है उसी प्रकार हरद्वार में भी हम चाहते हैं कि मिल्क यूनियन बने ताकि वहां लोगों को दूध मिल सके। हरद्वार में हेवी इलेक्ट्रीकल्स का काम होने से दूध काफी तादाद में बढ़ गया है इसलिये वहां पर दूध के लिये समिति कायम हो और वहां की जनता को दूध सप्लाई किया जा सके। इसलिये जगह-जगह दूध टेस्ट करने, शेड्स बनाने और फाडर आदि सप्लाई करने और दूसरे यंत्र खरीदने की व्यवस्था की जाय। चेक कटर्स किसानों को उपलब्ध किये जायं। इसके लिये बजट में व्यवस्था की गयी है। तृतीय पंचवर्षीय योजना में जो भी धन इसके लिये रखा गया था जितनी भी योजना थी वह काफी कम रही लेकिन पिछले ५ वर्षों में ५१ प्रतिशत का यूटिलाइजेशन हो सका और ७२ लाख रुपया कम खर्च हुआ। इसका मुख्य कारण यह था कि स्टाफ में इकोनामी की, आगे की भरती बन्द कर दी। प्रेस कायम करना चाहते थे उसे खत्म कर दिया। दूध विकास की योजना सहकारी क्षेत्र के अन्दर मुख्य अंग है।

पांचवां सबसे बड़ा कार्य उपभोक्ता भंडारों का खोलना है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में इसकी व्यवस्था की गई थी लेकिन चीन के आक्रमण के हो जाने से संकट कालीन परिस्थिति पैदा हुई। उस समय कंज्यूमर्स कोआपरेटिव स्टोर्स पर विशेष बल दिया गया ताकि कीमतों को कायम रखने में मदद मिले और लोगों को शुद्ध चीजें मिल सकें और उनके अन्दर मिश्रण न हो और उनकी क्वालिटी बेटर हो। साथ ही साथ व्यापारियों को मुनाफे की मनोवृत्ति पर सहकारिता के जरिये से थोड़ी रोक लगायी जा सके।

१९६२ की संकटकालीन स्थिति के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक योजना बनाई थी जिसके मुताबिक प्रदेश के तमाम नगरों में जिनकी संख्या २७ है और जिनकी आबादी ५० हजार से ज्यादा है उनमें उपभोक्ता भंडार और प्राइमरी स्टोर्स कायम किये जायं और सेंट्रल गवर्नमेंट ने फैसला किया कि जितना अंश जनता का होगा उतना ही गवर्नमेंट भी देगी प्राइमरी स्टोर्स के लिये भी रखा और ट्रक वगैरह खरीदने तथा बिल्डिंग वगैरा के लिये दो लाख रुपये का की व्यवस्था की गई जिस से स्टोर्स कायम हो सकें। सभी जगह पर यह स्टोर्स कायम हो गये हैं और काम करने लगे हैं। इस नीति को और विस्तृत करने के लिये सुधार किया गया है। अब इन नगरों में ही नहीं जिनकी आबादी ५० हजार से ज्यादा है बल्कि उन सभी नगरों में यह उपभोक्ता भंडार कायम किये जायेंगे जिन नगरों की जन संख्या १० हजार से ज्यादा है। जो जगह-जगह पर अपनी शाखायें कायम करेंगे जनता को सस्ती और मुनासिब कीमत पर चीज देने के लिये।

श्रीमन्, देहात में सहकारी समितियां उपभोक्ता भंडार का काम कर सकेंगी। मारकेटिंग सोसाइटीज अपने सदस्यों को मुनासिब दाम पर चीजों के सप्लाई करने का काम करेंगी। इसमें विस्तार किया गया है। इसी तरह से इन भंडारों को सहायता देने के लिये ट्रेनिंग की भी व्यवस्था की गई है।

हमारे सहकारी आन्दोलन का एक प्रमुख अंग है सहकारी कृषि। इसके बारे में राजनीतिक पार्टियां काफी मतभेद रखती हैं। लेकिन सरकारी कृषि ही एक ऐसा जरिया है जिससे कि हम प्रदेश के अन्दर कृषि उत्पादन के बढ़ाने की आशा कर सकते हैं और अलाभकर जोतों को मिटा सकते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना के काल तक कृषि समितियों की संख्या ३८७ थी। हमने तृतीय पंचवर्षीय योजना में निश्चय किया था कि ४५ प्रोजेक्ट बनायेंगे जिनके अन्दर हर जगह कृषि समितियां होंगी। कुछ ऐसे भी क्षेत्र थे जहां अपने आप लोग इन समितियों को कायम करेंगे। अब इसका अन्तिम वर्ष है और इन समितियों

[श्री बनारसीदास]

की संख्या ३८७ है बढ़कर १,२६३ हो गई है। इन सोसाइटियों में भूमि १,५२,२४४ एकड़ हैं। इस वर्ष भी हमने व्यवस्था की है कि और ज्यादा समितियां बनाई जायं। चौथी योजना अभी अमल में आई नहीं है। लेकिन हमारा इरादा है कि ५०० सोसाइटीज और कायम करें। लेकिन इस योजनाकाल में इस बात पर हम अपनी शक्ति केन्द्रीभूत करना चाहते हैं कि हम अपनी कृषि समितियों को आदर्श समितियां बनायें। इसलिये हमने इसके लिये एक कार्यक्रम निश्चित किया है कि ये समितियां शुद्ध बीज शतप्रतिशत पैदा करें, शत प्रतिशत सिंचाई की व्यवस्था कर और कोई न कोई एग्रो इंडस्ट्री कायम करें जिनमें पोल्ट्री, डेयरी और प्रोसेसिंग का काम हो और अपने यहां शुद्ध यंत्रों का काम करें तथा गोबर गैस प्लांट लगायें और इसके साथ ही साथ इंसेक्टीसाइड के वितरण की व्यवस्था करें। यह ६ सूत्री कार्यक्रम हमने रखा है। हम चाहते हैं कि यह समितियां आदर्श बनें। मैं यह तो दावा नहीं कर सकता हूं कि यह पूरी तौर से कामयाब हो गई है परन्तु काफी कामयाब हुई हैं और साथ ही साथ यह भी इंकार नहीं किया जा सकता है कि सही दिशा में यह एक कदम है। इनकी सफलता या असफलता विभाग पर निर्भर नहीं है बल्कि सदस्यों पर या जो इनमें विश्वास करते हैं उनके ऊपर निर्भर है। इसके लिये हर क्षेत्र में अगर जनता के प्रतिनिधि दिलचस्पी लें तो हमारे प्रदेश में ४३० विधान सभा के क्षेत्र हैं तो वे एक-एक आदर्श समिति बनाने का प्रयास करें तो मैं समझता हूं कि इस से जनता को एक प्रोत्साहन मिल सकता है और साथ ही साथ पथ प्रदर्शन भी मिल सकता है। इन समितियों में हल के अन्दर जो जमीन है वह करीब डेढ़ लाख एकड़ है जो देखने में नगण्य लगती है लेकिन यह आधार बन सकती है। जब कि जमीन बटती चली जा रही है, जब कि हमको जरूरत है कि शत प्रतिशत सिंचाई हो, औसतन अन्न की पैदावार बढ़े, तो कोई चारा नहीं है इसके सिवा और यह शुद्ध जनतंत्र के आधार पर आश्रित है। जिन्होंने समितियां बनाई हैं हो सकता है वह गलती भी करें लेकिन गलती एक सीढ़ी बन सकती है अगली कामयाबी के लिये। जो हमारा सबसे बड़ा काम है वह प्रशिक्षण का है। कोआपरेटिव यूनियन इस काम को करती है। हमारे सहकारिता संगठन की रीढ सुपरवाइजर है। वह किसके नियंत्रण में हो, किसका कर्मचारी हो इसके बारे में परस्पर विरोधी विचार व्यक्त किये जाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सुपरवाइजर्स को सहकारी नौकर बना दिया जाय, ताकि अधिक नियंत्रण हो सके।

(इस समय १ बजकर २ मिनट पर अधिष्ठाता [श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट पीठासीन हुये।)

कुछ का कहना है कि ट्रांसफर कर दिया जाय। इस पर गम्भीरता पूर्वक विचार कर रहे हैं कि सुपरवाइजर पर किस व्यक्ति का या संस्था का नियंत्रण हो ताकि संगठन का कार्य सुव्यवस्थित रूप से कर सकें। जैसा कि प्रदेश के सहकारी आन्दोलन में काम करने वालों का बहुमत होगा उसके अनुसार फैसला करें। हम सोच यह रहे हैं कि इन लोगों की सर्विसेज जिला बैंकों, प्राविंशियल कोआपरेटिव बैंकों या कोआपरेटिव फेडरेशन को ट्रांसफर कर दें। यह प्रश्न विचाराधीन है। बहुत जल्द इस पर फैसला किया जायगा। साथ ही इस बात की व्यवस्था की जायगी कि जो संस्थायें सुपरवाइजर्स को रखें वह उनके लिये कंट्रीब्यूशन दें। हम अपने नियमों में दे सकते हैं, हमारे ऐक्ट में अधिकार है कंट्रीब्यूशन की व्यवस्था करने का ताकि उनकी तनख्वाहों की समुचित व्यवस्था हो सके। आशा की जाती है निकट भविष्य में सुपरवाइजरों की अव्यवस्था के सम्बन्ध में जो शिकायत की जाती है वह जल्दी दूर हो जायगी और उसके बाद यह आन्दोलन जनता की ज्यादा सेवा करने में समर्थ हो सकेगा।

हमारा आन्दोलन सुव्यवस्थित हो, समाज के कमजोर तबके की मदद कर सकें इसके लिये बैड डेट फंड काय किया गया है ताकि जिन लोगों के पास जमानत देने के लिये नहीं है,

खेतिहर मजदूर, रिक्शापुलर्स, या लेबर यूनियन के लोग हैं, या छोटे खेतिहार हैं इनको समिति कर्जा तभी दे सकती है जब समिति खतरा उठाये उसके लिये एक फंड होना चाहिये जिसमें सोसाइटी अपने लाभ का १० प्रतिशत रखेगी और साथ ही गवर्नमेंट भी इस फंड को मजबूत बनाने की कोशिश करेगी।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

सुपरवाइजर्स की तनख्वाह बढ़ा कर अगर कंट्रोल कर लें तो बड़ा अच्छा हो। उन पर कंट्रोल नहीं है।

श्री बनारसीदास—

हमने गारंटी और रिलीफ फंड कायम किया इसलिये कि आये दिन दैवी विपत्तियां आती हैं। इस फंड में करीब करीब १५ लाख रुपया हो गया है। हमारे बजट में छः लाख रुपये बढाने का विधान किया गया है। कंट्रीब्यूशन के जरिये से यह फंड बढ़े ताकि फसल खराब होने पर कर्जे को माफ किया जा सके या सहायता दी जा सके।

तीसरे, सहकारी आन्दोलन को सुदृढ बनाने के लिये क्रेडिट स्टैबिलाइजेशन फंड कायम किया है वह इसलिये कि प्रायः कर समितियों अपने कर्जे वक्त पर अदा नहीं कर सकतीं। इसलिय डिफाल्टर हो जाती ह। तो इस फंड से जो सोसाइटियां अपनी कठिनाइयों की वजह से कर्जा नहीं अदा कर पायेंगी उनको कर्जा दर्मियानी मुद्दत के कर्जे के अन्दर तब्दील हो जायगा। और क्रेडिट स्टेबिलाइजेशन फंड से कर्ज अदा होगा। इन तीनो फंडों से हमारे सहकारिता आन्दोलन को सहायता मिलेगी।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

आपने एक आर्मी आफ आफिसर्स रजिस्ट्रार, डिप्टी राजिस्ट्रार असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार्स की रखी है। उस पर भी आपने विचार किया। यह देहातों में यह जायं काम कभी होता नहीं। बड़े-बड़े आफिसर्स दौरा करें। देखिये कि वे कितना दौरा करते हैं। उससे बड़ा लाभ होगा।

श्री बनारसीदास—

हमारे यहां एक रजिस्ट्रार हैं, ऐडीशनल रजिस्ट्रार क्रेडिट को देखते हैं। सिर्फ तीन हैं। उपभोक्ता भंडार को देखते हैं। हमारे रजिस्ट्रार तो प्रायः हफ्ते में कम से कम पांच रोज टूर ही करते हैं। असिस्टट रजिस्ट्रार ५१ हैं। इस बात का और ज्यादा प्रयास किया जायगा। बराबर आदेश दिये हैं कि वह देखें। हमने आदेश दिये हैं कि प्रत्येक सोसाइटी के सदस्य की एक पास बुक होगी जिसमें कर्जा दर्ज होगा। प्रत्येक ए० डी० ओ० कोआपरेटिव को वैरीफाई करना पड़ेगा। साथ ही यह भी देखेंगे कि कर्जे का ठीक यूटिलाइजेशन हुआ या नहीं और वसूल-याबी हुई या नहीं। हमने खरीफ और रबी का लोन दिया है उसके लिये ३० अप्रल और ३० जून की तारीखें मुकर्रर की हैं। इस से फर्जी एंट्री बहुत हद तक कम होंगी।

हम चाहते हैं कि अगले साल लेबर कोआपरेटिव सोसाइटीज, रिक्शा पुलर्स, आटोरिक्शा पुलर्स की सोसाइटीज बनायें जिस से उनका शोषण न हो। उसमें कुछ कठिनाइयां हैं। इसके लिये जब तक गैर सरकारी लोगों का सहयोग नहीं होगा लेबर कोआपरेटिव सोसाइटीज में आशातीत सफलता नहीं हो सकती है।

कोआपरेटिव आन्दोलन के मुख्य-मुख्य अंगों के बारे में मैंने संक्षेप में चर्चा की। सदन का ज्यादा वक्त लेना मेरे लिये मुनासिब नहीं होगा। मैं आशा करता हूं कि नये विधेयक के अमल में आ जाने से सहकारी आन्दोलन में जो कानूनी त्रुटियां थीं वह पूरी होंगी। इस आन्दोलन को

[श्री बनारसीदास]

सभी का सहयोग अपेक्षित है। मुझे आशा है कि सदन की सभी पार्टियों का इस में सहयोग मिलेगा और यह आन्दोलन तेजी से आगे बढ़ेगा।

श्री कमलासिंह यादव--

आपका यह कहना है कि किसानों का कल्याण कोआपरेटिव ढंग से होगा और राजस्व मंत्री कहते हैं कि चकबन्दी से होगा। माननीय मंत्री जी तय कर दें।

श्री अधिष्ठाता--

आप जब अपना भाषण दें तो उसमें उस समय कह दें, उसमें अपनी शंकाओं का समाधान कर लें। बीच में इस तरह से पूछना ठीक नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

मैं एक सवाल करना चाहता था। माननीय मंत्री जी ने अपने लम्बे भाषण में वहीं भी यह चर्चा नहीं उठाई कि उनके विभाग में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है उसको रोकने के लिये उन्होंने कौन-कौन तरीके अपनाये हैं और कौन-कौन से अफसर उसकी गिरिफ्त में आये हैं। जौनपुर ऐसे एक स्थान पर ५ लाख का गबन है और एक एसा हड क्लर्क है जो १० साल वहां पर रहा लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई और जो श्रीमन्, लखनऊ में गृह मंत्री बैठे हैं--

(व्यवधान)

मैं यही कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी भ्रष्टाचार पर ध्यान दें और उनके जो अधिकारी हैं वह सोसाइटियों में हस्तक्षेप करते हैं। मैं एक गोरखपुर का उदाहरण देना चाहता हूं वहां जो डिप्टी रजिस्ट्रार हैं उसने घोसी कोआपरेटिव सोसाइटी में जाकर बड़ा हस्तक्षेप किया।

श्री बनारसीदास--

माननीय नेता संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ने जो प्रश्न उठाये हैं और आगे भी-जो जो माननीय सदस्य प्रश्न उठायेंगे या आक्षेप करेंगे उन सबका उत्तर मैं अन्त में दूंगा।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)--

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय मंत्री जी ने अनुदान सदन के समक्ष प्रस्तुत किया, उसके बाद मान्यवर, यह परम्परा है और अनिवार्य भी है जहां तक मैं समझता हूं कि यदि कटौती का प्रस्ताव कोई है तो उपस्थित किया जाये। माननीय पांडेय जी ने जो प्रश्न किये हैं उसे सदन की कार्यवाही का अंग किस रूप में बनाया जायेगा। इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता--

यह सदन की कार्यवाही के अंग जरूर रहेंगे। इस प्रकार से मंत्री जी के अनुदान उपस्थित करने के बाद बोलना न असंसदीय है न अस्वभाविक लेकिन उचित यह है कि जब मंत्री जी बोल चुकें तो हाऊस को क्वीश्चन आवर बना लेना ठीक नहीं है। जो भी शंकायें हों या प्रश्न हैं भाषण के द्वारा आने चाहिये और माननीय मंत्री जी जब बाद में भाषण देंगे तो वह उनका जवाब दे देंगे, लेकिन वह हाऊस की प्रोसीडिंग के भाग जरूर रहेंगे।

*श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)--

अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २३--सहकारिता के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सहकारिता के नाम पर सरकारी एकाधिकार की मनोवृत्ति के खिलाफ ठोस सुझाव देना ।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने आदरणीय मंत्री जी की बात बड़े गौर से सुनी, एक एक शब्द सुना। मैं तो इस विधेयक की ज्वायन्ट सेलेक्ट कमेटी में था। १४–१५ मीटिंग उसकी नैनीताल से लेकर आखिर तक हुई। एक बिल भी बना कर रखा और वह यहां भी पास हुआ और मैंने सुना है कि उस पर राष्ट्रपति ने अपने दस्तखत नहीं किये क्योंकि उसमें फिर कोई कानूनी खामी रह गयी थी। मेरा खयाल है कि अभी उसमें दो साल और लग जायेंगे। माननीय मंत्री जी ने जो कुछ अपने भाषण में कहा है वह तो इस पुस्तक से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। उस मुहकमें की किताब मेरे पास है। यह मुहकमा ऐसा है जिसकी यदि मैं आलोचना करने लग जाऊं तो अतिशयोक्ति हो जायेगी और इस सदन में वातावरण भी कड़ुवा हो जायेगा और यदि सही बात भी होगी तो सरकारी पक्ष अवश्य कहेगा। मैंने सारी दुनिया के समाजवादी देशों का इतिहास पढ़ा है, जहां पर सहकारिता समाजवाद की आधार शिला है। हिन्दुस्तान के सहकारिता आन्दोलन को जब मेरे जैसा आदमी देखता है तो वह उसे शीशे का महल मालूम पड़ता है, जो कहीं और कभी टूट सकता है, फूट सकता है, उसमें कहीं भी विस्फोट हो सकता है। नैनीताल में मैंने उनको एक परिभाषा मनवाई थी। उस दो दिन की बहस के माधव प्रसाद जी त्रिपाठी गवाह हैं। बड़ी बहस के बाद यह परिभाषा सहकारी आन्दोशन की उसमें मानी गई कि जिसकी सदस्यता सदस्य की इच्छा पर निर्भर होती है, जिसमें सुविधाओं का उपभोग करने वाला ही संस्था का मालिक होता है, जिसमें कार्य संचालन एक आदमी का एक वोट के सिद्धान्त के आधार पर चलाया जाता है किन्तु जो हम प्रजातंत्र के युग में अपने प्रदेश में सहकारी आन्दोलन चला रहे हैं वह उपरोक्त बुनियादी सिद्धान्तों से सर्वथा भिन्न है।

माननीय मंत्री जी ने अभी बड़ी-बड़ी बातें कहीं। आपके महकमे का सार यह है कि आप जिस सोसाइटी द्वारा काम करते हैं उसमें आपने स्वयं कमियों को माना है। आपके यहां इतनी सहकारी समितियों के द्वारा सहकारी काम चलता है। वे इस प्रकार से हैं : सहकारी क्रय-विक्रय समिति, उत्तर प्रदेश सहकारी संघ, उत्तर प्रदेश संग्रहागार निगम, सहकारी बीज भंडार, सहकारी उपभोक्ता भंडार, सहकारी खेती, सहकारी दुग्ध योजनायें, सहकारी उपनिवेशीकरण योजना, राजनैतिक पीड़ितों और भूमिहीनों को बसाना, श्रम सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश सहकारी यूनियन, सहकारी शिक्षा योजना, सहकारी प्रशिक्षण, सहकारी प्रसार योजना। इससे ज्यादा आपके यहां नहीं है। इन सब का विवरण मैं आपके सामने रखता हुं कि इन में किस तरह से काम हो रहा है। आपने अपनी इस रिपोट म लिखा है कि प्रदेश की शीर्षथ सहकारी संस्थाओं ने अपने अधीनस्थ विभिन्न सहकारी कार्यक्रमों में ठोस प्रतिफल प्रदर्शित किये। सहकारी वर्ष १९६३–६४ के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक की अंश पूंजी ३४४.१८ लाख रुपये से बढ़ कर ३८६.४६ लाख रुपये हो गई। गत ३० जून को समाप्त होने वाले सहकारी वर्ष में बैंक की अंश पूजी ४०२.०६ लाख रुपये हो गई। बैंक की कुल निजी पूजी सहकारी वर्ष १९६२–६३ के अन्त में ४४४.६२ लाख रुपये थे जो वर्ष १९६३–६४ में बढ कर ५१२.५१ लाख रुपये हो गई तथा सहकारी वर्ष १९६४–६५ में ५४६.८३ लाख रुपये हो गई। यह आपने एक छोटा सा नोट लिख दिया है। आपक यहां जो इस समय साधन सहकारी समिति हैं प्रारम्भ में विभाग से सबको सहायता मिलती है। एक काश्तकार अगर सोसाइटी का मेम्बर शुरु में बनता है तो १०० रुपये का हिस्सा उसको जमा करना पड़ता है। उसको ५०० रुपया बाद में कर्जा दिया जाता है। यह मेरे जिले की ही बात नहीं है लेकिन मैं उदाहरण के लिये कहता हुं कि उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि सारे भारतवर्ष में मथुरा का सहकारी बैंक सर्वश्रेष्ठ बैंक कहा जाता है। पं० जवाहर लाल ने उसको सर्वश्रेष्ठ बैंक कहा था। बनारसी दास जी ने उसको ऐसा कहा है या नहीं।

[श्री राधेश्याम शर्मा]

यह मैं नहीं जानता लेकिन मथुरा का सर्वश्रेष्ठ बैंक कहा जाता है । मैं आपको बतलाऊं कि उस बैंक की क्या हालत है ? हमने जो नया कानून पास कर दिया है अगर वह कानून लागू हो जाता तो काफी सुधार हो सकता था । लेकिन अभी उसमें साल दो साल लग सकते हैं । आज क्या हो रहा है ?

साधन सहकारी समितियों की मान्यवर, सारे प्रान्त में वही हालत हो रही है जो मथुरा के बैंक की हो रही है । मैंने पारसाल भी कहा था कि अगर माननीय मंत्री जी, यह गलत हो तो आप जांच कर लीजिये लेकिन इसकी जांच कोई करने वाला नहीं है । कह देते हैं कि ये तो स्वचालित संस्थाये हैं । सदन की एक पी० ए० सी० कमेटी है । वह सहकारी आन्दोलन की जांच करना चाहती थी । उससे कहा गया कि अगर कोई गड़बड़ हो तो बताइये । उनको कहा कि वे अपने आप चलने वाली संस्थायें हैं। माननीय चतुर्भुज शर्मा जी जब मन्त्री बने रहते हैं तो पोल खोलते नहीं लेकिन जब वह मन्त्री पद से हट जाते हैं तो सदन में बताते हैं कि यह गड़बड़ हो गई । उसके बाद वह बनारसीदास जी की तरह से बड़े भारी शब्दों में उनकी तारीफ नहीं करते और जिस वक्त वह अपने मंन्त्री पद से हट गये तो इस आदरणीय सदन में एक साल बाद ही उन्होंने कहा कि डेढ़ करोड़ रुपये का गड़बड़ घोटाला पी० सी० एफ० में है और उसकी जांच होनी चाहिये । मैं माननीय बनारसीदास जी से कहता हूं कि हमारी बात को तो छोड़ दीजिये लेकिन आपके ही साथी जो कल तक मंत्रि मंडल के सदस्य थे, उनकी बात को मानकर ही इसकी जांच करा लीजिये वरना इससे जनता में जो एक बड़ा भारीभ्रम फैला हुआ है वह दूर नहीं हो सकता है । वरना इसके लिये जितना ही कहा जाय वह कम ही है । आपके साधन सहकारी समितियों में ट्रान्सफर एंट्री होती है । आपके सर्वश्रेष्ठ बैंक की हालत यह है कि संचालक महोदय ही वहां के सर्वे सर्वा हैं । वहां बैंक में रुपया जमा नहीं होता है, सिर्फ कागज पर फर्जी एंट्री हो जाती है कि ३० जून के पहले की यह स्थिति है । दूसरी सोसाइटीज को, जो रुपया दिया जाता है, उसका परसेंटेज तय करके उसमें से व्याज काट लिया जाता है ।

मान्यवर, मैं तो समाजवादी होने के नाते सहकारी आन्दोलन का हामी हूं और जीवन के हर क्षेत्र में सहकारिता देखना चाहता हूं लेकिन जब सहकारिता के जरिये पुराने साहूकारों का जुल्म भी मात हो जाता है तो बड़ी तकलीफ होती है। सवा ८ परसेंट से पौने ९ परसेंट तक सहकारी बैंकों के जरिये सूद लिया जाता है जबकि पुराने साहूकार २–३ परसेंट पर ही रुपये देते थे । इससे ज्यादा कहीं नहीं है और फर्जी एंट्री का सबसे अच्छा नमूना जो आपके सर्वश्रेष्ठ बैंक में देखने को मिलता है वह यह कि ५० रु० का ५०० रु० लिख देना तो बहुत ही आसान है । मैं इस तरह के अभी ८ प्रमाण दे सकता हूं, आप चाहें तो इसकी जांच करा लीजिये । हमारे जिले की शाहाबाद तहसील के ही आपके सर्वश्रेष्ठ बैंक के संचालक महोदय हैं । अगर आपकी किसी से लड़ाई हो जाय, किसी मामले में भी तो वे आपको किसी न किसी मामले में गलत ढंग से फंसा सकते हैं । सुपरवाइजर तो जैसे उनके आका ही हैं । उसकी अपील सुनने वाला कोई नहीं होता है, यहां तक कि रजिस्ट्रार भी उसमें कुछ नहीं कर सकता है। वहां इस तरह का फर्जी काम होता है कि जैसे माननीय जगदीश शरण जी अग्रवाल के नाम पर किसी ने रुपया ले लिया और वहां उन का फर्जी दस्तखत भी करा लिया गया और माननीय जगदीश शरण अग्रवाल को इसका पता तक नहीं है कि हमें किसी को एक पाई भी देना है, और इसतरह से उनसे रुपया वसूल किया जा सकता है क्योंकि पिछली किसी रंजिश का बदला लेना है । इस तरह से जब डिग्री हो जाती है तो उसे देना ही पड़ता है । उसको कोई सुनने वाला नहीं है । इसीलिये मैं कहता हूं कि आप इस सर्वश्रेष्ठ बैंक की जांच करा लीजिये । मैं आपको बतलाऊं कि इस तरह से करीब साढ़े तीन हजार मामले ऐसे हैं जिनके ऊपर एक पाई भी कर्जा नहीं है लेकिन ऊपर से नीचे तक उनपर डिक्री कराके उनसे रुपया वसूल हुआ और कई जेलों तक में डाल दिये गये । यह बात मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं । जब इस तरह की कोई बात कही जाती है तो उसको कोई सुनता ही नहीं है ।

माननीय बनारसी दास जी ने कहा कि हम सहकारिता आन्दोलन जीवन के हर क्षेत्र में देखना चाहते हैं । लेकिन जब उस सम्बन्ध में कोई प्रश्न उठाया जाता है तो उसका जवाब मिलता है कि वह आटोनामस बाडी है, स्वसंचालित संस्था है । मैं कहता हूं कि फिर आप यहां बजट क्यों पेश करते हैं, उनके लिये रुपया क्यों मांगते हैं, उनके आफिसरों के कार्य के लिये रुपया क्यों रखते हैं ? अगर यह कहा जाय कि सारे भारतवर्ष में यह चारित्रिक दोष है, तब तो बात दूसरी है लेकिन जो राज्य करने वाले लोग हैं, जो शासन करता है, उसकी एक आंख में गुस्सा और एक आंख में दया होनी चाहिये । गुस्सा जोर जुल्म के लिये और दया गलत कामों को रोकने के लिये । हालत यह है कि आपके मुहकमें में खासतौर से यह हालत है, सहकारिता समितियों में लगे हुये लोग इस चीज को ढूंढ़ा करते हैं कि खाने कमाने का जरिया कहां और कैसे मिल सकता है । तो आपके कोआपरेटिव आन्दोलन की यह सारी शकल है । यह पिक्चर है आपके को-आपरेटिव आन्दोलन की ।

श्रीमन्, मेरे पास सारे प्रदेश से अलग-अलग जिलों से तमाम पत्र आयें ह, जौनपुर से, बलिया से, गाजीपुर से, अनेक जिलों से आये हैं । ५ की जगह ५ हजार लिख दिया, १५ की जगह १५ हजार कर दिया, और इसी तरह की गड़बड़ियां हुई हैं । अधिष्ठाता महोदय, विभाग के आफिसरों के खिलाफ भी चिट्ठियां आयी हैं । सदन की गरिमा को सामने रख कर तथा आज के भाषण को, इस बहस को, संतुलित रखने के खयाल से मैं उनको पढ़ना नहीं चाहता । उनको पढ़ने से इस सदन की और अपने प्रदेश की बदनामी मैं महसूस करता हूं । मैं आज केवल जनरल बातों की ओर ही माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा ।

अधिष्ठाता महोदय, मेरे पास यह एक्सट्रैक्ट है आडिट रिपोर्ट आफ दि कोआपरेटिव डिपार्टमेंट की है । इसमें लिखा है––

"It would be seen from the above facts that there was an unspent balance of Rs. 1,52,992/- on 31-3-1962 was not brought to the notice of Government by the Union which was seriously irregular."

इस तरह की इर्रेगुलरिटी सारी जगह पर हैं । इसके बाद मैं माननीय अधिष्ठाता महोदय, कृषि फार्मों पर आता हूं । माननीय बनारसी दास जी ने कृषि सहकारी फार्मों की बात बड़े जोर से कही है । मैं भी उसका हामी हूं । मैं चाहता हूं कि कृषि सहकारी समितियां प्रदेश में पनपें । पर मान्यवर जरा उसका नक्शा आप देखें । सन् १९६० में ३८७ सहकारी समितियां थीं । उनकी सदस्य संख्या ८,४०० थी । उनके अन्तर्गत भूमि का क्षेत्रफल ८३,००० एकड़ था । उनकी हिस्से की पूंजी २३,२९,००० रुपये थी । उनकी निजी पूंजी २९,३०,००० रुपये थी और उनकी कारोबारी पूंजी ७४,२८,००० रुपये थी । सहकारी खेती १९६०–६१ में ८२,५६३ एकड़ में थी, १९६१–६२ में ९६,२०९ एकड़, १९६२–६३ में १,१०,००० एकड़ । तीनों वर्षों का एवरेज क्षेत्रफल ९६,५३६ एकड़ होता है । उसके कुल उत्पादन का मूल्य ५०,७६,००० रुपया होता है । इसका अगर हिसाब जोड़ें तो केवल ५०–५२ रुपया प्रति एकड़ पहुंचता है । इसका मतलब यह हुआ कि ४ मन प्रति एकड़ से अधिक उत्तर प्रदेश में जहां सहकारी फार्म हैं, उनकी पैदावार नहीं है, जब कि साधारण किसान ८ मन प्रति एकड़ या इससे ज्यादा पैदा करता है । सहकारी खेती पर जहां कि आप कई तरह के अनुदान देते हैं, तरह तरह की सहायता देते हैं, वहां पर प्रति एकड़ पैदावार इतनी कम है और एक साधारण किसान जिसको आप कोई अनुदान नहीं देते, पैदावार ८ मन प्रति एकड़ है । जब तक सहकारी कृषि में १६ मन प्रति एकड़ कम से कम पैदा न हो तब तक सहकारी फार्म आपके सफल नहीं कहे जा सकते । माननीय गौतम जी ने अपने समय में एक दिन में १० हजार समितियां बना दीं और नेहरू जी द्वारा उद्घाटन भी हो गया । मगर जब सारे प्रदेश में उसकी जांच हुई तो वह सब फर्जी निकलीं । इस तरह से आपका आन्दोलन सफल नहीं हो सकता । मैं आपसे जोरदार शब्दों में कहता हूं कि यदि आप कोआपरेटिव फार्मिंग बढ़ाना चाहते हैं तो आपको इंसान में कोआपरेटिव के लिये आस्था

[श्री राधेश्याम शर्मा]

पैदा करनी होगी । उसके विरोध में जो एक वातावरण है, उसे मिटा कर लोगों में उसके प्रति विश्वास की भावना उत्पन्न करें और इस बात का प्रयत्न करें कि सहकारी खेतों में ८ मन की जगह १६ मन प्रति एकड़ के हिसाब से पैदावार हो ।

श्री अधिष्ठाता—

आप शीघ्र समाप्त करें । दस मिनट में आप समाप्त कर दें ।

श्री राधेश्याम शर्मा—

मुझे तो आपकी १२, १३ तरह की सोसाइटियों की आलोचना करनी है । माननीय बनारसीदास जी ने कहा कि हम तीन तरह के कर्ज देते हैं—अल्पकालीन, मध्यकालीन, और दीर्घ-कालीन । अब मैं पहले आप का भूमि बन्धक बैंक लेता हूं । पहले काश्तकारों को ५, ६ या ७ सौ रुपये कुंवा बनाने के लिये मिलता था । आप ने कहा कि हम दीर्घ-कालीन ऋण दे कर किसान की हालत सुधारेंगे । इस का एक फार्म है जो भूमि बंधक बैंक में मिलता है । उसका दाम है ४० पैसा । उसे आप अगर देखें तो तबियत परेशान हो जायगी । उस फार्म में ५८ खाने हैं और बहुत से खाने उस के बेकार हैं । एक खाने में लिखा है कि कर्ज किसान किस लिये ले रहा है, दूसरे में है कि उस की आमदनी क्या है, तीसरे में है कि उस के बच्चे कितने हैं ? यह क्या पागलपन की बातें हैं ? इस में ५, ६ खाने तो बिलकुल बेकार हैं । काश्तकार बेचारा ब्लाक में जा कर इस फार्म को खरीदता है । मेरे जिले का कलेक्टर रिपोर्ट कर रहा था कि मैंने ९०० कुंवों के लिये १ करोड़ रुपया बांट दिया । मैंने ५,००० काश्तकारों के बीच जहां कि जिले का कलेक्टर, डी० पी० ओ० और दूसरे अफसर भी मौजूद थे और प्रदेश की मुख्य मंत्री जी भी वहां विराजमान थीं, काश्तकारों से पूछा कि भाई, लैंड मार्गेज बैंक से ५००० रुपये का जो कर्जा तुम को मिलता है उस में से कितना तुम को मिलता है तो लोगों ने वहीं कहा कि हम को तीन, साढ़े तीन हजार ही मिल पाता है । जिले के अफसरों का मुंह इतना सा रह गया और वह कहने लगे कि इसमें यह कटौती होती है, वह कटौती होती है । मैं मानता हूं कि ६६ रुपया फीस देने के बाद अगर ४०० रुपया और निकाल दिया जाय तो भी तीन हजार से ज्यादा कर्ज उसे मिलना चाहिये । यह कोई पार्टी का सवाल नहीं है, यह तो व्यवहार की बात है । आप किसी भी जिले में जाकर देखें, किसी भी मजमे के बीच में काश्तकारों से पूछ लें आप को यही जवाब मिलेगा और अगर यह जवाब न मिले तो मैं कोई भी सजा पाने के लिये तैयार हूं। जिन क्षेत्रों में चकबन्दी हुई है वहां लैंड मार्गेज बैंक से कर्जा लेना एक पहाड़ जीतने के बराबर है । उसमें नक्शा नम्बर २३ और खसरा और खतौनी से भी लिखवाना पड़ता है । तो मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि एक करोड़ रुपया आपने मथुरा जिले के लिये लैन्ड मार्गेज का दिया । नौ सौ कुंओं की बात की । अगर मान्यवर, पूरा एक करोड़ लग गया होता तो नौ सौ की जगह उन्नीस सौ कुंवें लग जाते। सरकार रुपया भी दे रही है परन्तु उसका उपयोग काश्तकार के लिये नहीं होता है । अगर आप इसके लिये जांच बिठला दें तो मान्यवर, सारे प्रदेश के अन्दर एक तिहाई रुपया कम से कम ब्लाक के कर्मचारी, चकबन्दी के कर्मचारी और आपके जो कोआपरेटिव के मैनेजर होते हैं वह सब मिलकर पूरा का पूरा खा जाते हैं ।

मान्यवर, वे जाल इस तरह का बिछा देते हैं कि उनको पकड़ना भी मुश्किल हो जाता है । इस प्रदेश के काश्तकार को आप जानते हैं कि वह कर्जे के नाम पर यह समझ लेता है कि यह कर्जा हमको देना नहीं पड़ेगा । उसको पांच हजार रुपये में से साढ़े तीन हजार रुपया भी मिल जाय तो वह कोई हल्ला नहीं करता । बाद में ही वह हल्ला करता है जब उसको देना पड़ता है । तो श्रीमन्, लैन्ड मार्गेज की हालत सारे प्रदेश के अन्दर ऐसी ही है । श्रीमन्, पचास रुपये की रिश्वत के अन्दर हमने एक आदमी पकड़वा दिया । आपके कांग्रेस के चौथे नम्बर के मंत्री मेरे जिले के हैं वे उस आदमी की वकालत करते हैं । सी० आई० डी० आफिसर पकड़ने के लिये गये और वह रेड हैन्डेड पकड़ लिया गया । एस० पी० और डी० आई० एस० पी० का बयान

हुआ पर वे मंत्री महोदय अकेले ही वकालत में कहते हैं यह गलत काम है। उनकी इस वकालत के बाद भी अदालत ने उस व्यक्ति के लिये चार साल की सजा ठोक दी। सजा चूंकि एक ही साथ चलनी थी इस वास्ते उनको दो साल की कैद हो गई। श्रीमन्, हम तो एक आध केस ही पकड़ सकते हैं पर जो सब जगह हो रहा है उन सब के लिये हम क्या कर सकते हैं ?

श्रीमन्, मैंने तो जो आम बात थी वह आपके सामने रख दी। इसके अलावा मैं तो यह भी कहता हूं कि जिस दिन मुझे चार पांच बातों के लिये यकीन हो जायगा कि यह सरकार समाजवाद के लक्ष्य को पूरा करने जा रही है, यह सरकार सहकारिता के अस्तित्व पर विश्वास रखती है, बेकारी, भुखमरी, भ्रष्टाचार आदि को समाप्त करने जा रही है तो श्रीमन्, हम विरोध करने के लिये थोड़े ही बने हैं। जब हर तरफ से ही गलत कार्यवाहियां होती चली जा रही हैं तो श्रीमन्, हम कैसे आलोचना न करें। कोआपरेटिव बैंक, डी० सी० एफ० बीज गोदाम पचास करोड़ रुपया सहकारी बीज गोदामों को देते हैं और तीन प्रतिशत प्रीमियम का भी देते हैं। इस बीज के लिये सेन्ट्रल के एक मिनिस्टर ने कहा है कि यहां से ८० या ९० परसेन्ट बीज बिलकुल बोगस या खराब दिया जाता है और उन्होंने यह भी कहा है कि अगर कोआपरेटिव का बीज गोदाम तोड़ दिया जाय तो कृषि को बड़ा भारी बल मिलेगा।

चूंकि बीज से ही अनाज पैदा होता है और वह अच्छा मिलना चाहिये। कोआपरेटिव बैंक, डी० सी० एफ०, बीज गोदाम, क्रय-विक्रय समितियां, ये सब किस लिये हैं ? मैं तो ऐसा समझता हूं कि ये सिर्फ सरकारी पार्टी का संरक्षण करने के लिये हैं। जो भी मंत्री या सरकारी पार्टी का आदमी चुनाव में हार जायगा तो उसे इन संस्थाओं का डायरेक्टर बना दिया जायगा, किसी को कहा जायगा कि मिल्क यूनियन बना लो, उसमें मारो खाओ। हारे हुये लोगों के संरक्षण का स्थान इस कोआपरेटिव विभाग को बनाये हुये हैं। इस तरह की धारणा प्रदेश के करोड़ों लोगों की है। मेरे जिले में एक बैंक के संचालक हैं, एम० पी० का चुनाव लड़े तो डी० सी० एफ० और कोआपरेटिव के बस और ट्रक सब काम में लायें। अगर कोआपरेटिव बैंक इस समय ५० लाख रुपया बांट रहा होगा तो जिस समय चुनाव होगा वह कहीं से दुगुना रुपया लिखकर फर्जी एंट्री करा कर कहेंगे कि इस समय रुपया वसूल न किया जाय। अगर माननीय मंत्री जी इन सब बातों को ठीक करें और सहकारिता का आन्दोलन ऊंचा हो तो इनके समाजवाद की नीति सुधर सकती है। जब तक ऐसा नहीं होगा, तब तक हम लाखों जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग इस विभाग की सही समालोचना करते रहेंगे चाहे सरकार के मंत्री मानें या न मानें।

जितनी बातें मैंने कही हैं, मुझे आशा है कि माननीय बनारसीदास जी उनका उत्तर देंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)—

श्रीमन्, यह पहला अवसर है जब कि विरोधी दल की ओर से कटौती के प्रस्ताव पर कंस्ट्रक्टिव सुझाव आये हैं और हम शर्मा जी को बधाई देते हैं कि अगर इसी तरह की भावना विरोधी दल के भाइयों में पैदा हो तो वह दिन दूर नहीं है कि सरकार अपनी त्रुटियों पर ध्यान देगी और सहकारिता आन्दोलन को सफलता प्राप्त होगी।

इसके बाद मैं माननीय मंत्री जी को बधाई दूंगा कि जब से उन्होंने इस कार्यभार को सम्भाला सबसे पहले उनकी निगाह उस अधिनियम पर गई और उसे उन्होंने बहुत गौर से पढ़ा, समझा और देखा कि बहुत सी बातें उसमें अनावश्यक हैं, पुरानी हैं और असामयिक हैं। उसके बाद वह उसमें सदन के समक्ष संशोधन लाये। सदन में इस पर वाद-विवाद हुआ और विरोधी दल के मित्रों ने मांग की कि यह विधेयक सैलेक्ट कमेटी में जाय। बड़ी उदारता से माननीय मंत्री जी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बैजनाथ सिंह वैद्य]

ने उसे माना और विधेयक सेलेक्ट कमेटी में गया। मैं भी उसका सदस्य था। विरोधी दल के बहुत से भाई भी उसमें थे और अच्छे-अच्छे मेम्बरों को उसमें रखा गया। अनेकों सहयोगपूर्ण बैठकें उसकी हुईं और जितने भी विचार माननीय सदस्यों ने रखे उनको माननीय मंत्री जी ने उदारतापूर्वक एक एक करके माना। मेरा ऐसा ख़याल है कि कोई ऐसा संशोधन या सुझाव विरोधी दल की तरफ से नहीं आया जिसको मंत्री जी ने उदारतापूर्वक न माना हो। उस कमेटी ने बड़ी सफलतापूर्वक कार्य किया और रिपोर्ट दी। गवर्नर महोदय ने वह विधेयक मंजूर करके भेज दिया है और अब वह शायद दिल्ली से वापिस आता होगा।

श्रीमन्, यह बात सर्वमान्य है कि सहकारिता एक आन्दोलन है और जनता में किसी आन्दोलन के चलने में वर्षों लग जाते हैं। इस समय जनता में केवल एक ही भावना सहकारिता के बारे में है कि यह किसानों को कर्जा देने वाली संस्था है। यह बात सही है कि इसके बारे में प्रचार होना चाहिये। हमारे विभाग में जिस तरह से और अंग हैं उसी प्रकार एक प्रचार विभाग भी खास तौर से होना आवश्यक है। आन्दोलन की सफलता के लिये प्रचार बहुत जरूरी है। जब हम प्रचार में सफल हो जावेंगे और जनता के मस्तिष्क में सहकारिता की भावना भर देंगे तो वे सारी बातें जो हम इसमें भ्रष्टाचार देखते हैं और दुरुपयोग देखते हैं, इस रास्ते से समाप्त हो जावेंगी।

मान लीजिये कि सरकार की तरफ बैठने वाले या सरकार के मंत्री अपने ऐबों को जनता में नहीं कह सकते हैं, ईमानदारी के साथ वे हिम्मत नहीं करते कहने की, लेकिन मैं विरोधी दल से पूछूंगा कि क्या उन्होंने कभी कोई सेमीनार या कान्फ्रेन्स की और जनता को समझाया कि सहकारिता क्या है ? आप हमेशा उसकी बुराइयों को देखते हैं और जनता में जाते हैं तो उस के सामने ऐसी बात रखते हैं कि ऐसा प्रभाव हो जिससे ऐसा नक्शा खिंचे कि यह विभाग बहुत भ्रष्टाचार से भरा हुआ है और इसमें नीचे से ऊपर तक सब गलत काम करने वाले हैं। तो फिर यह आन्दोलन सफल कैसे हो सकता है ? इनमें जितनी उपलब्धियां हैं, जो खूबियां हैं, जितनी सफलता हमको प्राप्त हुई है, उन्हें अलग कीजिये और सरकार को बतलाइये कि ये त्रुटियां हैं, तो सरकार की भी समझ में आवे। यह नहीं होना चाहिये कि भाषण शुरू ही सब अधिकारियों को गाली देकर किया। हम यह नहीं कहते कि किसी विभाग में सभी कर्मचारी और अधिकारी ईमानदार या बेईमान होते हैं। लेकिन सभी भ्रष्टाचारी नहीं होते। अगर ईमानदार और बेईमान दोनों को मिलाकर सबको बेईमान ही कहेंगे तो जो ईमानदार हैं वे भी सोचेंगे कि ईमानदारी का कोई अच्छा नतीजा नहीं निकल रहा है। ईमानदार आदमी की तारीफ होनी चाहिये। अगर कोई बुराई का या भ्रष्टाचार का काम करता है तो उसे दंडित करना चाहिये। सरकार सोचती है कि ये सबकी गलतियां ही बताते हैं तो वह डिफरेंशियेट नहीं कर पाती है कि कौन ऐफीशियेंट है और कौन ऐसा जो वक्त काटता है। इसे जरूर कहिये कि कितना आन्दोलन हमारा सफल हुआ है। कितनी सफलता मिली है उसको अलग रख दीजिये और जो असफलता मिली है उसको अलग रख दीजिये।

मैं माननीय मंत्री जी को बधाई दूंगा कि इस वक्त उनके विभाग में काम करने वालों की जो टीम है वह बहुत अच्छी है। हम देखते हैं कि उनमें लगन पैदा हुई है। जिस प्रकार से मंत्री जी के मस्तिष्क में यह बात है कि जल्द से जल्द कोआपरेटिव आन्दोलन को जनप्रिय बनाया जाय, ज्यादा से ज्यादा लाभ उससे जनता को पहुंचाया जाय उसी प्रकार से विभाग के, जितने भी अधिकारी जिनको मैं जानता हूं वे सब बहुत ही अच्छे लोग हैं। वे भी इस फिक्र में लगे ये हैं कि यह बहुत बदनाम विभाग रहा है, इसकी बदनामी किसी प्रकार से खत्म की जाय। पुलिस और कोआपरेटिव का विभाग खाने कमाने में बहुत ज्यादा रहा है, भ्रष्टाचार का अखाड़ा समझे जाते रहे हैं, जिस किसी को गबन करना हो वह कोआपरेटिव में घुस जाय, वहां उसको गबन करने का मौका मिल जायगा इस प्रचार से उनको भी शर्म लग रही थी, वह भी चाहते हैं कि यह कलंक दूर हो जाय। कोई भी इंसान बेइज्जत होकर रहना पसन्द नहीं करता। अधिकांश में ऐसे लोग होते हैं जो भूखों मरना पसन्द करते हैं लेकिन बेइज्जती से रहना नहीं चाहते। लेकिन हमारे बहुत से माननीय सदस्य इस बात को समझते हैं कि चाहे अच्छे ही अधिकारी क्यों न हों अगर उनको निकम्मा कहा

जाता रहेगा तो भी वे अच्छा काम करते रहेंगे। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने जो रवैया अपनाया है उससे विभाग में काम करने वाले भी अच्छे लोग हो जायेंगे। जो माननीय मंत्री जी सोचते हैं, जो भी माननीय मंत्री जी के डायरेक्शन्स होते हैं, अगर विभाग के अधिकारी उनको अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं और उनको कार्यरूप में परिणत कर देते हैं तो अवश्य ही यह विभाग सफल होकर रहेगा।

इसके बाद मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि कोआपरेटिव में जो सुपरवाइजर है उसकी स्थिति ऐसी है कि कभी-कभी वह यह सोचता है कि मैं किसी अधिकारी के नीचे काम नहीं करता। जब कभी वह कोई गलत काम करता है और उसकी तरफ कोई उंगली उठाता है तो वह झट दूसरे का सहारा ले लेता है। कभी वह कोआपरेटिव को चला जाता है, कभी वह सरकार के पास चला जाता है, कभी डायरेक्टर के पास चला जाता है और कभी मैनेजिंग डायरेक्टर के पाकस पहुंच जाता है अगर वहां से हटा तो किसी विधायक के पास किसी मंत्री जी के पास पहुंच जायगा। किसी न किसी तरह से बच जरूर जायगा। सुपरवाइजर इस विभाग की आधारशिला है, वह गांवों में फैला हुआ है, उसको कम से कम इत्मीनान दिला दीजिये कि उसका एक निश्चित मालिक है। अभी तो वह सोचता है कि उसका कोई मालिक नहीं है और इसीलिये जहां कहीं गलत काम करने का उसको मौका मिलता है, वह कर डालता है। इसलिये आप उसको निश्चित स्थान पर बैठा दीजिए। चाहे उसको बैंक में लें लीजिये, चाहे सरकार में ले लीजिये किसी निश्चित स्थान पर बैठा दीजिये जिससे वह अपकी जिम्मेदारी को महसूस कर सके।

इसके अलावा आपने यह बहुत अच्छा किया है कि लांग टर्म लोन की पालिसी को मान लिया है और उसमें ६ करोड़ के बजाय १० करोड़ रुपया रखा है। अगर आप लम्बे अर्से का कर्जा देंगे तो यह जो प्रोनोट बदलने वाली बात हुआ करती थी और जिसके बदलने के समय भ्रष्टाचार होता था, उससे किसानों को राहत मिलेगी। बेचारे किसान के पास पैसा नहीं होता था और वह सुपरवाइजर और मैनेजिंग डायरेक्टर आदि से मिलकर यह कोशिश करता था कि उसका कर्जा आगे को बढ़ा दिया जाय। इसमें ५–१० प्रतिशत का भ्रष्टाचार हो जाता था जो कि हर साल उसको देना पड़ता है इसलिए अगर यह अवधि लम्बी हो जाय तो यह चीज समाप्त हो सकती है। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी बातें आप के द्वारा मन्त्री जी तक पहुंचाना चाहता हूं। सब से पहले मैं जानना चाहता हूं कि आपके विभाग में एयरकन्डीशन्ड गाड़ी क्यों खरीदी गई और किससे खरीदी गई और उसका क्या उपयोग हो रहा है? एक और थी वह डेमेज हो गई है लेकिन उनके विभाग में जो यह मौजूद है वह किस काम में आ रही है?

माननीय मन्त्री जी ने कहा कि इस विभाग में हिसाब का आडिट होता है, म मन्त्री जी की बात को गलत सिद्ध नहीं करता, मैं भी मानता हूं कि आडिट होता है लेकिन आडिट रिपोर्ट पर अमल कहां तक होता है मन्त्री जी यह हमें बता दें?

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वह शान्ति स्थापित करने में सहायता दें।

श्री हिम्मतसिंह—

जिला कोआपरेटिव फेडरेशन की ऐसी आडिट रिपोर्ट है कि ९९ प्रतिशत गबन की शिकायतें हैं और आडिट रिपोर्ट पर अमल नहीं किया जाता क्योंकि उसका सारा काम असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोआपरेटिव ही आपरेट करते हैं। इसलिए जो मन्त्री जी ने कहा कि आडिट होता है तो फिर जरूरी है कि आडिट रिपोर्ट के अनुसार कार्य भी सुधारा जाय। इसके अतिरिक्त आप

[श्री हिम्मत सिंह]

की एक यू० पी० इंडस्ट्रियल कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, कानपुर में जारी है, उसके अध्यक्ष सन् ५२ से जब से वह बनी है एक ही चले आ रहे हैं और बैलेन्स शीट उसकी आज तक कभी भी १५ साल से बोर्ड के सामने नहीं लाया गया है और डायरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज ही उसके प्रेसीडेंट रहते हैं, तो मैं जानना चाहता हूं मन्त्री जी से कि ऐसा क्यों है ?

श्री बनारसीदास—

श्रीमन्, यह चीज तो इस अनुदान से सम्बन्धित नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—

आप अपने उत्तर में अपने विवेक का इस्तेमाल करें और जो चीज उत्तर देने की हो वह ही लें।

श्री हिम्मतसिंह—

इस पर ३४ लाख रुपया गवर्नमेंट का है उसने मांगा, वह भी नहीं मिला सरकार को स्टे प्रार्थना-पत्र दिया और इसको अब वाइन्ड अप किया जा रहा है, यह सब क्या हो रहा है और क्यों ऐसा किया जा रहा है पूरी स्थिति मन्त्री जी बतावें सरकार के रुपए का क्या होगा ?

मन्त्री जी ने अभी बताया कि हमारे यहां ३ प्रकार की समितियां काम कर रही हैं, एक तो प्राइमरी समितियां, लार्ज समितियां हैं, और तीसरी है सर्विसेज समितियां। लेकिन इन तीनों के बीच कोई कोआर्डिनेशन नहीं है और न इनका कोई स्थायित्व ही है, कब वह खत्म हो जाती हैं या कब उनकी दशा बिगड़ती जाती है किसान को पता नहीं चलता। इन समितियों को स्थायित्व दिया जाय ताकि किसान दस पांच साल तक उनसे अपना सम्बन्ध जारी रख सकें। इसके अलावा जैसा कि अभी श्री राधेश्याम जी ने कहा कि एक ट्रान्सफर इंट्रीज का सवाल चल गया है, इसका कारण यह है कि किसान लेता अधिक है और उसमें देने की उतनी क्षमता नहीं है। उन्हें एक ही जगह से कर्ज मिलना चाहिए और सिंगल ग्रान्ट लोनिंग (Single point loaling) होना चाहिए। वह केन विभाग, तकावी और लैंड मार्गेज बैंक से पैसा लेते हैं और कई-कई जगह अपनी जमीन को रेहन करते हैं और उसकी देने की क्षमता का कोई अन्दाजा नहीं रह जाता। यही कारण है कि ट्रान्सफर इंट्रीज होती हैं और जो सुपरवाइजर और सरपंच होते हैं वही कराते हैं और इस तरह से गरीब किसान पर जिस तरह से पहले सूदखोर अधिक पैसा लेते थे वही उनको पड़ जाता है, लाखों रुपया इस तरह से पैदा किया जाता है और विभाग में भ्रष्टाचार होता है। अब मैं माननीय मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि इसमें जितना नान आफिशियल कन्ट्रोल होगा, उतना ही यह आन्दोलन लाभदायक होगा।

दूसरी बात जो मुझे कहनी है वह यह है कि चुनावों में जो सुपरवाइजर भाग लेते हैं, जब वे गड़बड़ी करते हैं तो डायरेक्टर भी उनको बचाने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैं माननीय मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे सुपरवाइजरों का परीक्षण करें, यह काम करना भी उन्हीं का है कि सुपरवाइजरों को चुनाव में भाग न लेने दें। इसके अतिरिक्त ये सुपरवाइजर किसी भी विभाग में नहीं हैं, उनकी डांवांडोल स्थिति है। उनको निकाल कर सीधे सरकार के अन्डर में ले आवें, या उस जिला बैंक के अन्डर में कर दें जहां वे काम करते हैं ताकि उनके द्वारा जो गबन आदि होता है वह बन्द हो सकें। बहुत से गबन करके पाकिस्तान भाग गए हैं, उनको स्थायी रूप से बांध देना चाहिए। जब तक वे यह समझते हैं कि वे तो स्वतन्त्र हैं, वे इसी प्रकार के गबन आदि करते रहेंगे जिस प्रकार से आपके चकबन्दी में, जो कि एक अस्थायी विभाग है, उसमें कर्मचारी लोग करते हैं। इसको माननीय मन्त्री जी को ठीक करना चाहिए ताकि सुपरवाइजर किसी एक संस्था को जवाब देने का उत्तरदायी हो।

माननीय मन्त्री जी से मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि रिजर्व बैंक ४ परसेन्ट सूद पर रुपया सूबा कोआपरेटिव बैंक को देता है पर काश्तकार से ९ परसेन्ट सूद पर जिला कोआपरेटिव देता है। इसके अतिरिक्त हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक हैं, उनको सूबा कोआपरेटिव बैंक ६ परसेन्ट सूद पर देते हैं तो यह जो २ परसेन्ट की छूट किसान को दी जाय इससे उसको राहत मिल जायगी। डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक का सीधा सम्बन्ध रिजर्व बैंक से होना चाहिए।

एक प्रश्न के उत्तर में इसी सदन में माननीय मन्त्री जी ने फर्टीलाइजर के सम्बन्ध में कहा था कि उन्हें डेढ़ वर्ष तक सूद का कुछ भी नहीं देना पड़ता है तो जब उन्हें भारतीय सरकार से यह सुविधा प्राप्त है तो उन्हें यह सुविधा किसानों को भी देनी चाहिए। जो लोग नकद भी लेते हैं उनको भी प्रारम्भ से ही सूद देना पड़ता है। तो मैं माननीय मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि उस काश्तकार को भी जो फर्टीलाइजर लेता है अगर १ १/२ वर्ष की छूट सूद में नहीं तो कम से कम एक वर्ष की छूट तो अवश्य मिलनी चाहिए और इस अवधि तक कोई सूद नहीं लिया जाना चाहिए।

अब जो इस विभाग में गड़बड़ियां हैं, उनकी ओर माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा। इसी शहर लखनऊ में कोआपरेटिव के द्वारा जो दूध बांटा जाता है वह भी ३ प्रकार का दूध होता है। एक तो मन्त्रियों के लिए, दूसरा एम० एल० एज० के लिए और तीसरे प्रकार का दूध जनता के लिए होता है। उस दूध में मक्खन की परसेन्टेज भी उसी मात्रा में होती है। नतीजा यह है कि आज जनता को ठीक प्रकार का दूध नहीं मिल पाता है। पश्चिमी जिलों में भी आज दूध नहीं है। वहां पर आपने पशुधन को बढ़ाया नहीं है और वहां से ग्लैक्सो कम्पनी और दिल्ली की मिल्क स्कीम्स में सारा का सारा दूध चला जाता है। तो वहां पर गांवों में दूध नहीं रह जाता है। कहा जाता था कि यहां पर दूध और दही की नदियां बहा करेंगी, वह सब समाप्त हो गया। जैसा कि आपने बताया दूध की मात्रा को बढ़ाने के लिए मवेशियों के लिए रुपया दिया गया लेकिन अगर देखा जाय तो पता चलेगा कि जो मवेशी खरीदे गए वे सब के सब कमजोर और मरीज खरीदे गए तो इस ओर भी माननीय मन्त्री जी ध्यान दें।

जहां तक खाद का सम्बन्ध है प्रदेश के अन्दर जो खाद दिया जाता है वह शहरों में ही चला जाता है और सुपरवाइजर अंगूठा लगाकर यहीं पर उसे दे देते हैं, वह किसानों तक नहीं पहुंच पाता है। वह सारा का सारा खाद शहरों में आलू और टमाटरों के लिए सुपरवाइजरों द्वारा वितरित हो जाता है।

दूसरी बात जो मुझे कहनी है वह यह है कि किसान को उत्तम और ठीक समय पर बीज नहीं मिल पाता है। उसको ठीक समय पर उत्तम बीज दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त मुझे यह कहना है कि सहकारी खेती का मैं हामी नहीं हूं। उत्तर प्रदेश में सहकारिता १९६६ के पृष्ठ २७ पर दी हुई कार्य प्रणाली के कुछ अंश को मैं आपके सामने पढ़ कर सुनाता हूं जो इस प्रकार है –

"कुछ समितियां ऐसी हैं जिनमें पैदावार का एक भाग काम करने वाले सदस्यों में पारिश्रमिक के रूप में बांटा जाता है। यह समुचित सिंचाई के साधन और अन्य कृषि सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं। इन समितियों में सदस्यों को टोलियों में बांट दिया जाता है तथा हर टोली-के काम करने वाले सदस्यों को उस टोली की पैदावार का एक भाग पारिश्रमिक के रूप में दिया जाता है। इसमें न केवल सदस्यों में अच्छा कार्य करने की एक स्वस्थ स्पर्धा पैदा होती है अपितु जिस टोली के सदस्य जितनी अधिक पैदावार करते हैं उन्हें उतना ही अधिक पारिश्रमिक प्राप्त होता है। इस प्रणाली के लिए यह आवश्यक है कि टोलियों को अच्छी बुरी भूमि एक चक में दी जाय। ऐसा न हो कि किसी टोली को लगातार अच्छी भूमि और किसी को खराब भूमि

[श्री हिम्मतसिंह]

मिलती रहे। इससे स्पष्ट है कि सरकारी खेती फेल हो रही है । तो मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि यह हाफ बटाई का सिस्टम आप ने सहकारी खेती में लागू कर दिया क्योंकि सहकारी खेती आप की फेल हो रही है। इसलिए आप इस ओर अधिक ध्यान न दें । किसान तेजी से अपनी खेती बढ़ा रहा है और सहकारी खेती आप की फेल हो रही है। उत्तर प्रदेश में सहकारी खेती में नौतोड़ ऊसर, बंजर जमीन है।

*श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी को बधाई दे रहा हूं कि जब से सहकारी विभाग की इस प्रान्त में स्थापना हुई किसी भी मन्त्री ने इस विभाग के ऐक्ट पर ध्यान नहीं दिया जिसका फल यह हुआ कि दुनिया भर की गड़बड़ी इसमें पैदा हो गई । जब लोगों की शिकायतें हुयीं और स्वयं भी मन्त्री जी ने इस पर विचार किया तो उन्होंने इस चीज को सही माना कि उस में कमियां हैं और इस ऐक्ट में संशोधन किया। अभी राष्ट्रपति जी की स्वीकृति नहीं आई है, जो शीघ्र ही आ जायगी। फिर भी हम उन्हें बधाई देते हैं कि उन्होंने संशोधन किया और हमें आशा है कि शायद कुछ सुधार हो। मुझे नहीं मालूम कि उस ऐक्ट में यह संशोधन भी हुआ है कि नहीं कि जो बैंकों और सोसाइटियों में गबन होते हैं और सहकारिता के अधिकारी केस चलाते हैं तो होता क्या है? सरकार के रुपए का अपव्यय होता है, वकील खा जाते हैं सरकारी अधिकारियों के भत्ते बनते हैं लेकिन जनता का रुपया गया मिट्टी में, वह वापस नहीं होता । मैं सुझाव देना चाहता हूं मन्त्री जी को कि कोआपरेटिव विभाग में कभी भी कोई केस नहीं चलना चाहिए। बल्कि जो सोसाइटी या बैंक हो उन के जो डायरेक्टर हों, यदि गबन होता है तो वह उन से वसूल किया जाय। जब यह प्रथा स्थापित हो जायगी तो गबन बन्द हो जायेंगे क्योंकि डायरेक्टर अपना कर्तव्य समझेंगे और देखेंगे कि कहीं उनकी संस्था में गबन तो नहीं हो रहा है क्योंकि वह रुपया फिर उन्हीं को भरना पड़ेगा। अगर इसी तरह मुकदमेबाजी चलती रही तो मैं ५, ७ लाख रुपया गबन कर लिया करूंगा और मुझे १, २ साल की सजा हो जाया करेगी, लेकिन पया मेरे पास ही रहेगा। इसलिए मेरा सुझाव है कि गबन का रुपया डायरेक्टरों से वसूल हुआ करे। अगर ऐसा किया तो यह गबन और बुराइयां तुरन्त ही बन्द हो जायंगी।

मजा यह है कि सब पैसे वाले लोग आते हैं सहकारिता में। जब कि सहकारिता का मतलब यह था कि छोटे-छोटे लोगों को प्रोत्साहन मिले, उनकी उन्नति हो। लेकिन उस में सब खाने कमाने वाले आ गए। यदि यह चीज कर दी जाय, जैसा मैंने सुझाव दिया है, तो एक भी नहीं आयगा। माननीय मन्त्री जी जब सहकारिता में इतनी दिलचस्पी रखते हैं तथा उस को प्रोत्साहन देना चाहते हैं, और दे भी रहे हैं, तो एक काम और कीजिए और आप का ध्येय भी समाजवादी रहा है और आज भी है, आगे की भगवान जाने लेकिन एक चीज और कर दी जाय कि जो चुनाव का समय है निर्धारित समय पर चुनाव होना चाहिए, उसे किसी प्रकार भी न रोका जाना चाहिए क्योंकि यह डायरेक्टर की नहीं पब्लिक की सहकारिता है। हर छठे महीने रुपए की देखभाल होनी चाहिए और अगर गबन हो, गड़बड़ी हो तो जो जिम्मेदार व्यक्ति हो उससे रुपया वसूल किया जाय।

इसके अलावा कोआपरेटिव में तनख्वाह नहीं मिलती और करोड़ों रुपए आपने दे रखे हैं तो आदमी ईमानदार रह नहीं सकता चाहे भगवान को लेकर आप सहकारिता चलावें। जब व्यक्ति के पास साधन न हों तो उसे वेतन देना चाहिए । दूसरे प्रान्तों के मुकाबले में हमारी सहकारिता ऊंची है, कर्मचारी ऊंचे हैं लेकिन एक विशेष बात वहां देखी कि सेक्रेटरी को २०० रुपए देते हैं, मुफ्त में काम नहीं कराते। मुफ्त काम कराया जायगा तो खर्चा पानी वह निकालेगा ही।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

या तो इसे तोड़ दें अथवा मुफ्त के पदाधिकारी नहीं रहने चाहिए। बगैर तनख्वाह के कोई भी अधिकारी न रखा जाय वर्ना वह अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करेगा? इसलिए उसकी तनख्वाह जरूर निर्धारित कर दी जाय।

प्रेसीडेंट जो दावत करता है, रिक्शे में जाता है उसके लिए कोई मद नहीं है जब कि दूसरे प्रान्तों में उसके लिए रुपया रखा जाता है। इसके लिए व्यवस्था की जाय ताकि यह गड़बड़ी दूर हो। इस प्रान्त में अगर उन्नति करनी है और गड़बड़ी तथा गड़बड़-घुटाले को रोकना है तो सुपरवाइजरों पर कन्ट्रोल करना होगा। उनसे कोआपरेटिव आफिसर्स भी परेशान हैं। वे पार्टी बाजी करते रहते हैं। उन्हें हटाइए अथवा उनके लिए नियम बनाइए और उनके ट्रान्सफर की व्यवस्था कीजिए। जब तक ऐसा नहीं होगा वह विभाग की बदनामी कराते रहेंगे। सहकारिता का जहां तक सम्बन्ध है हमारा प्रान्त बहुत अच्छा है बनिस्बत दूसरे प्रान्तों के। या तो आप लोग दूसरे प्रदेशों में देखते नहीं हैं या आप लोगों ने उधर कुछ ध्यान नहीं दिया है। हमारे प्रदेश में सहकारिता पर उतना खर्च नहीं हो रहा है जितना अन्य प्रदेशों में हो रहा है। दूसरे प्रदेशों के मुकाबले में हमारे प्रदेश में इस पर बहुत कम खर्च हो रहा है। वहां पर बड़े-बड़े लोग पटेल कहलाते हैं उन्होंने नाम मात्र के लिए सहकारी समितियां खोल रखी हैं। लेकिन हमारे प्रदेश में असली समितियां खुली हुई हैं। दूसरे प्रदेशों के मुकाबले में हमारे प्रदेश की सहकारी समितियां बहुत ही अच्छी हैं।

सहकारी फार्मिंग उस समय तक अच्छी तरह से नहीं चल सकती है जब तक कि सहकारी फार्मिंग का अच्छी तरह से अनुभव न हो। मेरा सरकार से और मन्त्री जी से निवेदन है कि जो बंजर भूमि पड़ी हुई हैं उन्हीं में सहकारी फार्म बनाये जायं और गरीब किसानों की जमीन न ली जाय। जब इन फार्मों में मुनाफा होगा तो उसको देखकर किसान अपने आप सहकारी फार्म बनायेंगे। जब तक ऐसी योजना नहीं चलाई जाती है तब तक इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। यदि हमारी सरकार सहकारी फार्मों को उन्नत करना चाहती है तो जो जमीन पड़ी है उसको लेकर उसमें सहकारी फार्म बनाए जायं और उनको सफल बनाया जाय जिससे किसानों पर प्रभाव पड़े। उससे जो आमदनी होगी उसे देखकर किसान भी सहकारी फार्म बनाने के लिए लालायित होगा। हमारे यहां सहकारी विभाग ने काफी उन्नति की है।

दूसरी बात यह है कि हमारे यहां देहातों में उद्योग धंधे खुलने चाहिए। लेकिन यह देखने में आया है कि सहकारी विभाग में कोई धंधा पनप नहीं पाता है और सफल नहीं हो पाता है। बागपत की शुगर मिल मौजूद है। दुनिया में शुगर मिलों से लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं लेकिन सहकारी शुगर मिल में घाटा हो रहा है। इसका क्या कारण है? इसको क्यों नहीं देखा जाता है? इसका कारण यह मालूम होता है कि अफसर लोग खा जाते हैं। मेरठ में एक दुग्धशाला खोली गई जिसमें ९ लाख रुपए का घाटा हुआ। लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। न किसी अफसर को बरखास्त किया गया और न किसी अफसर को इसके लिए ससपेंड ही किया गया। मेरा निवेदन यह है कि सहकारिता मन्त्री जी इधर ध्यान दें।

*श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा)—

अधिष्ठाता महोदय, आज इस युग में सहकारिता के कार्यक्रम पर बोलने का अवसर मुझे मिला है। मैं यह कहने में संकोच नहीं करता कि समाजवादी देशों के लिए और पिछड़े हुए देशों के लिए यह एक वरदान है। अगर इसको समाजवाद की रीढ़ कहा जाय तो कोई गलती नहीं होगी।

श्री अधिष्ठाता—

आप का माइक काम नहीं कर रहा है। इसलिए आप आगे आ जाइयें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री भगवानदास यादवेन्दु—

तो हमारे देश में इस प्रकार की भी विचारधारायें मौजूद हैं, जो कहती हैं कि सहकारिता देश के लिये, देशकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए और आर्थिक क्रान्ति लाने के लिए एक रोड़ा है। मेरा अपना दृष्टिकोण है और साथ ही सदन के दूसरे सदस्यों का भी यह दृष्टिकोण है कि सहकारिता दुनिया के प्राणी मात्र के लिए एक आवश्यक विषय है। बगैर सहकारिता के तो मनुष्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती क्योंकि स्त्री पुरुष के सहवास से ही बच्चे की उत्पत्ति होती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मनुष्य अपने जन्म से ही सहकारिता को स्वाभाव में लेकर ही पैदा होता है। इसलिए मानना पड़ेगा कि बिना सहकारिता के तो प्राणी मात्र का अस्तित्व ही नहीं कायम रह सकता है। लेकिन प्रश्न यह है कि सहकारिता का सही मानों में जो आन्दोलन है, उसको हमें किन-किन क्षेत्रों में पनपाना चाहिए और उसकी आवश्यकता किन-किन क्षेत्रों में और किन-किन वर्गों में है? यहां पर यह प्रश्न आया कि हमने करोड़ों और अरबों रुपया सहकारिता आन्दोलन के आधार पर खेती के लिए, उद्योगों के लिए, छोटे-छोटे काटेज इंडस्ट्रीज के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में वितरित किया। प्रश्न यह उठता है कि आया यह रुपया जनता तक बांटने से सहकारिता और विकास का काम चलेगा? यह भी देखने की आप जिम्मेदारी लें कि उस रुपए का सदुपयोग होता है या दुरुपयोग होता है?

मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि यह रुपया जो ५५ करोड़ के लगभग बतलाया गया है, जो सहकारिता के विभिन्न कार्यों के लिए गांवों के और शहरी क्षेत्रों में बांटा गया है, इसे क्या गांवों के किसानों और शहरों के छोटे-छोटे कारीगरों ने बिना रिश्वत दिए हुए अधिकारियों से प्राप्त नहीं किया है? बिना रिश्वत दिए उन्हें कोई भी ऋण नहीं मिला है। आप मानेंगे कि १० परसेन्ट उनसे खुले में लिया जाता है उन अधिकारियों द्वारा जिनके हाथों से ऋण उन तक पहुंचता है। यह मैं १० परसेन्ट कम से कम कह रहा हूं, इससे कहीं ज्यादा है। इस तरह से करीब ५ करोड़ रुपया करप्शन के तौर पर ले लिया जाता है। अगर इसे आप गलत समझते हैं, तो इसके लिए आप एक कमेटी बनायें और उसमें माननीय कल्पनाथसिंह जी बैठें। उनसे मेरी प्रार्थना है कि वह और इधर के लोग मिलकर समिति का निर्माण करें, जो जगह-जगह जाकर इसकी जांच करे और प्रत्येक ऋण प्राप्त करने वाले से पूछे। यदि यह किया गया तो मेरा विश्वास है कि ९० परसेन्ट केसेज ऐसे मिलेंगे, जिनमें रिश्वत ली गयी है। तो प्रश्न यह है कि इस आन्दोलन को शुरू करने का उद्देश्य यह था कि यह पूंजी उपभोक्ताओं को मिले लेकिन यह नहीं हो पा रहा है। इस प्रदेश के पिछले आंकड़ों के अनुसार करीब ४५ परसेन्ट ऐसे किसान हैं, जो भूमिहीन हैं, उसमें हरिजन और विमुक्त जातियों का बहुमत है। शायद ही ५ से १५ एकड़ के किसान वह हैं जो १४ परसेन्ट हैं। इस तरह से करीब ५७ परसेन्ट किसान हो जाते हैं। जो किसान लैन्डलेस हैं उनको देने का प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि उनके पास कोई जमीन या पैसा जमानत देने के लिये नहीं है। तो वह १४ फीसदी किसानों को जो ऋण दिया जाता है उनका बहुत शोषण होता है। मुझे अपने एक संबंधी का अनुभव है जिनको एक वर्ष का ३५० रुपया देना था। उसमें इन्टरेस्ट का रुपया लेकर वह खा चुके थे। तो उस गैर सरकारी सुपरवाइजर ने उसी गांव के महाजन से उस आदमी को ३६ प्रतिशत पर रुपया दिलवाया। उस महाजन ने भी रुपया कर्ज पर ले रखा था। तो उस महाजन से वह रुपया उस सुपरवाइजर ने उनको दिलवाया। उसके बाद वह सरकारी रुपया रिटर्न किया गया। इसलिये मेरा निवेदन है कि यह सहकारिता आन्दोलन बजाय इसके कि वह जनता को आर्थिक विकास दे, वह उनके शोषण का एक नया रास्ता बना दिया गया है। जो हमारे गांव का महाजन है वह इसका अच्छी तरह से लाभ उठाता है।

बनारसीदास जी भी गांव के रहने वाले हैं तो इन बातों को अच्छी तरह से जानते होंगे। उनके परिवार में यह काम होता होगा तो वे समझते होंगे कि क्या स्थिति है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस हिन्दुस्तान में रूरल इकानामी महाजन के हाथ में है। आज वह महाजन शहर में आकर बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगाकर बैठ गया है। और गांवों में जाकर किसान और मजदूरों

का शोषण करता है। बात की जाती है समाजवाद की और नारा लगाया जाता है समाजवाद का लेकिन इस तरह के महाजनों को प्रोत्साहन दिया जाता है। तो यह नकली बात की जाती है। ५७ फीसदी लोगों को गुमराह करने की बात है। उनमें जागरूकता आनी चाहिये और क्रान्ति आनी चाहिये लेकिन यदि इनकी रिपोर्ट को देखा जाय तो पता चलेगा कि इन्होंने उन गरीबों के लिये क्या कया है? भूमिहीनों के लिये क्या किया? तराई, काशीपुर बगैरा में ७ समितियां बनाई गई हैं। तराई क्षेत्र में एक गंगापुर स्टेशन है जिसके पास भूमिहीनों को जमीन दी गई है लेकिन उनको फर्टिलिल बनाने के जो साधन होते हैं वह नहीं दिये गये हैं। तो यह मानना पड़ेगा कि पूरे प्रदेश में एक करोड़ की संख्या में भूमिहीन होते हुए थोड़े से लोगों को जमीन दी गई है। वह शायद उस समय दी गई जब ६२ का चुनाव हुआ था या ६७ में दी जाने वाली होगी। मैं निवेदन करूंगा कि जो हमारे हाथ में सत्ता है, जो हमने यहां पर शपथ ली है उसको देखते हुए हम समाजवाद के उद्देश्य को पूरा नहीं कर रहे हैं। अगर गरीबों का आर्थिक विकास करना है तो इस आन्दोलन को सही रूप से चलाना होगा क्योंकि सहकारी आन्दोलन समाजवाद की रीढ़ है। कभी-कभी मुझे निराशा होती है। जो रिपोर्ट सरकार की ओर से दी गई है उसमें आपने बताया है कि कहां कहां भूमिहीनों को जमीन दी गई है। इसको देखकर मैं समझता हूं कि उनके लिये पर्याप्त काम यह नहीं कहा जा सकता है।

इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि १०० रुपये से लेकर ५०० रुपये तक उनको ऋण दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि ५०० रुपये से कौन सा उद्योग किया जा सकता है जिससे कोई भी आदमी अपनी गुजर बसर कर सके? प्रदेश में कितने आदमी ऐसे हैं जो मकान और खाने के लिये परेशान हैं? ५०० रुपये के सीमित साधन से आप कितने लोगों का विकास करना चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि आप एक लाख हरिजनों को न दें। आप सिर्फ ५ हजार या १० हजार को दें लेकिन वह ऋण ऐसा होना चाहिये जिससे वे पनप सकें और अपना विकास कर सकें। लेकिन सच यह है कि हमारे ३६ परसेन्ट और ५० परसेन्ट सूद लेने वाले लोग इसमें सब से बड़ी दीवार बन कर खड़े हैं। गरीबों का शोषण इस तरह से किया जाता है कि एक रुपये का २५ रुपया वसूल किया जाता है। इस संबंध में हिन्दुस्तान के अर्थशास्त्रियों का कहना है कि यहां का गरीब कर्ज में पैदा हुआ, कर्ज में पला और कर्ज में ही मर गया। उस कोटेशन को दोहराने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं कि इस लोकतांत्रिक सरकार को सहकारिता आन्दोलन के नाम पर जनता से जो विश्वास प्राप्त है उसके साथ उसे विश्वासघात नहीं करना चाहिये। हमें सही माने में इस बात को अपने दिमाग में रखना चाहिये कि वे प्रतिक्रियावादी ताकतें फिर से अपने सर को न उठा सकें। हमने जिन सामन्तवादी और साम्राज्यवादी शक्तियों को खोद कर नीचे गाड़ दिया था वे आज फिर जीवित हो रही हैं। आज जो लोग समाजवाद और लोकतंत्र की दुहाई देते हैं उस नाते भी उनको जागना चाहिये और अपने क्लास, वर्ग या कम्युनिटी के स्वार्थ को छोड़कर देश को सही नेतृत्व देना चाहिये। यदि उन्होंने इसका विरोध किया तो यह डेमोक्रेसी के नाम पर बड़ा भारी कलंक होगा। अगर सरकार सामन्तवादी और साम्राज्य-वादी जनहित से इस देश को बचाना चाहती है तो समाजवाद लाने के लिये सहकारी आन्दोलन के जरिये ही आर्थिक क्रान्ति हो, इसके सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है।

श्री बृजमोहनलाल गुप्त (जिला बांदा)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, सहकारिता का जो विषय हमारे सामने पेश है, हम आज इस अनुदान का समर्थन करने के लिये यहां खड़े हुए हैं। इसमें कोई शक नहीं कि विरोधी पार्टी के लोगों ने जो टीका की है उसमें कुछ सत्यता भी हो सकती है। आज के इस समाजवादी युग में जब कि हम अपने देश के निर्माण के कार्य में लगे हुए हैं, उसमें सहकारिता का बहुत बड़ा हाथ है। बगैर सहकारिता के हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। शहरों में, देहातों में तथा जीवन के हमारे हर क्षेत्र में सहकारिता का बहुत बड़ा हिस्सा है। उसी सहकारिता के

[श्री बृजमोहनलाल गुप्त]

आधार पर हमने आज देहातों में भी ऋण बांटने की योजना रखी है। तीन तरह की यह योजना है। लघुयोजना, मध्य योजना और दीर्घ योजना। उसके अन्तर्गत ही हम यहां लोगों को ऋण और अनुदान देते हैं।

(इस समय २ बजकर ३९ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल, अग्रवाल, पीठासीन हुए।)

इसके अलावा आप देखें कि हमारे शहरों में भी इसकी काफी व्यवस्था की गयी है और इसका लक्ष्य यही रखा गया है कि हम अपने किसानों का उत्पादन बढ़ा सकें, हम अपनी खेती का उत्पादन बढ़ा सकें। इसी वास्ते हम उन किसानों को यह ऋण देना चाहते हैं जिसके द्वारा वे अपने बीज ले सकें, अपने यंत्र ले सकें और खेती के उत्पादन को बढ़ाने के लिये जितने भी आवश्यक साधन हैं उनको खरीद सकें। इसी आधार पर फसल शुरू होने से पहले उनको ऋण दिया जाता है और फसल कटने के बाद जब पैदावार हमारे किसानों के पास आ जाती है तब वे अपने ऋण की अदायगी करते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में काफी तादाद में ऋण बांटने की व्यवस्था की गई है।

जहां तक क्रय-विक्रय समितियों का संबंध है, इसके जरिये भी किसानों का फायदा होता है। इन्हीं समितियों के जरिये किसानों से गल्ले की खरीद होती है और इस तरह से जो फायदा पहले महाजनों या बिचौलियों को मिलता था वह उन्हें न मिल कर अब उसका पूरा फायदा किसानों को ही मिलता है। इन क्रय विक्रय समितियों के द्वारा किसानों का गल्ला गोदामों में रखा जाता है और यदि उनको जरूरत हुई तो कुछ रुपया भी उनको दे दिया जाता है।

इसके अलावा सहकारी दुग्धशालाओं के द्वारा भी किसानों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गयी है। दूध देने वाली गायों के उत्पादन बढ़ाने के लिये भी सहकारी समितियों द्वारा ऋण दिया जाता है और इससे गाय रखने वाले हमारे किसानों का लाभ हुआ है। लेकिन मुझे दुःख है कि इतनी अच्छी योजना होने के बावजूद भी, और अच्छे अधिकारियों के होने के बावजूद भी जितना लक्ष्य आवश्यक था और जितनी आशा हम सहकारिता से फायदे की करते थे, उतना फायदा आज हमें नहीं मिलता है। मैं कुछ सुझाव आपके सामने रखना चाहता हूं। क्या फायदा मिलता है और क्या मिलना चाहिये? मैं समझता हूं कि जो फायदा वास्तविक तौर पर किसान को मिलना चाहिये वह किसान को न मिल कर बड़े जमींदारों, शहर के साहूकारों और दूसरे लोगों को मिल जाता है जिनके लिये आपने सहकारिता का इन्तजाम किया था। मिसाल के तौर पर इस क्रय विक्रय के द्वारा जो अनुदान मिलता है वह बड़े-बड़े आदमियों को मिलता है, छोटे गरीब आदमियों, किसानों को नहीं मिलता कारण यह है कि रुपया लेने के बीच में एक ऐसी आप की चेन है, एक ऐसी लाल फीताशाही है कि किसान उसका फायदा नहीं उठा सकता। इसलिये आप कोई ऐसी सुविधा प्रदान करने का प्रयत्न करें कि जिससे किसान को पूरा-पूरा लाभ मिल सके।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो सुपरवाइजर्स हमारे बीच में हैं उनके अन्दर वास्तव में सहकारिता की भावना नहीं है। यह भावना पैदा करने के लिये उनको निश्चित निर्देश होना चाहिये और उनका वेतन तथा पद भी निश्चित होना चाहिये तथा उनको यह पता होना चाहिये कि वे किसके प्रति जिम्मेदार हैं। वह आज अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह नहीं समझते। मैं मंत्री जी का ध्यान इधर भी दिलाना चाहता हूं कि जो गोदामों की एक बड़ी व्यवस्था उन्होंने की है उसका फायदा भी किसान को नहीं मिल पाता है। किसान के नाम पर गल्ला जरूर रखा जाता है, लेकिन वह शहर के बड़े साहूकारों का या बड़े जमींदारों का रखा जाता है। इसमें भी कहीं कोई खामी है। आपके कुछ अधिकारियों से मुझे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और उनमें श्री चूड़ामणि जी का नाम विशेष रूप से यहां रखना चाहता हूं। उनकी विचारधारा सहकारिता की ओर है। वह चाहते हैं कि हम इस दिशा में अपने लक्ष्य तक पहुंच

सकें। उनके नेतृत्व में जो अधिकारी वर्ग है वह सुधार की तरफ ही जायगा और इस बीच में जो सहकारिता विभाग में परिवर्तन हुए हैं वे अच्छा संकेत देते हैं। उनके द्वारा हमारे सहकारिता आन्दोलन में नवजीवन का संचार होगा और जब किसान को पूरा फायदा मिलेगा तभी हम समझेंगे कि सहकारिता का वास्तविक उपयोग किसान के लिये है।

बनारसी दास जी जैसे मंत्री, जिनके अन्दर समाजवाद की भावना है, किसान मजदूर की भलाई की भावना है, उनके रहते अगर किसान मजदूर का हित न होगा तो कब होगा। आपने देखा होगा कि बहुत सी मजदूर समितियां हमारे बीच में खुली हैं इसलिये कि उनको भी पूरा-पूरा फायदा मिल सके। आपने देखा कि १५, १६ तरीकों से किसानों को फायदा दिया गया। अलीगढ़, मुरादाबाद, बुलन्दशहर में फैक्टरियां खोली गयीं, टेक्सटाइल मिल खोली गयी, शुगर मिल खोली गयी जिनमें काम चल रहा है और फायदा हो रहा है। एक बात यह है कि सहकारिता के बजाय प्राइवेट सेक्टर में फायदा ज्यादा होता है इसका कारण, विश्लेषण करने पर मैंने यह पाया कि लोग अपनी जिम्मेदारी महसूस नहीं करते और इसके लिये लोगों का नैतिक स्तर उंचा उठाने की आवश्यकता है। जब तक यह नहीं होगा, व्यापारिक क्षेत्र में हम प्राइवेट सेक्टर का मुकाबला नहीं कर पायेंगे और अगर हमारा सहकारिता आन्दोलन फेल हुआ तो हमारे देश में अराजकता फैल सकती है। हमारे देश में पूंजीपति बढ़ सकेंगे और यह वह वर्ग है जिसके कि हम खिलाफ हैं और जिसके विरुद्ध हम लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं तो हर माननीय सदस्य से यह प्रार्थना करूंगा, चाहे वह कांग्रेस पार्टी का हो, चाहे विरोधी पार्टी का हो, उसको सहकारी आंदोलन को सफल बनाने का प्रयास करना चाहिये। मैं माननीय मंत्री जी की सराहना करता हूं कि उन्होंने इस विषय पर बड़ी गहराई से विचार किया है। और इस आन्दोलन को सफल बनाने की ओर कदम उठाया है। मुझे आशा है वे इस आन्दोलन को सफल बनाने में सफल होंगे। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)––

उपाध्यक्ष महोदय, इस अनुदान पर जो कटौती का प्रस्ताव माननीय राधे श्याम शर्मा जी ने प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। वह एक ऐसा विषय है जिस पर मैं और मेरा दल इस पक्ष में है। परन्तु मैं ऐसा महसूस करता हूं कि इसके हाथ पैर कुछ ऐसे देहात में फैल रहे हैं जिसके कारण यह विभाग बड़ा बदनाम हो रहा है। अभी तक लेखपाल और पुलिस के सिपाही ही देहात में बदनाम थे। किन्तु सहकारिता का सुपरवाइजर इन दोनों से आगे बढ़ गया है। उसको ऐसी छूट है कि वह अगर १० हजार रुपया चाहे तो वह तीन दिन के अन्दर उसके पास आ जाता है। अगर उसे मकान बनाना हो, कोई आरा मशीन लगाना हो, किसी भी काम के लिये उसे रुपये की जरूरत हो, रुपया उसके पास फौरन आ जाता है। यह सब देखकर मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं यह विभाग डूब न जाय। इस समय जो इस विभाग के रजिस्ट्रार साहब हैं उनको तो रामपुर का एक एक रिक्शा-चालक तक जानता है कि किस तरह से गरीबों का खून चूस-चूस कर उन्होंने यह आंकड़े इकट्ठे किये हैं। मैं चाहता हूं माननीय मंत्री जी इस तरह के भ्रष्टाचार को अपने विभाग में रोकें वरना यह आन्दोलन समाप्त हो जायेगा।

श्रीमन्, इस विभाग ने एक योजना बनायी लैन्ड डेवलपमेन्ट बैन्क खोलने की, और वह खोले गये। उसके काम करने का ढंग बड़ा अजीब है। अक्तूबर में जिन किसानों ने प्रार्थना पत्र दिये, अब तक उनको पैसा नहीं मिल पाया है। रऊफ जाफरी साहब ने जिलों जिलों में घूम कर खुद दरख्वास्तें ली हैं। पता लगाने से यह मालूम हुआ कि उन दरखास्तों को बी० एल० डब्लू०

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रियासत हुसैन]

के पास हैसियत तस्दीक कराने के लिये भेजा गयी हैं। वह यह देखेगा कि पटवारी ने ठीक तस्दीक की है या नहीं, या उसके कहीं फर्जी दस्तखत तो नहीं किये गये हैं। इस कारण इतनी देर लग रही है। लोगों ने इधर उधर से कर्ज लेकर अपना काम चलाया और काफी परेशानी उठायी।

अब मैं सहकारी कृषि फार्मों के बारे में कुछ निवेदन करूंगा। मुरादाबाद और बुलन्दशहर में भी सहकारी कृषि फार्म चल रहे हैं। मुरादाबाद में मुझे जवाब मिला कि २० चल रहे हैं और जहां तक मेरी जानकारी है उन २० में से दो या तीन के अलावा सब फर्जी हैं। आपके कोआपरेटिव रजिस्ट्रेशन फार्म्स में लिखा है कि जिन सोसाइटीज में एक ही परिवार के पांच सदस्य होंगे उनका रजिस्ट्रेशन नहीं किया जायेगा परन्तु मान्यवर, वहां दो सौ से ऊपर सोसाइटीज हैं जिनमें अगर जांच करायें तो उनमें से कई एक ऐसी होंगी जिनमें एक ही परिवार के पांच सदस्य हैं। उसमें जान पहिचान वालों ने रजिस्ट्रेशन इसलिये करा लिया कि लोन मिल जाय और जो ग्राम समाज की संपत्ति है उसको हड़प कर लिया जाय। इसके अलावा जो लोन देने की बात है उस पर राधेश्याम शर्मा जी ने रोशनी डाली है। यह एक आम बीमारी है, उसका आप कैसे ओवर हालिंग करेंगे, मैं नहीं समझ सकता ? किसान बेचारा अंगूठा लगा देता है या दस्तखत कर देता है। उसको कुछ पता नहीं लगता। बाद में किसान को मालूम होता है कि उसके नाम से दो सौ या तीन सौ रुपयों का प्रोनोट भरा हुआ है। जब वह शिकायतें करता है कि उसने तो रुपया लिया नहीं तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है।

मान्यवर, एक एक साल से ज्यादा हो गया किसानों की ओर से दरख्वास्तें दिये हुए कि हमने कोई रुपया नहीं लिया, आज तक उसकी कोई जांच नहीं हुई। उसकी वजह क्या है ? मालूम हुआ कि ए० आर० साहब जो डिस्ट्रिक्ट लेविल पर हैं उनके भी एक एक सुपरवाइजर से एक एक डेढ़-डेढ़ हजार रुपया फी सीजन मुकर्रर हैं। उसकी एवज में सुपरवाइजर को क्या फल मिलता है, वह यह पता चला कि सुपरवाइजर पांच-पांच साल से अपनी ही जगह पर काम कर रहे हैं और उनका ट्रान्सफर नहीं हुआ। मुझे ऐसे पन्द्रह सुपरवाइजर के केसेज मालूम हैं जिनका ट्रान्सफर नहीं हुआ है। एक के बारे में बतलाया गया कि उसका भाई फौज में है। पांच का तबादला कम्पैशनेट ग्राउन्ड्स पर नहीं किया गया। ६ का एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउन्ड्स पर नहीं किया गया। तीन का तो तबादला हुआ ही नहीं। एक की बात तो समझ में आ सकती है कि उसका भाई फौज में है और वह भाई बाद में देखभाल करता हो पर बाकी की बात समझ में नहीं आती। यह सुपरवाइजर और जो लोकल डायरेक्टर्स और जो आपके बैन्क के अन्दर डायरेक्टर्स हैं, इन सबका गठजोड़ होता है। अगर सुपरवाईजर का ट्रान्सफर कर दिया गया तो हजारों रुपयों के गबन की जिम्मेदारी किन पर होगी। उन्हें तो अपनी मौत दिखाई देती है। मान्यवर, सवा पांच, परसेन्ट के बान्ड प्रोनोट मैम्बर्स से भराये गये हैं मुरादाबाद में और आठ परसेन्ट वसूल किया गया। मैंने इसके बारे में सवाल किया कि यह आठ परसेन्ट वसूली कैसी ? आपने जवाब दिया कि डायरेक्टर्स की मीटिंग में तय हो गया है कि तीन परसेन्ट एडजस्ट कर दिया जावेगा। श्रीमन्, वह आज तक वापिस नहीं किया। मान्यवर, एक ट्रान्सशिपमैन्ट कोआपरेटिव सोसाइटी है। उसमें चालीस हजार रुपये का गबन करके सेक्रेटेरी साहब भाग गये और उन्होंने कागज भी गायब कर दिये। जब मैंने इसके बारे में भी सवाल पूछा तो मुझे जवाब दिया गया कि चालीस हजार रुपये का गबन तो नहीं मालूम हुआ बल्कि पुराने सेक्रेटेरी ने कागजात नहीं दिये हैं। यह जवाब दिया गया, मान्यवर, जिस दिन आप उस सैक्रेटरी को कहेंगे कि कागज निकाले तभी तो गबन निकलेगा। यह हालत है आपके कोआपरेटिव सोसायटीज की। मेरी समझ में नहीं आता हालांकि मैं चाहता हूं कि इसका विस्तार गांव गांव में किया जाय लेकिन क्या इस तरह से गांव की बरबादी के लिये किया जाय ?

श्री उपाध्यक्ष—

आपका समय समाप्त।

(श्री कल्पनाथसिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि संसदीय इतिहास में और इस सदन के इतिहास में आज पहिली बार आपने माननीय बैठे हुए सदस्य श्री कल्पनाथ सिंह जी को बुलाया है। आज तक इस सदन की और नियमों की यह परम्परा है कि जो माननीय सदस्य खड़े होंगे उनमें से आप जिन्हें चाहें बुला लें।

श्री उपाध्यक्ष—

नेकराम जी, जब मैंने नाम लिया तो वे खड़े थे और बाद में बैठ गये।

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)—

आप इन्हीं से पूछिये कि वे खड़े थे या नहीं।

*श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, आज जो अनुदान प्रस्तुत है उसके समर्थन के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। इस कटौती के प्रस्ताव के सिलसिले में कुछ बातें कहीं गईं और उन बातों की तरफ मैं खास तौर पर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जहां आप यह कहते हैं कि हम सहकारी आन्दोलन के हामी हैं, मैं माननीय सदस्यों से यह कहना चहता हूं कि जो लोग सहकारिता के हामी हैं, जो सहकारिता को एक आन्दोलन समझते हैं, जो लोग सहकारिता को समाज के लिये एक अच्छी देन समझते हैं, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि वे लोग सहकारी आन्दोलन को अगर मिशनरी स्प्रिट से चलाने की कोशिश करें तो यह आन्दोलन सफल हो सकता है। सहकारिता एक आन्दोलन है, एक आर्थिक आन्दोलन है, इस आन्दोलन को चलाना नितान्त आवश्यक है।

अब मैं उसकी डिटेल में जाने की कोशिश करूंगा। आप देखें कि जीवन के कौन-कौन क्षेत्र इससे प्रभावित हुये हैं। सहकारिता ने जिधर भी कदम बढ़ाया है उससे समाज का जो गरीब अंग है वह प्रभावित हुआ है। समाज के गरीब अंग किसान को उसने राहत पहुंचाई है। उदाहरण स्वरूप साधन सहकारी समितियों को ले लीजिये, जो कर्जा देने का कार्य करती हैं, जो क्रय-विक्रय का कार्य करती हैं, प्रोसेसिंग समितियां, सहकारी समितियां, सहकारी खेती की समितियां, सभी समितियां किसानों के बीच में ही हैं। अगर इस आन्दोलन को किसानों ने खुद चलाया, सहकारिता में उसकी आस्था पैदा हो गयी, सरकार ने लोगों को सहकारी आन्दोलन चलाने के लिये प्रोत्साहन दिया तो सहकारी आन्दोलन अवश्य ही सफलीभूत होगा, निश्चय होगा। विश्वास के साथ, दृढ़ता और आस्था के साथ, परिपक्व विचारों के साथ अगर आप सहकारी आन्दोलन में लगें तो निश्चय ही यह सहकारी आन्दोलन आपको समाजवाद की ओर ले जायगा। समाजवाद के लाने का और कोई साधन हो ही नहीं सकता। बिना सहकारिता के समाजवाद एक कोरी कल्पना मात्र ही रह जायगी।

मैं उन दोस्तों से भी कहना चाहता हूं जो सहकारिता की बुराई करते हैं, वे यह भूल जाते हैं कि इस देश में जो शोषित वर्ग था जिसको दूसरों के द्वारा चूसा जाता था, जो किसानों के बीच में काम करता था, उस वर्ग के लिये भी श्रम सहकारी सोसाइटीज के रूप में संस्थाएं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कल्पनाथसिंह]

संगठित की गयी है। मैं यह जरूर मानता हूं कि उनकी संख्या काफी कम है लेकिन यह कहना कि सरकार ने इस ओर कोई कदम नहीं उठाया, इससे कोई लाभ नहीं होगा और न इसमें सत्यता ही है। श्रम सहकारी समितियों के लिये सरकार ने सुविधायें दी हैं, अनुदान भी दिया है और सरकार की सहायता और प्रयत्न से इस मुल्क में श्रमिक सहकारी समितियों का उत्थान हो सका है।

एक ओर जहां सहकारी आन्दोलन के माध्यम से बड़ी बड़ी दुग्ध सहकारी संस्थायें स्थापित की गयी हैं वहां छोटी छोटी दुग्ध संग्रह सोसाइटीज भी स्थापित की गयी है। गांव के दूध पैदा करने वाले को पैसे की कमी थी, बाजार का अभाव था, और भी तरह तरह की दिक्कतें थीं, उसको सरकार ने राहत दी है। दूध सहकारी संस्थाओं ने इस दिशा में बहुत अच्छा कार्य किया है। दूसरी ओर उपभोक्ताओं को भी अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने का प्रयत्न किया गया है। ये उपभोक्ता सहकारी संस्थायें शहरी, देहाती क्षेत्र के लोग जंगल में काम करने वाले तथा अन्य कर्मचारियों के लाभ के लिये कार्य कर रही हैं। समाज के कमजोर अंगों को इससे बहुत लाभ पहुंचा है और इन संस्थाओं के द्वारा इस प्रदेश का सबसे अधिक अंग लाभ उठा रहा है और बराबर सहकारिता आन्दोलन में वह अपनी आस्था प्रकट करता जाता है। यह इस बात का सबूत है कि किस तरह से सहकारिता आन्दोलन बराबर बढ़ता जाता है और उसके सदस्यों की संख्या बराबर बढ़ती जा रही है। केन सोसाइटी हैं, क्रय विक्रय समितियां हैं, उन सब की वृद्धि होती जाती है। मैं भूमि विकास बैंक के सम्बन्ध में कहूंगा कि माननीय सदस्यों ने कुछ सुनी सुनाई बातों पर ही अपने एतराज स्थित किये। आज भूमि विकास बैंक के माध्यम से किस तरह से ऋण दिये जा रहे हैं और किस तरह से भूमि विकास बैंक लोगों को लाभान्वित कर रहा है, उन को ट्रैक्टर्स, मशीनरी, सिंचाई के साधन, नलकूप, आदि देने में किस प्रकार सहयोग दे रहा है। मैं इस तरह के एतराजों को नहीं मानता। यह तो एक आन्दोलन है और जो इसके आलोचक हैं वह भी इसको एक आन्दोलन समझें और मैं तो एक निश्चित मत का हूं कि यह आन्दोलन अभी एक पूर्ण स्थायी आन्दोलन नहीं बना है और यह पूर्ण उस समय होगा जब कि समूची जनता एक स्वर से इन आलोचकों को समुचित उत्तर देने लगेगी। जो हम आलोचना के लिये आलोचना करते हैं उससे काम नहीं चलता। मैं अपने समाजवादी दोस्तों से और खास तौर से अपने कम्युनिस्ट भाईयों से या एस० एस० पी० और पी० एस० पी० के लोगों से निश्चित रूप से जानना चाहता हूं कि वह इस आन्दोलन का जोरदार ढंग से समर्थन करें और इसको एक देश का आर्थिक आन्दोलन समझ कर देश को एक समाजवादी रास्ते पर चलाने का प्रयत्न करें। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री विजयपालसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं काफी देर से यहां इस वादविवाद को सुन रहा था और अब मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। दोनों तरफ से इधर से भी और उधर से भी एक बड़ा प्यारा शब्द इस्तेमाल होता है 'सहकारिता आन्दोलन" लेकिन मेरी समझ में नहीं आया, मैं बोलने भी खड़ा हो गया कि ठीक क्या है और इस पर मैं बोलूं क्या? मेरी हालत ऐसी हो रही है कि समझ में नहीं आता कि आखिर मैं बोलूं क्या? माननीय कल्पनाथ सिंह जी अभी बहुत बोले लेकिन अगर उनकी पूरी स्पीच पढ़ी जाय तो उसमें से तत्व कुछ नहीं निकल सकता। मेरी समझ में भी केवल एक बात ही आई है कि यह पूरा विभाग जो है उसमें सिवा वही हेर फेर खाओ, पिओ, गबन करो, मौज उड़ाओ के अलावा और कुछ नहीं है। अगर यह काम आन्दोलन की तरह किसी तरह से भी चलाया गया होता और जैसा कि कल्पनाथ जी कह रहे थे अगर इसमें समाजवाद या साम्यवाद का लेशमात्र भी संबंध होता, या उसका अंश भी होता तो हम उसका डट कर समर्थन करते। रूस की बात कही जाती है तो वह बिना शुभा वहां है, मैं भी मानता हूं।

मैं एक बात बताना चाहता हूं जो बिलकुल सत्य है, वह कोई मिसाल नहीं है। हमारे यहां एक दांतों के डाक्टर साहब थे, बहुत पुराने और मजबूत आदमी थे वह। कैसी दाढ़ हो वह सन्सी से निकाल देते थे। एक आदमी आया उनके पास यह कहता हुआ कि मेरी पिछड़ी दाढ़ में बहुत दर्द है हिल रही है, उसको उखाड़ दिया जाय। जब उखाड़ने लगे तो आगे की मजबूत दाढ़ उनकी पकड़ में आई और उन्होंने उसको ही उखाड़ डाला, फिर वह मरीज बोला कि जिस दाढ़ में चीस थी वह तो रह ही गई। उन्होंने कहा कि बैठो अभी वह भी निकाले दे रहा हूं। इस तरह से उसका डाक्टर साहब ने पूरा जबड़ा साफ कर दिया क्योंकि वह काफी मजबूत आदमी थे सन्सी लगाई और खट से दाढ़ बाहर। आखिर में वही दाढ़ बाकी रह गई जिसमें दर्द था, वह आह आह कर रहा था गले में ही, बोल पाता नहीं था। सारा जबड़ा बेचारे का साफ हो गया। हमारी सरकार ने जो कोआपरेटिव डिपार्टमेंट को पकड़ा है, अगर उनकी यही दशा रही तो आहिस्ता आहिस्ता यह डिपार्टमेंट वहां पर पहुंच जायेगा जहां पर हमारे महाजन थे? जो हमारी दिक्कत थी। अगर इस डिपार्टमेंट को गबन का विभाग कहा जाय तो, मैं समझता हूं, बिल्कुल ठीक है। जब माननीय बनारसी दास जी इस विभाग के मंत्री नहीं थे और दूसरे मंत्री थे तब तो वे कहा करते थे कि इसमें गबन है और जब ये आ गये तो दूसरे जो हट गये उन्होंने कहा कि इसमें गबन है।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय चन्द्रभानु गुप्त जी का एक बयान मैंने पढ़ा। उसकी कटिंग मेरे पास मौजूद है। उन्होंने कहा कि कोआपरेटिव विभाग पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ १२ या १३ आदमियों के हवाले है। उन पर १२ या १३ आदमियों के ऊपर एक महीने में डी० ए० और टी० ए० में ढाई या तीन हजार रुपया महीना व्यय होता है। आज आपके जो कोआपरेटिव के सुपरवाइजर है, जिसको वे चेयरमैन बनाना चाहते है, चेयरमैन बना देते हैं और जिसको वे नहीं चाहते है, वह चेयरमैन नहीं रह सकता है।

दूसरी बात कोआपरेटिव बैंक की लीजिये, हर बैंक के पास कार होगी। मेरे भी एक रिश्तेदार के पास, जो कि एक बैंक के डायरेक्टर है, एक कार है। मैं भी उस कार में घूम आता हूं। वह कार जिनके कब्जे में है उनके द्वारा पार्टी के काम को मजबूत करते हैं। आज कार का दुरुपयोग करने, दफतर के पैसे का दुरुपयोग करने और अपनी पार्टी को मजबूत करने का भारी हथियार हमारे माननीय बनारसी दास जी के हाथ में आया।

जहां तक रुपये के लेन-देन का सम्बन्ध है उसमें भी हमें बड़ी ीड़ा होती है। अगर रुपया सही वक्त पर पूरी मात्रा में मिले तो भी कुछ फायदा हो सकता है लेकिन होता क्या है कि २०० रुपये की अगर जरूरत होती है तो १०० मिलता है और बाकी १०० रुपये में ६० रुपये का खाद मिलता है। इसके अतिरिक्त जो ट्रांस्फर एंट्री की बात है वह तो बड़ी खतरनाक चीज है। ३ या ४ साल वह ट्रांस्फर एंट्री चलती है और जो असल है उसका चौगुना हो जाता है। मालिक के पल्ले कुछ नहीं पड़ता है। कोआपरेटिव की मंशा केवल यह है कि किसान, मजदूर और गरीब आदमी कोआपरेशन में आयें और उनका विश्वास बढ़े। कोआपरेटिव से ट्यूबवेल बनायें, खेती करें और दूसरे उद्योग धंधे में लगें लेकिन उधर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। आज आजमगढ़ के बुनकर सोसाइटी बनाकर अगर काम करना चाहते हैं तो हमारी सरकार उन्हें पैसा नहीं देती है। पैसा तो आज उन्हें ही मिलता है जो गुट विशेष से ताल्लुक रखते है। यहां पर समाजवाद का बड़ा ढोल पीटा जाता है लेकिन उसके लिये कोआपरेटिव आन्दोलन एक जिन्दगी है और इस ओर हमारी सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिये। हमको इसके हर पहलू पर ध्यान देना चाहिए। हमें कोआपरेटिव फार्मिग की ओर भी विशेष ध्यान देना चाहिये। कोआपरेटिव फार्मिग की आपके यहां पर क्या दशा है। मेरे जिले में एक भी नहीं मिल सकता है। कुछ काश्तकार हैं जिन्होंने अपने निजी कोआपरेटिव फार्मिग को चलाया है। वे आज मुनाफे पर चल रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन कोआपरेटिव डिपार्टमेंट उनको क्या इमदाद देता है ताकि और

[श्री बिजयपालसिंह]

काश्तकारों को प्रोत्साहन मिलता, यह मैं पूछना चाहता हूं ? उधर ध्यान नहीं है। आज जमीन बंजर पड़ी हुई है, बेकार पड़ी हुई है, हमारी सरकार का कोई ध्यान नहीं गया कि वह मजदूर जो बिल्कुल बेरोजगार है, कोआपरेटिव बेसिस पर वह जमीन उनके नाम अलाट की जाती और कोआपरेटिव डिपार्टमेंट उनको पूरी सहायता दे करके काश्त कराता है जिससे अन्न की पैदावार बढ़ती और लोगों को रोजगार भी मिलता है। लेकिन उस तरफ कोई ध्यान नहीं है।

चूंकि मेरा समय कम है इसलिये ज्यादा न कह कर मैं कोआपरेटिव फार्मिग की बात कहना चाहता हूं। कोआपरेटिव फार्मिग की तरफ हमें बढ़ना चाहिये। एक सवाल जो बारबार हाउस में आया और जिसको माननीय सदस्यों ने कहा वह यह कि आज डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है। एक ने कहा कि पहले अच्छा था। मैं कहना चाहता हूं कि विभाग के कर्मचारी हमारे पहले भी वही थे, अब भी वही है निःसंदेह जहां तक मेरी जानकारी है पहले भी अच्छे थे और ये भी अच्छे हैं। लेकिन एक चतुर सवार को ठस घोड़ा देकर कहें कि १०, १५ मील का चक्कर लगाये तो सवार बेचारा क्या करे जब कि घोड़े के तो पैर उठते ही नहीं। कर्मचारी हमारे सारे, विभाग और नीचे के आर्गेनाइजेशन को तो मंत्री बांध कर खड़े हो गये, वह चाहते हैं कि मेरे गुट विशेष की ताकत बढ़ जाय, तो फिर विभाग वाले क्या करें? जब ऊपर ऐसा होता है तो नीचे के लोग भी वैसा ही करते हैं। कानून लुंज पुंज है। अब रह गये कर्मचारी, उनके बस का तो कुछ नहीं, उनके बस का यह विभाग नहीं है और यह विभाग पनप नहीं सकता और एक रोज माननीय बनारसीदास जी खुद कहेंगे, जब यह विभाग उनके पास नहीं रहेगा कि इसको बिल्कुल तोड़ दिया जाय, कोआपरेटिव आन्दोलन को खत्म कर दो। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं।

कुमारी श्रद्धादेवी (जिला मेरठ)—

श्रीमन्, मैं प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करती हूं। मेरा मन बिल्कुल नहीं था बोलने के लिये और दो वर्ष से मैं कभी बोली भी नहीं। पर मेरे पड़ोसी श्री विजय पाल सिंह जब बोलने लगे तो मेरा भी मन हुआ कि मैं भी कुछ बोलूं। अभी उन्होंने सहकारिता आन्दोलन शब्द की बड़ी ही कटु आलोचना की। अभी माननीय राधेश्याम शर्मा जी बोल रहे थे। उन्होंने सहकारिता विभाग के अन्दर जो कठिनाइयां रखीं वस्तुतः वे वास्तविक कठिनाइयां हैं, कमजोरियां हैं। लेकिन इतना बड़ा विभाग कोई भी हो उसके अन्तर्गत इस किस्म की कठिनाइयां होना या कमियां होना स्वाभाविक है। जिस विधि से आप लोग हर विभाग की आलोचना करते हैं उसी तरह से आपने इस विभाग की की। तो वह कमियां वास्तव में दूर होनी चाहिये। माननीय विजयपाल सिंह ने सहकारिता का मजाक उड़ाया। मैं पूछना चाहती हूं कि इसको कौन मना करेगा कि सहकारिता आन्दोलन नहीं है। मेरे सम्मुख कुंवर श्रीपाल सिंह बैठे हुये हैं। वह संस्कृति के बड़े हामी हैं, प्राचीन संस्कृति के हामी हैं, माननीय विजयपाल सिंह साम्यवाद के बड़े हामी हैं और मौलिक रूप से साम्यवादी सिद्धान्तों में विश्वास करते हैं। तो मैं नहीं समझती कि सहकारिता और समाजवाद और साम्यवाद में कहां अन्तर आता है। मैथड का तथा व्यवहार का अन्तर है। तो माननीय विजय पाल सिंह आप के यहां यानी आपकी पूज्य भूमि रूस में जब साम्यवाद का बीजारोपण हुआ उसी दिन से आज ४० वर्ष के अन्दर, मैं आप से पूछना चाहूंगी कि वहां साम्यवाद किस रूप में आया ? आप साम्यवाद का आन्दोलन लेकर चले। आपके बहुत बड़े दार्शनिक लेनिन साहब भी साम्यवाद का दर्शन लेकर चले। उसके अन्दर भी मजदूर और किसानों की खुशहाली की बात थी लेकिन आपने देखा कि लेनिन का दर्शन वहीं रखा रह गया और व्यवहार में ४० साल के बाद भी रूस में स्पेशल क्लास के आदमी पैदा हो गये। दूसरा क्लास टेक्नोक्रेट्स का पैदा हो गया। तीसरा क्लास पत्रकारिता है। जो व्यक्ति आपके उसूलों पर चलते हैं उनके अन्दर भी खामियां हैं। जो रिपोर्ट निकली है उसे आप पढ़ें और देखें कि क्या उसके अन्दर खामियां नहीं है ? आपका आधार है खूनी क्रान्ति।

अगर ४० वर्ष के बाद भी वहां क्लासेज हैं तो हमारे यहां वोट का आधार है। प्रत्येक हाई कोर्ट में रिट का अधिकार है। करप्शन को साबित करना कठिन है। हो भी जाय तो भी अपराधी को ही बेनीफिट आफ डाउट मिलता है यानी अपराधी को सजा छानबीन कर दी जाती है।

जहां तक हमारी समितियों का ताल्लुक है हम देखते हैं कि वे सब हमारी ही हैं हम ही उनको बनाते हैं। सदस्य बनते हैं। जितनी समितियां हैं उनमें चुनाव होता है तो फिर कुछ गड़बड़झाला भी होता है और जितनी सहकारी समितियां हैं उनके अन्दर कुछ खामियां भी हैं। उसके लिये दोषी हम सब लोग हैं। ४६ करोड़ रुपया इसके अन्दर लगा हुआ है। मुझे आंकड़े पता नहीं लेकिन अगर मेरी जानकारी में उसमें ८ लाख रुपये का गड़बड़झाला है तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है जब प्रमुख संस्थाओं के अन्दर और साम्यवाद की पृष्ठ भूमि वाली रूस की फैक्टरियों के अन्दर भी गड़बड़झाला मौजूद है, तो हमारे यहां भी हो तो कोई बुरी बात नहीं है।

सहकारिता की बात करते हुये सुपरवाइजर का जिक्र किया गया। बड़ी शिकायत की गयी और बेईमानी का जिक्र किया गया। उसका सीधा ताल्लुक रुपये के आने जाने, रुपये के हेर-फेर से है। उस रुपये का हेर फेर पंचायत सेक्रेटरी, सुपरवाइजर, सरपंच के बीच होता है। ९५ परसेंट हेरफेर के अन्दर पैसा गांव के अन्दर ही रहता है, गांव के लोगों पर, गांव के बच्चों पर खर्च होता है। आपको सुपरवाइजर से बड़ी तकलीफ है। लेकिन शहरों में इन्डस्ट्रियलिस्ट व व्यापारी लोग तीन तीन रजिस्टर रखते हैं, सही उपज क्या होती है, फैक्टरी का सही उत्पादन क्या होता है और कितना हेर-फेर वहां होता है उससे आप लोगों को कोई शिकायत नहीं होती। लेकिन थोड़ा हेरफेर किसान के बच्चे कर लेते हैं तो हम पर उस पर बईमान की सील लगा देते हैं। सुपरवाइजर अगर किसान के हित में ट्रान्सफर एंट्री कर देता है तो बड़ा भारी भ्रष्टाचार हो जाता है। थोड़ी देर के लिये मान लीजिये कि मुझे १ हजार रुपये की जरूरत है और मैं दे नहीं पा रही हूं। २०० रुपये हेरफेर करने वालों में चले जायं और ८०० रुपये मिल गये और मेरा काम चल गया तो आपको बड़ी नाराजगी है। मैं ट्रान्सफर एंट्री को यह कह कर सील नहीं कर रही हूं। लेकिन अगर किसान का धीरे-धीरे काम चलने लगे तो क्या बुरी बात है? वह धन की कमी से रुके नहीं हैं सहकारिता विभाग किसानों को उनकी ऐन जरूरत के मौके पर मदद करता है।

सहकारिता विभाग ने कुछ ऐसे कार्य किये हैं जैसा कि गांधी जी सोचते थे। वह सोचते थे कि गांव के अन्दर कच्चा माल पैदा हो। उसको स्टोर किया जाय और उससे पक्का माल पैदा किया जाय। तो जैसा आपने नोट में पढ़ा होगा सहकारिता विभाग ने १४० प्रोसेसिंग यूनिट्स चलाये हैं। ग्रामों के अन्दर कुछ कोल्ड स्टोरेज बनाये जा रहे हैं। कुछ प्रोसेसिंग यूनिट्स खोल दिये हैं और कुछ खोले जा रहे हैं। मैं समझती हूं कि गांधी जी की जो कल्पना थी उसका सक्रिय रूप इसके जरिये आता दिखाई देता है। बात रह गयी सुधार की तो उसके लिये आज समाज के अन्दर जरूरत है मान्यताओं को बदलने की। यह कल्पना की बात है। अगर एक सुपरवाइजर को ७० रुपये मिलते हैं उससे यह आशा की जाय कि १० लाख रुपये उसके हाथ में हो और थोड़ी बहुत बेईमानी न करे तो यह बात मेरी समझ में नहीं आती। हमारे यहां जो गरीब आदमी हैं वे जब हमको बंगले में रहते और कार पर चलते देखते हैं तो उनके अन्दर भावना पैदा होती है कि वह भी क्यों न चले। यह भी कल्पना की बात है कि जबतक हमारे पास पैसा नहीं है तो हम आनेस्ट हैं। हमारी परीक्षा तभी होगी जबकि हमारे पास पैसा हो और हम तब भी गरीब रहे, तब हम ईमानदार हैं या नहीं।

बड़ी आलोचना सुपरवाइजर की, की गयी। चपरासी से, टीचर से वह कम तनख्वाह पाता है। उसकी नौकरी कोआपरेटिव बैंक के अन्तर्गत करने जा रहे हैं। मुझे माफ किया जायगा? अगर सुपरवाइजर को कोआपरेटिव बैंक के अन्तर्गत दिया जायगा तो उसे सारे अधिकार राज

[कुमारी श्रद्धादेवी]

नीति के मिलेंगे, क्योंकि आज की राजनीति धन पर चल रही है। धन रहता है----सुपरवाइजर पर होगा। मेरा निवेदन यह है कि सुपरवाइजर की नौकरी सरकारी होनी चाहिये तभी उसका दोष दूर हो सकेगा।

*श्री सहदेवसिंह (जिला इटावा)---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सहकारिता के बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं भाई कल्पनाथ सिंह जी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि सहकारिता के विरुद्ध कोई भी नहीं है लेकिन जो भी नीति हो उसका एक्जीक्यूशन अगर गलत हाथों में होगा, बुरे हाथों में होगा तो छोटी से छोटी चीज भी बुरी हो जायेगी। आज सहकारिता की भी यही हालत है जो निर्विवाद रूप में एक अच्छी चीज है लेकिन इतने गलत हाथों में पड़ी हुई है जिसकी वजह से आज अर्थ का अनर्थ हो रहा है और सारे का सारा आन्दोलन फेल रहा है। पिछले ४०--५० साल से हमारे देश में यह आन्दोलन चल रहा है लेकिन मिनिस्ट्री के लेविल तक उसके एक्जीक्यूशन को जहरीला बनाने की कोशिश की जा रही है। सहकारिता मंत्री बनारसीदास जी के हस्तक्षेप के कारण इटावा जिले का सहकारी आन्दोलन सूदखोरों के हाथों चला गया है। जो सहकारिता के दुश्मन थे और जिनसे बचने के लिये यह आन्दोलन चलाया गया उन्हीं के हाथ में यह आन्दोलन आज चला गया है। हम आप सभी मानते हैं कि सहकारिता आन्दोलन का मुख्य उद्देश्य किसान जो मकरूज है उससे उसको छुटकारा दिलाना था और आज हालत यह हो गयी है कि जितनी भी सहकारी संस्थायें हैं उन सब पर सूदखोरों का अधिकार हो गया है। इटावा के जिला सहकारी बैंक में और दूसरे बैंकों में यही हालत हो गयी है। आज वहां जिले का सब से बड़ा सूदखोर मैनेजिंग डायरेक्टर बना हुआ है। सरकार ने इसमें क्या बात की है और बनारसी दास जी ने क्या किया है? इस पर जरा गौर करें। बैंक से आप लोग भली-भांति परिचित हैं कि इसमें दो तरह के शेयर होल्डर्स और दूसरी जो सोसाइटी के सदस्य होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की इसमें नीति यह है कि इन संस्थाओं पर ऋण लेने वाले और ऋण देने वाले किसानों का अधिकार होना चाहिये। राज्य सरकार के सहकारिता मंत्री जी ने जब सहकारी बिल पेश किया था उसमें भी यही बात कही गई थी कि बैंक पर प्रिफ्रेंशियल शेयर का अधिकार नहीं रहेगा और बैंक पर किसानों का अधिकार रहेगा। हमारे जिले में जो होल्डर्स सहकारिता के दुश्मन हैं, और वहां सहकारिता की दुहाई देते हैं, उन्होंने क्या किया है कि जितने शहर के महाजन थे उनसे ५०-५० रुपये ले कर प्रिफ्रेंशियल शेयर होल्डर्स बना दिया और उनकी बीबी बच्चों को भी शेयर होल्डर्स बना दिया। एक तरफ तो किसानों का रुपया ३१ लाख है और दूसरी तरफ इन महाजनों का रुपया ४०/५० लाख के करीब है। इसमें बहुत से बच्चों को और औरतों को शेयर होल्डर्स बनाया गया है, उनकी प्रोक्सी जेब में डालकर इन्होंने किसानों के भत्ते को बेकार कर दिया है। जो सोसाइटीज हैं वे बैंक के संचालक मंडल के प्रति विश्वास नहीं रखती हैं। लेकिन सूदखोर प्रिफ्रेंशियल शेयर होल्डर्स के मत को जेब में डालकर मैनेजिंग डायरेक्टर और डायरेक्टर बने हुये हैं।

यहां से उनसे कहा गया आप अपने बाईलाज में अमेंडमेंट कीजिये कि प्रिफ्रेंशियल शेयर होल्डर्स अपने में से ही प्रतिनिधि चुनेंगे और सोसाइटी के मेम्बर्स अपने प्रतिनिधि सोसाइटी के सदस्यों में से ही चुनेंगे। लेकिन आज तक बैंक की मीटिंग नहीं बुलाई गई। डिप्टी रजिस्ट्रार ने फिर से लिखा कि अगर आप अमेंड नहीं करेंगे तो हम उसको लागू कर देंगे। इस पर मीटिंग बुलाने का निश्चय किया गया लेकिन मीटिंग का नोटिस बहुत देर से भेजा गया और सारे जिले में यह प्रचार किया गया कि यह मीटिंग नहीं होगी। दुर्भाग्यवश हमारे जिला परिषद् के अध्यक्ष का देहान्त हो गया तो लोगों ने स्टेशन पर जा कर कांग्रेसियों ने और उनके साथियों ने प्रचार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कर दिया कि आज ठाकुर साहब की मृत्यु हो गई है इसलिये मीटिंग नहीं होगी। मीटिंग में कोरम न होने की वजह से अमेंडमेंट नहीं हो सका। नतीजा इसका यह हुआ कि प्रिफ़ेंशियल शेयर होल्डर्स ही गाइड करते रहे।

इसके बाद हम विभाग को बधाई देंगे कि डिप्टी रजिस्ट्रार ने इन नेताओं के विरोध के बावजूद भी उस संशोधन को लागू कर दिया। जब इसे लागू कर दिया तो दूसरी स्कीम चालू की गई कि बैंक ने इसके खिलाफ अपील दायर कर दी। रजिस्ट्रार और डिप्टी रजिस्ट्रर ने अपील तो दाखिल कर दी लेकिन स्टे नहीं दिया और कार्यरूप में पूरी कोशिश की कि प्रिफ़ेंशियल शेयर होल्डर्स का प्रभाव न रहे। लेकिन सहकारिता मंत्री श्री चतुर्भुज शर्मा के स्थान पर बनारसी दास जी सहकारिता मंत्री हो गये। उनके आने पर सहकारिता विरोधी तमाम सिद्धान्तों और नीतियों के विरुद्ध इतना गलत काम किया कि उस मामले में स्टे दिला दिया गया। डिप्टी रजिस्ट्रार ने जो संशोधन लागू किया था कि जो किसान हैं और उनकी जो समिति है उनके प्रतिनिधियों के हाथ में ही बैंक रहे। उसको व्यर्थ कर दिया गया। इस अपील का बहाना लेकर आज तक स्टे चलता चला आ रहा है। लोग इंतजार करते थे कि अपील का फैसला किसानों की जो समिति है उसके पक्ष में होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आज भी लागू है इसका नतीजा यह हुआ कि ७५ फी सदी लोगों के विरोध होने पर भी जो सूदखोर लोग हैं वे बैंक को पटरा किये हुये हैं। यह बैंक की बात हुई।

मैं सोसाइटियों की बात क्या बताऊं? कहा गया है कि ४०–५० साल पहले जब सहकारी आन्दोलन नहीं था तब किसानों पर जितना ऋण था उससे आज कम से कम ५० गुना ज्यादा ऋण है। सोसाइटियां नाम मात्र के लिये हैं। दरअसल सुपरवाइज और पैसे वाले मिल कर पूरा का पूरा रुपया जमा कर देते हैं और जब वसूलयाबी का वक्त होता है, दस हजार रुपया जमा कर दिया उसके बाद उन लोगों से दस्तखत करवा लिये और फिर से रुपया ले लिया। वास्तव में न किसान ऋण लेता है, न देता है। किसानों के नाम पर सूदखोर रुपया लेता देता रहता है। ३० जून से पहले जमा कर दिया, ३० जून के बाद निकाल लिया। आपके बीज गोदामों पर किसान अब बीज लेता है तो बीज कम तौला जाता है और जब वापस करता है तो ज्यादा तोला जाता है। कन्ज्युमर्स सोसाइटियां हैं उन पर चोर बाजारी ने कब्जा कर लिया है, चूंकि आप एकाधिकार ले लेते हैं कि मिट्टी के तेल सहकारी समितियां बेचेंगी, चूंकि बाजार का कम्पेटीशन नहीं रहता उनको पूरी छूट रहती है। कंट्रोल्ड कमोडिटीज बेच कर सहकारिता जी रही है। जितना ही यह आगे चलेगी किसान की और देश की आर्थिक स्थिति गिरती चली जायगी। बनारसीदास खुद तो डूबेंगे ही साथ ही साथ सहकारी आन्दोलन को भी ले डूबेंगे। इसलिये इस आन्दोलन को सही रूप में लाने की कोशिश करें।

*श्री गोविन्द सहाय (जिला बिजनौर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने की इजाजत दी। और मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि इस काम को करवाने में काफी सिफारिश मुझे करनी पड़ी। मैं विशेष रूप से आज यों भी बोलना चाहता था कि आज की व्यवस्था में कोआपरेशन का एक महत्वपूर्ण स्थान है और हमारी सबकी ख्वाहिश है कि इसके जरिये हम देश के अन्दर जैसा नया समाज बनाना चाहते हैं उसको ला सकें। इसलिये जितना रुपया इस पर खर्च हो उसका मुझे गुरेज नहीं है। मेरे लिये सिर्फ सवाल इतना है कि क्या जो रुपया हम खर्च कर रहे हैं उस से हम उस लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं या नहीं। कोआपरेटिव आन्दोलन को आंकने का एक ही तरीका हो सकता है कि क्या हमारे गांवों और शहरों में लोगों में मिल जुल कर काम करने की तरबियत और जहनियत पैदा हो रही है या नहीं? जो कोआपरेटिव ढांचा बन रहा है वह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गोविन्द सहाय]

जिन्दा ढांचा है या नहीं जो हमारे उत्पादन में मदद कर रहा हो ? जब मैं इस दृष्टि से देखता हूं तो मेरा खयाल है कि संगठन का फैलाव जरूर हुआ है लेकिन संगठन में रूह पैदा नहीं हुई यानी लोगों के अन्दर कोआपरेटिव ढंग से सोचने की तरबियत और जहनियत नहीं पैदा हुई। तो जो आन्दोलन का दर्शन है उसमें हम विफल हुये हैं। यह बात सही है कोआपरेशन का उत्पादन से रिश्ता है। इस दृष्टि से भी जब देखते हैं तो निराशा होती है।

कोआपरेशन जिन चीजों से वास्ता रखता है वह कंट्रोल की चीजें हैं। कोआपरेटिव सोसाइटीज का उत्पादन में सहयोग नहीं हो रहा है उस पैमाने पर जिस पर आशा की जाती थी। यह इस विभाग का दुर्भाग्य रहा है और मेरी पुख्ता राय है कि इस विभाग का दलगत राजनीति से सम्बन्ध नहीं होना चाहिये, दलगत राजनीति से सम्बन्ध है। जो भी इसका कार्य करे उसकी परसनैलिटी ऐसी नहीं होनी चाहिये जिसके खिलाफ कुछ लोग संगठित हों। यह इस विभाग का दुर्भाग्य रहा है शुरू से जब से यह विभाग चल रहा है, श्री मोहनलाल गौतम के जमाने से, इसको पोलिटिकल पैट्रोनेज का बड़ा भारी आला माना गया है। कोआपरेशन का मिनिस्टर मजबूत आदमी कहलाता है। उसके लिये लड़ाई झगड़ा भी होता है। उस दृष्टि से जब मैं देखता हूं तो जैसा लीडर होता है उसका प्रोजेक्शन होता है मुहकमे पर। अगर कलेक्टर चुस्त पहुंच जाता है तो सारा मुहकमा दस बजे दफ्तर में दिखायी देता है अगर ढीलाढाला होता है तो एडमिनिस्ट्रेशन में ढीलापन आता है। यह इस विभाग का दुर्भाग्य रहा है। इसलिये इसके अन्दर जो नयी स्प्रिट आनी चाहिये थी वह नहीं आयी। एक ने जो कदम उठाया दूसरे ने गलत समझा। मिसाल के तौर पर गौतम साहब ने एक तरीका निकाला कि फेडरेशन के सेक्रेटरी नान आफिशियल होने चाहिये लेकिन बाद में जो आया उसका सारा दिल इसमें लगा कि किस तरह से नये नये जरिये निकाले जायं जिससे हम अपने लोगों को घुसेड़ सकें।

अभी होम मिनिस्टर ने एक स्पीच दी है। मुझे ताज्जुब है कि कोई गवर्नमेंट ऐसे फंक्शन करती होगी। उनका कहना है कि गांवों में जितने भी भीषण क्राइम्स हो रहे हैं उनका सबसे बड़ा कारण गांवों की ग्रुप पालिटिक्स है और ग्रुप पालिटिक्स का सबसे बड़ा दाता कोआपरेटिव आर्गनाइजेशन है। यह सदन की स्पीच है। अगर यह राय एक मेम्बर गवर्नमेंट की है तो दूसरे लोग जो उसके आलोचक हैं उनकी क्या होगी ? इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता जो धारणा इस विभाग के बारे में होने लगी है वह यह है कि मिलजुल कर काम करने की उतनी भावना नहीं है जितनी मिल जुल कर खाने पीने की भावना बन गयी है। बुरे कामों में भी कोआपरेशन की जरूरत होती है। कोशिश यह की गयी कि कोआपरेशन को डिआफिशलाइज किया जाय। जो बिल है, मुझे हैरत होती है, जितने कोआपरेटिव इंस्टीट्यूशंस हैं, जो प्रदेश में सभा हुई थी कोआपरेशन की उन सबने उस बिल के खिलाफ रेकमन्डेशन की कि जो एक हाथ से दिया गया है दूसरे हाथ से लिया जा रहा है। किसी जिले के अन्दर अगर चुनाव होता है तो उसका ऐसा मैकेनिज्म हो गया है मैं आत्मभोगी की हैसियत से कह रहा हूं कि अगर सुपर-वाइजर कहे तो मैजारेटी न भी तो जीत सकता है। मैं अपने यहां का एक किस्सा अर्ज करना चाहता हूं। बिजनौर में कोआपरेटिव बैंक का एलेक्शन होने वाला था। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने तारीख तय कर दी है और कहा कि एलेक्शन करवाना है। इस बात के लिये हाई कोर्ट जाना पड़ा। वहां से आर्डर हुआ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को कि एलेक्शन तयकरने का हक उनको नहीं है। खुशी की बात है कि यह बात मैं मिनिस्टर की नोटिस में लाया। उन्होंने उसको माना और मुझे आश्वासन दिया कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उसका प्रेसीडेन्ट नहीं होगा। जिस रोज एलेक्शन होता है यहां से आर्डर जाता है। हमारी नीति है कि डिआफिशलाइज किया जाय लेकिन यदि कोई आदमी न मिले तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। एलेक्शन मुकर्रर हो जाता है। ७५ सिपाही लेकर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट सवेरे ८ बजे पहुंच जाता है। कहता है कि रात में मेरे पास वायरलेस आ गया है कि मैं अपनी अथारिटी नहीं दे सकता। क्या माने हैं ? तकलीफ होती है जब ऐसी बातें कहीं पर होती हैं। जिले जिले में इस तरह की बातें हैं। गोंडा जिले के सिलसिले में

अभी कल या परसों हाईकोर्ट का जजमेंट हुआ है। गोंडा के अन्दर ५ साल से कोई चुनाव नहीं हुआ था लेकिन कुछ लोगों को रखने के लिये वहां पर यह कराया गया। वे लोग हाईकोर्ट में गये और वहां पर रिट मंजूर हुई। जिले जिले में यदि इस प्रकार का प्रश्न है तो यह खतरनाक बात है। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस तरह की बातों की तरफ ध्यान हो।

अब मैं दूसरी चीज यह पूछना चाहता हूं कि वाकई कंट्रीब्यूशन क्या हमने पहले तीन साल के अन्दर कोआपरेटिव आन्दोलन को सजीव बनाने के लिये किया है? क्या कदम इस दिशा में उठाये हैं? कोआपरेटिव आन्दोलन को आन्दोलन देने का एक एटीट्यूड होता है। एक कोआपरेटिव मशीन अगर हमारे ऊपर हावी हो जाय तो इसके क्या माने हैं? एक सुपरवाइजर अगर आपके कहने को बदल दे तो यह एक एटीट्यूड की बात है। आज इस प्रदेश का यह दुर्भाग्य है कि इस विभाग का एक ऐसा आदमी मिनिस्टर है जो कोआपरेशन का प्रतीक नहीं है। जो दलबन्दी का, राजनैतिक दलबन्दी का प्रतीक है उसके हाथ में यह विभाग है। जब मैं यह बात कहता हूं तो तकलीफ के साथ कहता हूं। वह इस बात को कह सकते हैं कि आप में कोआपरेशन नहीं है। मैं इस बात को इसलिये कहता हूं कि बहुत अच्छे वह मिनिस्टर है। उनकी योग्यता में मुझे शक नहीं है। वह प्रदेश के एक ताकतवर आदमी हैं। इस में मुझे शक नहीं है लेकिन वह इस विभाग के लिये उपयुक्त नहीं है यह मेरी निश्चित राय है। वह पार्टी पालिटिक्स के एक सिम्बल हैं। उनके हाथ में यह कोआपरेशन का मुहकमा नहीं होना चाहिये। जो मैं यह बात कह रहा हूं इसकी मुझे कोई खुशी नहीं है। मैं इन्तहाई तकलीफ और दर्द के साथ यह बात कह रहा हूं। मुझे अच्छी नहीं लगती है इस तरह की बात कहना लेकिन यह स्थिति है। मिनिस्टर का स्टैंडर्ड और आई० ए० एस० का स्टैंडर्ड अलग-अलग होता है। कोई मिनिस्टर इम्तहान लेकर नहीं रखा जाता लेकिन फिर भी एक सिस्टम और तरीका होता है कि कौन आदमी कहां पर उपयुक्त होगा। मैं यह कह सकता हूं कि एक अच्छा आदमी अगर गलत जगह पर आप लगा देते हैं तो नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं आडिट रिपोर्ट के सम्बन्ध में। इस आडिट रिपोर्ट में जो आबजेक्शन्स हैं वे १ करोड़ ५० लाख के लगभग हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में क्या स्टेप उठाये गये? जो लोग इसके जिम्मेदार हैं और जिनकी वजह से ऐसा हुआ है उनके खिलाफ क्या कदम उठाया गया है? अगर ये फैक्ट्स हैं, अगर हाई कोर्ट में जजमेंट हैं तो यह बातें सोचने के लायक हैं। हमारे पास जो जिम्मेदारी है वह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इतिहास ने हमको एक मौका दिया है। इतिहास के लिखने वाले अगर यह लिखेंगे कि यह आन्दोलन आपके तंग नजरिये की वजह से पनप नहीं सका तो इतिहास हमको माफ नहीं करेगा। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस विषय में आप विचार करें। अभी नामिनेशन हुये। दुनिया के नामिनेशन उसी उसूल पर होते हैं कि जो उनका एक माना हुआ उसूल है। जब गुप्ता जी यहां पर चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने नामिनेशन का स्टैंडर्ड मान लिया था लेकिन उसको अब तोड़ा गया है और पूरी तरह से तोड़ा गया है। मेरे जिले के अन्दर १२ सीट डाइरेक्टर की थीं जिनका चुनाव लड़ना था। उनका नामिनेशन भी हो गया लेकिन जो हारा हुआ ग्रुप था और उनमें भी एक वह डाइरेक्टर हुआ जिसने अदालत में जाकर मुकदमा चलाया था इस विषय में कि वह गलत तरीके से हार गया है। इस तरह की बातें होती हैं। मैं बनारसी दास जी के नोटिस में यह बात ला चुका हूं। मैं समझता हूं कि इस तरह की बातें होती हैं तो उन बातों को ताकत मिलती हैं। मैं चाहता हूं कि जितना इस में रुपया खर्च किया जा रहा है वह जनता की भलाई के लिये इस्तेमाल करें। मुझे उनसे शिकायत नहीं है लेकिन कार्य करने की जो प्रणाली है वह ऐसी है जिससे ये बातें पैदा होती हैं। यदि सही रूप में जनता के हित को सामने रख कर इसमें वक्त लगाया जाय तो वह कुछ नतीजा दिखा सकता है। अगर यह विभाग इस ढंग से चला तो यह अपने कामों से ही दरहम बरहम हो जायगा। अगर आप कोआपरेशन को रखना चाहते हैं तो कोआपरेशन के खिलाफ जितनी बातें कही गयी हैं उन पर ध्यान दें। इस जिम्मेदारी को समझ कर इस दृष्टि

[श्री गोविन्द सहाय]

से इस पर विचार किया जाय। इस देश या प्रदेश में कोआपरेशन प्रांट के खिलाफ, कोई नहीं है। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो इससे ज्यादा रुपया भी अगर आप मांगेंगे तो वह भी आप को मिलेगा। साथ ही आपको कोआपरेशन डाइरेक्टोरेट के विभाग में भी कोआपरेशन के प्रति विश्वास होना चाहिये। डाइरेक्टोरेट को कोआपरेशन के ऊपर यकीन होना चाहिये क्योंकि कोआपरेशन जैसा विभाग एडमिनिस्ट्रेटिव विभाग नहीं समझा जा सकता है। इसके लिये तो अच्छे साहित्य निकलने चाहिये, अच्छी ट्रेनिंग होनी चाहिये, इसके लिये लोगों में एजूकेशन होना चाहिये और इन सब कामों को डिस्क्रिमिनिशन या पार्टीशन या पार्टीइज्म से बरी होना चाहिये।

*श्री गिरवर प्रसाद (जिला एटा)—

उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस हुकूमत आने के बाद उसको आवश्यकता इस बात की हुई कि इस हुकूमत को कायम कैसे रखें? लिहाजा उन्होंने जमींदारी खत्म करने के बाद यह मुनासिब समझा कि ८० प्रतिशत काश्तकारों को काबू में रखने के लिये सहकारिता आन्दोलन को शुरू किया जाय और किसी को काबू में रखने के लिये यह आवश्यक होता है कि उसे इतना अधिक कर्जा दिया जाय कि वह अपने काबू में आ जाय। जमींदारी के जमाने में साहूकार भी इस प्रदेश के अन्दर थे और वे साहूकारान काश्तकारों को अपने काबू में रखते थे। लिहाजा यह सहकारी आन्दोलन जो चलाया गया वह इसी उद्देश्य से कि काश्तकारों को काबू में किया जाय। मान्यवर, सहकारिता सम्बन्धी यह पुस्तिका जो हमें मिली है उस से यह पता चलता है कि शुरू शुरू में जितनी समितियां थीं उस से बढ़ गयी हैं, जो कर्ज दिया गया था वह आज पहले से कई गुना है, जो मंडियां कायम हुई थीं वे भी कई गुना हो गयीं। पहले तो सहकारी समितियां इस उद्देश्य से बनायी गयी थीं कि उनके जरिये काश्तकारों को औजार दिया जाय, कर्जा दिलाया जाय, ताकि उनको वे अपनी खेती की पैदावार बढ़ाने के लिये इस्तेमाल में ला सकें। सब कुछ विकास कार्य के लिये दिया गया हो, ऐसा उनका उद्देश्य नहीं था, बल्कि उनका उद्देश्य तो यह था कि उन काश्तकारों को काबू में रखा जाय जिनको खेती के उपज बढ़ाने के नाम पर औजार या कर्जा दिया गया है। इसकी सत्यता आपको पिछले १८ वर्ष के आंकड़े देखने से ही मालूम होती जाती है कि इस बीच में खेती की उपज बढ़ी नहीं है बल्कि कम हुई है। साधन सहकारी समितियों द्वारा जो कर्जा बांटा गया है उसका उद्देश्य यह नहीं था देश की तरक्की हो। आज ४९ प्रतिशत देहात के लोग कर्ज में डूबे हैं और इस तरह से उनको अपने काबू में करने के लिये यह कर्जा दिया गया है ताकि इसके जरिये किसानों की जमीन उनके कब्जे में आ जाय। काश्तकारों की जमीन छीनने के लिये पहले यह कानून बनाया गया कि वे भूमिधर हों ताकि उसकी जमीन वह कर्ज में ले सकें। सहकारी समितियां जिस समय कर्जा देती हैं उस समय काश्तकार की जमीन को वे मारगेज करा लेती हैं और इस तरह से यह स्थिति बनायी गयी है जिस से उनकी जमीन छीन सकें। सहकारी कानून में उसकी जमीन छीनने के लिये ही यह उपाय किया गया है। इन सहकारी समितियों के कायम करने का उद्देश्य केवल यही है कि वे काफी अधिक देहात के आदमियों को अपने काबू में रख सकें।

दुग्धशाला की योजना जो निकली है इसका भी उद्देश्य यही है कि गांव के आदमियों को अपने काबू में रखा जा सके। अलीगढ़ और एटा में जो इस तरह की दुग्धशालायें हैं वे ५०-५० मील से दूध लाकर अलीगढ़ और दिल्ली को पहुंचाती हैं। आजादी के माने यह नहीं हैं कि मक्खन निकाला जाय और गरीब आदमियों को सादा दूध भी पीने को न मिले। कर्जा दिया जाता है लेकिन कर्जा देने के माने यह है कि काश्तकारों को मजबूत बनाया जाय। स्वयं सरकार भी कर्जा लेती है, नित्य प्रति कर्जा लेती है और इस प्रकार से वह ८० प्रति शत काश्तकारों को बांट देती है। शायद उन का उद्देश्य यह नहीं था कि हम अधिक से अधिक आदमियों को कर्जदार बनायेंगे। उनका उद्देश्य था कि हम आदमी को स्वावलम्बी बनायेंगे। आज हमको

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कहा है कि हमारी इतनी समितियां हो गयी हैं, इतनी दुग्धशालायें हो गयी हैं, लेकिन इससे देश की शक्ति क्षीण हो गयी है और मैं समझता हूं कि सरकार अपने इस उद्देश्य में कि वह देश के किसान को अपने कब्जे में रख सके, इस में वह सफल हो गयी है। आप देखें कि इसी उद्देश्य से अनेक योजनायें आप ने लागू की, मंडी विधेयक आप ने पास किया। उसका उद्देश्य था कि शहर के अन्दर रहने वाले जो छोटे दूकानदार हैं, जो सौ दो सौ, रुपये का गेहूं फसल पर खरीद लेते थे वे समाप्त हो जायं। आप ने मंडी विधेयक द्वारा उनकी शक्ति लिमिटेड कर दी और यह व्यवस्था की कि खास आदमी ही बाजार में अनाज खरीद सकेंगे। इसका परिणाम हुआ कि उन खास आदमियों ने और कोआपरेटिव ने ही सारा गल्ला खरीदा और पब्लिक के आदमी गेहूं नहीं खरीद पाये। काश्तकार को कोआपरेटिव की दूकान पर गया और बड़ी बड़ी दूकानों पर गया और इसका नतीजा यह हुआ कि शहर से गल्ला गायब हो गया और यह कोआपरेटिव की मेहरबानी है कि जिस ने हमारे काश्तकार को मजबूर कर दिया अपना गल्ला बाहर बेचने के लिये। मैं समझता हूं कि सहकारी बैंक की भी इसी प्रकार हर योजना, हर प्रणाली मुल्क के लिये घातक है और देश को उसका फायदा नहीं हुआ। कोआपरेटिव बैंक से जो काश्तकार २० रुपया कर्ज लेता है कागजों में उसे २०० कर दिया जाता है। इसी प्रकार जब से डेसिमल प्रणाली लागू हुई है तब से जब वह रुपया जमा करने जाता है तो रजिस्टर में २५० की रसीद देने के बाद २५ ही जमा किया जाता है। मैं समझता हूं कि इस से कोई फायदा नहीं हुआ है।

दूसरी बात यह है कि अगर यह प्रणाली चलती रही तो हमारा किसान दस वर्ष बाद ऐसा हो जायगा सेंट पर सेंट कि उस के पास कोई जमीन बाकी नहीं रहेगी। चकबन्दी में आप ने जमीन को एकजायी किया, उस का उद्देश्य था कि अगर तीन भाई हैं तो सब की जगह एक जगह कर दी जाय, लेकिन उस के साथ ही आप सहकारिता चला रहे हैं। दोनों कानून एक साथ कैसे चल सकते हैं यह मेरी समझ में नहीं आता।

श्री उपाध्यक्ष—

आप का समय समाप्त।

*श्री रामायण राय—

मान्यवर, मैं यूं तो चाहता था कि राधेश्याम जी, जिन्होंने कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, वह स्वयं इस समय सदन में उपस्थित होते....

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

बैठे हैं। कहिये।

श्री रामायण राय—

ठीक है, मैं आप से ही निवेदन करूंगा। उन्होंने एक ही वाक्य में निवेदन किया कि सहकारिता समाजवाद का मूलाधार है और साथ ही उन का कहना है कि हमारे प्रदेश में जो सहकारिता का ढांचा खड़ा है वह एक शीशे का घर है। मान्यवर, राधे श्याम जी के अतिरिक्त एक दूसरे विचारक, जो हमारे दल के हैं, जो अभी सदन में मेरे पूर्व अपने विचार व्यक्त कर रहे थे, उनका ऐसा कहना था कि वर्तमान समाजवादी मंत्री जी के जमाने में सहकारिता का फैलाव तो बहुत हुआ है लेकिन जिस रूप की वह अपेक्षा करते थे उसका सृजन नहीं हुआ है। मैं, मान्यवर, उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि रूह के संबंध में दो तरह के विचार हैं। कुछ लोगों का विचार है कि रूह और शरीर दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन माननीय गोविन्द सहाय जी का यह विश्वास है, जहां तक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामायण राय]

मैं जानता हूं कि "आइडियाज आर प्राइक्ट आफ दी सेचुयेशन। विद दि ग्रिप आफ माइन्ड दे बिकेम सोशल फार्म्स" अगर समाजवाद में किसी आदमी की परिकल्पना की जाती है तो उसके लिये समाजवादी विचारकों और दार्शनिकों का यह विश्वास है कि वे परिस्थिति प्रसूत होते हैं, विचार। मान्यवर, जब आप एक ओर यह कबूल करते हैं कि सहकारिता का फैलाव हो रहा है, उसके विभिन्न अंग-उपांग विकसित हो रहे हैं तो उसके साथ ही साथ उसकी रूह को न देख पाना, मैं समझता हूं कि उनके अपने मन की स्थिति हो सकती है।

मान्यवर, उनका यह भी कहना था कि मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय सहकारिता मंत्री जी ने कौन-सा नया कंट्रीब्यूशन दिया, कौन सी नयी देनें सहकारिता के क्षेत्र में दीं? मैं दो तीन वाक्यों में ही निवेदन करना चाहता हूं कि स्वयं कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले महोदय ने ही यह स्वीकार किया था और संभवतः उस समय माननीय गोविन्द सहाय जी यहां उपस्थित नहीं थे कि सहकारिता में इस सदन के बहुत से सदस्यों के बहुत से सुझाव थे और उनके आधार पर जो उनकी दृष्टि से सब से बड़ा काम सहकारिता मंत्री जी ने किया है, उनके काल में हुआ है वह सहकारिता का कानून बनाने का है। वह ऐसा कानून है जिसके बारे में राधे श्याम जी का भी कहना है कि जैसे ही वह लागू हो जायगा, आज जो खामियां रह गयी हैं वह भी नहीं रह पायेंगी। मैं उन्हीं के शब्दों को दोहरा रहा हूं। इतना ही नहीं, मैं तो उन लोगों में से हूं जिनका यह विश्वास है कि सहकारिता जीवन का एक नया ढंग है। मान्यवर, अधिक दिनों की बात मैं नहीं करना चाहता, माननीय मंत्री जी के ही काल में पूर्व प्रथम इस बात के ऊपर जोर दिया गया कि सहकारिता का जब तक जनता में प्रशिक्षण न होगा तब तक यह आन्दोलन पूरी तरह से आगे नहीं बढ़ सकता है। माननीय सदस्यों की सेवा में यह पुस्तिका बांटी गयी है और इस में माननीय सहकारिता मंत्री जी के विचार नहीं हैं। इस प्रदेश के विभिन्न समाचार पत्रों ने अभी कुंभ मेले के अवसर पर इसके विचारों को प्रसारित करने के लिये, जनमत में उतरने के लिये जो पैवीलियन बनाया गया था उसके संबंध में मत व्यक्त किये हैं। मैं माननीय सदस्यों से सादर साग्रह निवेदन करना चाहता हूं कि वे उन्हें देखने की कृपा करें। मान्यवर, जहां ८० लाख व्यक्ति इकट्ठे हुए, उनमें से ६ लाख लोगों ने प्रतिज्ञा की कि इस पैवीलियन के चलते हम अपना जीवन सहकारिता के आधार पर चलायेंगे।

मान्यवर, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे पूर्व वक्ता महोदय इस बात को भूल जाते हैं कि यह एक जनता का मूवमेन्ट है। यह बंदूक के बल पर नहीं चलाया जाता। इसमें जनता से सहयोग की अपेक्षा की जाती है। जितना ही अधिक सहयोग जनता का मिलता जायगा उतना ही यह आन्दोलन आगे बढ़ता जायगा और अन्त में, मान्यवर, एक और बात मैं अवश्य निवेदन करना चाहता हूं। कहा जाता है कि सूद की दरें बढ़ती जाती है। माननीय सहदेव सिंह जी ने, जो इटावा से तशरीफ लाते हैं, फरमाया कि एक दिन ऐसा आयेगा कि जब किसानों का सत्यानश हो जायगा सहकारिता के चलते। मैं चन्द आंकड़े उनकी सेवा में प्रस्तुत करना चाहता हूं हालांकि उनको इस समय मेरा निवेदन सुनने के लिये उपस्थित रहना चाहिये था। मान्यवर, रिजर्व बैन्क आफ इंडिया का जो पैसा हमें प्राप्त होता है उस पर सूद बढ़ गया दो प्रतिशत। लेकिन, मान्यवर, आप यह देखेंगे कि जहां शार्ट टर्म लोन में ४ परसेन्ट का पहले अन्तर था नीचे के बैन्कों से और हमारे स्टेट बैन्क में, वह अन्तर घट कर केवल ३/४ रह गया। ४ प्रतिशत से घटकर ३/४ प्रतिशत रह गया और मीडियम टर्म लोन का जो ४ प्रतिशत का अन्तर था वह १/४ रह गया। मैं तो ऐसा समझता हूं कि माननीय सदस्यों की मन की जैसी स्थिति होती है उनको वैसा ही दिखाई देता है। मैं नहीं समझता कि माननीय गोविन्द सहाय जी के मन में ऐसा विचार कैसे उत्पन्न हुआ कि इस विभाग का मंत्री ऐसा हो जो दलगत राजनीति से ऊपर हो। यह ऐसी बात है जिसे मेरी समझ में धृष्टता की बात कही जायेगी। इटावा

की बात मैं पूछता हूं क्या थी ? पिछले लगातार प्रयासों के बाद जब उनके उम्मीदवारों की हार हुई, तो हार का क्या कारण होता है, वह आपके सामने स्वयं आया। मैं तो माननीय गोविन्द सहाय जी को इस विभाग के लिये कन्ट्रीब्युशन्स बताना चाहता हूं। कौन नहीं जानता कि इस सदन में यह बार-बार आग्रह किया गया कि जिन लोगों के पास बन्धक रखने को कोई चीज न हो उन्हें कुछ सहूलियत लोन लेने में हो। मौजूदा सहकारिता मंत्री महोदय ने ३ तरह के फन्डों की रचना की और उसके लिये धन की व्यवस्था की। क्या यह उनके द्वारा सराहनीय और क्रान्तिकारी परिवर्तन नहीं हुआ है ? जो भी अपने समय में माननीय मंत्री जी ने कार्य किया है वह बड़ी ही सराहनीय है और उन्होंने सहकारिता आन्दोलन में एक क्रान्तिकारी अध्याय जोड़ने का प्रयास किया है। मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों से अपील करूंगा कि वे इस सहकारित आन्दोलन को सफल बनावें।

श्रीमन्, १९४६–४७ में सभी प्रकार की, गन्ना समितियों को छोड़ कर, समितियों की संख्या २३,४९६ थी, इस समय यह संख्या ५७,९४१ हो गयी। क्या यह प्रगति की बात नहीं है ? जो हमारे यहां मौजूदा बैन्क है वह देश में दूसरे स्थान पर है इसका नम्बर महाराष्ट्र के बाद आता है। महाराष्ट्र तथा मद्रास में इन बैन्कों को जो इन्डस्ट्रियल तथा कृषि समितियों को ऋण देने की व्यवस्था है, वही अगर हमारे यहां भी कर दी जाय तो यह सारे देश में सर्व प्रथम बैन्क हो जायेगा। यह देश में सर्वोत्तम हो जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका समय समाप्त।

(श्री राधेश्याम शर्मा के सदन में अनुपस्थित होने पर)

श्री बनारसीदास—

आदरणीय महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस बहस में भाग लिया और अपने मूल्यवान सुझाव दिये। सदन के दोनों पक्षों के सदस्यों का इसमें एक मत है कि सहकारिता के आधार पर हमारे समाज का संगठन हो। लेकिन मुझे थोड़ा आश्चर्य होता है जब कि कुछ व्यक्ति जो वास्तव में विभूति संपन्न हैं और यहां पर जनता के प्रतिनिधि चुनकर आये हैं, अपने आत्मविश्वास को खोने का सबूत देते हैं, जैसे माननीय विजयपाल सिंह जी ने तो यह घोषणा कर दी कि समाजवाद....

श्री राधेश्याम शर्मा—

श्रीमन्, हम तो केवल पेशाब करने के लिये गये थे, हम सारे दिन बराबर यहां बैठे रहे। मैं केवल ५, ७ मिनट में खत्म कर दूंगा। वरना यह तो बड़ा अनर्थ हो जायगा।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं लाचार हूं। नयी बात हो जायगी और रोज झगड़ा होगा।

श्री बनारसीदास—

श्रीमन्, मुझे उन दोस्तों से कुछ नहीं कहना है जिनका सैद्धांतिक मतभेद सहकारिता की नीति से है लेकिन जो सहकारिता में यकीन रखते हैं, मुझे सम्वेदना होती है और साथ ही थोड़ी उन लोगों पर दया आती है जो अपने आत्मविश्वास को खोकर ऐसा समझते हैं कि सहकारी आन्दोलन कोई प्राप्स लगाकर चल सकता है। व्यक्तिगत क्षेत्र में कम्पनीज ऐक्ट है या इंडस्ट्रीज के चलाने के लिये डेवलपमेन्ट ऐन्ड रेगूलेशन ऐक्ट है, वहां कभी एंट्रेप्रेन्योर यह शिकायत नहीं करते कि सरकार उनको सहारा दे। वे अपनी कम्पनीज का रजिट्रेशन कराते हैं और स्वयं उनका संचालन करते हैं। कोआपरेटिव ऐक्ट तो इसलिये बनाया गया है कि जिन लोगों का सहकारिता में विश्वास

[श्री बनारसीदास]

है और जो सामाजिक संगठन, आर्थिक संगठन, सहकारिता के सिद्धान्तों से करना चाहते हैं, उसके मुताबिक सहकारी समितियों का निबन्धन करावें और स्वयं उनका संचालन करें। तो मैं नहीं समझता कि जो कम्युनिस्ट नीति में विश्वास करते हैं, प्रगतिशील हैं वे क्यों ऐसी बात कहते हैं। क्या सहकारिता में को ऐसा प्रतिबन्ध है कि वे सहकारी कृषि समितियां निबंधित न करा सकें या आदर्श समितियां न बना सकें ? क्या जो लोग सहकारिता में यकीन रखते हैं वे आदर्श कृषि समितियां, आदर्श ऋण समितियां, आदर्श औद्योगिक समितियां, आदर्श कन्ज्यूमर्स कोआपरेटिव स्टोर्स बिला गवर्नमेन्ट की सहायता के नहीं चला सकते हैं ? क्या वे सिर्फ यह समझते हैं, कि उनका काम तो केवल आलोचना करना है ? इस काम के लिये तो आडिट विभाग है इंसपैक्टर्स मौजूद हैं। जन आन्दोलन चाहे वे राजनैतिक हों, सामाजिक हों धार्मिक हों, वे हमेशा स्वयं चला करते हैं, जैसे प्रकाश अंधेरे को दूर करता है। हमारे प्रदेश में आदर्श कृषि समितियां हैं चाहे उनकी संख्या कम ही हो। आदर्श कोआपरेटिव कन्ज्यूमर्स स्टोर्स हैं और उन लोगों ने जनता का पथ प्रदर्शन किया है।

हमारे यहां आदर्श कोआपरेटिव बैन्क है। यदि कोई माननीय सदस्य चाहें तो वह अध्ययन कर सकते हैं। (श्री लखी सिंह के कुछ कहने पर) मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है जब मथुरा का जिक्र किया जाता है। मैं वाकई उनको बधाई देता हूं। मैं नहीं समझता कि वह किसी की भर्त्सना कर रहे हैं या अपनी असमर्थता और असहायपन का परिचय दे रहे हैं। आज जब सीतापुर जिले में बैन्क में एक जनसंघ के विधायक अगर मैनेजिन्ग डाइरेक्टर हो सकते हैं तो मैं नहीं समझ पाता कि उसी कानून और उसी विभाग के होते हुए अगर आप कार्यक्षमता रखते हैं और जनता के साथ सम्पर्क है तो माननीय सदस्य जो मथुरा से आते हैं उनको वहां एम० डी० होने और बैन्क पर कब्जा करने से कौन रोक सकता है ? हमारे प्रदेश में ऐसे बहुत से कोआपरेटिव बैन्क हैं जिनका कांग्रेस जनों से कोई संबंध नहीं है, बहुत से ऐसे बैंक हैं जहां प्रजा-समाजवादी लोग हैं और सीतापुर में जनसंघ के लोग हैं। ऐसी बहुत सी कोआपरेटिव सुसाइटीज हैं जिनके सरपंच ऐसे लोग हैं जिनका हमारे दल से कोई संबंध नहीं है। मैंने इस सदन में कभी इस बात को डिफेन्ड नहीं किया कि कोआपरेटिव में त्रुटि नहीं हैं, समाज में त्रुटि है। जो भी संस्था मानव के हाथ में होती है वह उस समाज की कमजोरियों और विशेषताओं को प्रतिध्वनित करती है, मनुष्यों के आचार बिचारों को बताती हैं। ऐसी कौन सी जगह है, चाहे वह व्यक्तिगत हो, चाहे कोई व्यापारी संस्था हो, अथवा सरकारी खजाना ही क्यों न हो, जहां गबन नहीं होता ?

अब इस संबंध में मैं सहकारिता विभाग की हालत को बताऊंगा। सहकारिता विभाग में कुल वर्किंग कैपीटल २२८ करोड़ है और ६४–६५ में उसमें जो गबन हुआ है वह है १० लाख ५० हजार का। इसका मतलब हुआ कि उसका प्रतिशत ०.०४५ है। १९५०–५१ में जब कि वर्किंग कैपीटल २० करोड़ ४२ लाख थी उस समय ३ लाख ३८ हजार का गबन हुआ था। उस वक्त गबन का प्रतिशत आता था ०·१६। इस प्रकार से आप देखें कि कितना अन्तर हुआ है और हमारा कारोबार कितना बढ़ा है। जब भी कोई जन आन्दोलन होगा तो इस प्रकार की चीजें किसी न किसी मात्रा में होगीं ही। मैं इस बात को कहने का दुस्साहस नहीं कर सकता कि ऐसा बिलकुल भी न होगा। ऐसा तो कोई राम राज्य ही हो सकता है जहां कोई अन्याय अथवा गबन न हो। हां, मैं इतना अवश्य कह सकता हूं कि गबन को रोका जा सकता है यदि नैष्ठिक व्यक्ति उसमें आ जायं।

अभी माननीय राधेश्याम जी कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय कह रहे थे कि लैन्ड डेवलपमेन्ट बैन्क के द्वारा जो कर्जा दिया जाता है उसके अन्दर बहुत कटौती होती है। रिजर्व बैन्क ने एक सैंपिल सर्वे करायी थी लेकिन उसने इस प्रकार की किसी त्रुटि की ओर संकेत नहीं किया। अकेले सादाबाद तहसील में २०० से अधिक पम्पिंग सेट और ट्यूबवेल लगाये गये। राधेश्याम जी स्वयं उसको देख सकते हैं, उसके लिये किसी वेरीफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। अकेले मथुरा जिले में १–९–६५ से २५–२–६५ तक २९,६५,६५० रुपये का वितरण किया गया। जो लोन्स सैंक्शन हुए हैं वे अलग हैं।

श्री राधेश्याम शर्मा—

मैं आपकी बात में दखल नहीं देना चाहता। आपने जो आंकड़ा दिया है वह जिला कलेक्टर से आया हुआ आंकड़ा है। मैं उसको भी मानता हूं। लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह सारा रुपया काश्तकार को मिल गया। मेरा ऐसा खयाल है कि इसमें से एक तिहाई रुपया काश्तकारों को नहीं मिला है, केवल दो तिहाई रुपया मिला है।

श्री बनारसीदास—

मैं माननीय राधेश्याम जी की जानकारी के लिये यह बता देना चाहता हूं कि इस रुपये का पेमेन्ट चेक द्वारा होता है और जो अपनी जमीन को मार्गेज करता है उसको बैन्क की ओर से १५ हजार रुपया तक मिलता है। १५ हजार से ५०० रुपया उसको नहीं मिलता, यह बड़े आश्चर्य की बात है। और आश्चर्य की बात वहां और भी है जहां माननीय राधेश्याम जी और लखीसिंह जी जैसे लोग मौजूद हों और वहां ऐसी बात हो जाय।

श्री लखीसिंह—

मैंने स्वयं कई लोगों को रंगे हाथों पकड़वाया, लेकिन उनके खिलाफ कुछ नहीं हो रहा है। लखी सिंह ऐसा नहीं है।

श्री बनारसीदास—

मैं तो यह अर्ज कर रहा था कि अगर किसी जिले में वहां के किसानों में इस तरह का अज्ञान है कि उनको चेक किस रकम का मिला और उसके पेमेंट के बाद भी वह इतने भयभीत हों कि वह रुपया रिश्वत में दे दें तो मैं नहीं समझ सकता कि कितने पिछड़े हुये वह लोग होंगे। लेकिन ऐसे जाग्रत जिले में जहां कि २ इस तरह की विभूतियां पैदा हुई हों वहां के किसान चेक लेकर कैसे कम पैसा लेंगे या रिश्वत देंगे।

श्री राधेश्याम शर्मा—

वह तो पहले ही रुपया ले लेते हैं, सब काम पहले ही हो जाता है, बाद में चेक मिलता है।

श्री बनारसीदास—

सिर्फ बैंक में ५ प्रतिशत शेयर वाले कर्जदार हैं जिसका मतलब है कि १ हजार पर ५० रुपये का शेयर है जिस पर कि उसे ब्याज मिलता है। मैंने अभी आंकड़े दिये कि २९ लाख से ज्यादा का वहां का हिसाब है। उन किसानों से उनका संबंध है, उनको वह सूची बनायें, मैं ऐसे केसेज की उनके जिले में जाकर स्वयं जांच करूंगा। यदि वह यह साबित करें तो मैं ऐसे लोगों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करूंगा।....

श्री लखीसिंह—

आपके विभाग में तो दरख्वास्त जाती है और वह गम हो जाती हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठिये। जब तक मंत्री जी नहीं बैठते, आप नहीं बोल सकते।

श्री बनारसीदास—

हमारी दिक्कत यह है कि वहां पर दिगम्बर सिंह, श्री लखी सिंह के लिये लाल बुझक्कड़ बन गये हैं और उन पर से उनका भूत उतारने की मेरे पास दवा नहीं है। दिगम्बर सिंह एम० डी० हैं।

[श्री बनारसीदास]

अब अक्सर यह चर्चा होती है कि सहकारिता विभाग में ऋण जो दिया जाता है उसमें बोगस इंट्रीज होती है । अगर साधारणतया कोई व्यक्ति कर्जा लेता है और उसको वह किसी से पैसा कर्ज लेकर अदा कर दे और ऐसे केसेज हैं कि कर्जा लेकर अदायगी की गई । कुछ लोग जो इस तरह का काम करते हैं कि कर्जा उन्होंने अदा किया, कर्जा बैंक से लेकर कर्जदारों को अदा नहीं किया और रुपया मिल गया इस तरह का खतरा जो ले सकते हैं । जैसे आप को ५००० की किस्त देना है तो क्या कोई गारन्टी कर सकता है कि कहां से अदा किया, कर्ज लेकर दिया या जेवर बेंच कर दिया या कहां से किस्त अदा की । इस तरह से सब चीजें सिम्पिलिफाई होती हैं । सन ६४–६५ में ४९ करोड़ रुपया बांटा गया । सेंट्रल बैंक ने १३ करोड़ रुपया दिया, लखनऊ से १२ करोड़ दिया गया और रिजर्व बैंक ने २१ करोड़ रुपया दिया । इसी तरह से यह ३३ करोड़ रुपया वह है जिसकी अदायगी यू० पी० कोआपरेटिव बैंक और रिजर्व बैंक से होती है । जिले का १३ करोड़ रुपया हुआ और सोसाइटी का ३ करोड़ हुआ तो वह हुआ कि ४९ करोड़ में से १६ करोड़ स्थानीय कर्जा रहा । तो यह कैसे हो गया जब बोगस एंट्री हो गई और अदायगी भी हो गई और रिजर्व बैंक का भी पेमेंट हो गया । तो किस तरह से बोगस एंट्री हो गई ? मार्केटिंग सोसाइटी के द्वारा भी १७ करोड़ का माल हैंडिल किया गया । तो समझने की बात यह है कि अगर किसान के पास पैसा देने को नहीं है और वह अगर एक दो सप्ताह के लिये किसी से कर्ज लेकर बैंक का पेमेंट कर दे और बाद में जब उसको पैसा मिल जाय तो वह अदा कर दे तो इस में कौन सी बात है ? मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, हमारे प्रतिनिधि सहदेव सिंह ने कहा और श्री राधेश्याम से चर्चा की या नहीं कि इटावा कोआपरेटिव बक में डिप्टी डायरेक्टर रहे । जिस वक्त विधेयक के अन्दर हम यह धारा ला रहे थे और इस पर बहस कर रहे थे कि अगर कोई सोसाइटी अपनी इच्छा से बाइलाज में संशोधन न करे तो रजिस्ट्रार को यह अधिकार होना चाहिये कि उन नियमों में संशोधन कर सके तो माननीय सहदेव सिंह और माननीय राधेश्याम का हस्तक्षेप हुआ ।

श्री राधेश्याम शर्मा—

न माननीय सहदेव सिंह जी ने और न मैंने हस्तक्षेप करना चाहा ।

श्री बनारसीदास—

अगर किसी सोसाइटी के उपनियमों में संशोधन करना है तो रजिस्ट्रार को सबसे पहले अवसर देना चाहिये तो । डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक की तरफ से यह आपत्ति की गयी कि संशोधन करने का अवसर उनको नहीं दिया गया ।

श्रीमन, एक बात का मुझे बड़ा अफसोस है कि इस समय सदन में माननीय गोविन्द सहाय जी नहीं हैं । वास्तव में वे एक बड़े सिद्धांतवादी व्यक्ति हैं । अगर वे कहें कि २ और २ पांच होते हैं तो बड़े तर्क के साथ सिद्ध कर सकते हैं । यदि वे यह साबित करना चाहें कि इस वक्त दिन नहीं है तो वे बड़ी खूबी के साथ यह साबित कर सकते हैं कि सूर्य छिप गया है । इस विधेयक का गर्भाधान उन्हीं के जमाने में हुआ था । सन, १९६० में वे मंत्री थे और १९६१ में वह विधेयक इस सदन के सामने आया और प्रवर समिति ने पास किया । इस विधेयक के जन्म देने में माननीय गोविन्द सहाय जी का भी हाथ था । हमने उस विधेयक को प्रगतिशील बनाने का प्रयत्न किया, नामिनेशन किया, उसको ज्यादा जनतांत्रिक बनाया । तो आदमी की याददाश्त भूल जाती है ।

मुझे आश्चर्य होता है कि जब कुछ लोग दलगत राजनीति की बातें करते हैं । पार्लियामेंट्री सिस्टम आफ डैमोक्रेसी क्या है ? माननीय रामसुन्दर पांडेय जी का एक दल, एक दल इधर बैठा है और कुछ उधर बैठे हैं । हमारे सिम्बल्स अलग-अलग हैं । मुझे फख्र है कि हमारे दल का विधान कोई संचालक विधान नहीं है । उसका जनतांत्रिक विधान है । मेरे दल का चुनाव होता है, पार्टी का चुनाव होता है । अगर मेरे दल का विधान न होता तो

मेरे जैसे आदमी को सोचना पड़ता कि मेरा स्थान कांग्रेस के अन्दर है भी या नहीं । यहां पर कहा गया कि कोआपरेटिव मिनिस्टर वह होना चाहिये जो दलगत नीति से अलग हो । जो आदमी निर्वाचित होकर आयेगा, वह दलगत राजनीति से अलग नहीं हो सकता है ।

एक चीज यहा पर रजिस्ट्रार या डिप्टी रजिस्ट्रार की कृपा प्राप्त करने की बात कही गयी। किसी भी आदमी को अपवाद प्राप्त करने का अधिकार नहीं है । कोई भी व्यक्ति यदि वह चुनाव में खड़ा होना चाहता है तो उसके प्रार्थना पत्र को मंजूर किया जाता है जब तक कि वह किसी अदालत से दंडित नहीं होता है । श्रीमन्, बिजनौर जिले के अन्दर माननीय गोविन्द सहाय ने स्वयं माना, मैंने स्वयं उन से निवेदन किया कि वह वाइस प्रेसीडेंट जो स्वयं उम्मीदवार है क्या वह मीटिंग का सभापतित्व कर सकता है ? इस तरह की मिसालें हैं जो ५ की जगह पर ५० वोट लिख देते हैं । इसलिये मैंने कहा कि ऐसा वाइसप्रेसीडेंट बनाओ जो दोनों लड़ने वालों को मंजूर हो और गैर सरकारी आदमी हो । माननीय गोविन्द सहाय जी ने नहीं माना । लिहाजा फिर जिलाधीश को आदेश दिया । अब अगर उस में निष्पक्षता न होती तो माननीय गोविन्द सहाय जी के आदमी कैसे कामयाब हो जाते । वह अपने जिले की कृषि सहकारी समिति के मालिक हैं तो उसके अन्दर गबन है क्या, उस का वह संचालन करते हैं । मैं समझता हूं कि यकीनन वह सफल संचालन करते हैं । माननीय गोविन्द सहाय जी की आस्था सहकारी आन्दोलन में है । तो जैसी उनकी आदर्श सहकारी समिति है उसी से अन्दाजा लगायें । यदि वह अकेले हैं तो मैं समझता हूं कि नेतृत्व का विकास नहीं है । माननीय गोविन्द सहाय जी की प्रतिमूर्ति प्रदेश के किसी और जिले में भी होगी । मैं जानता हूं कि मैनेजिंग डायरेक्टर कौल्युजन करके ८, ९ साल तक चुनाव नहीं करते थे, मिली जुली रिट फाइल कर दी, गोन्डे के अन्दर इस तरह की बात हुई । मैंने कहा कि चुनाव को न रोका जाय, बराबर प्रयत्न किया कि समय पर चुनाव हों ।

माननीय राधेश्याम जी ने आशंका प्रकट की कि शायद सहकारिता विधेयक को राष्ट्रपति जी की असेंट न मिले । मैं कहना चाहता हूं कि इसी महीने के अन्दर उनकी असेंट मिल जायगी । लिहाजा उस कानून के अन्दर मैंने इस बात की व्यवस्था की, जो प्रवर समिति की रिपोर्ट के अन्दर नहीं था, कि सहकारी समिति की एक निश्चित टर्म होना चाहिये । उस टर्म के बाद में यदि चुनाव न करायें तो ज्यादा से ज्यादा ६ महीने तक उस को मौका दिया जाय चुनाव करायें वरना अपने आप ही वह सोसाइटी डिजाल्व हो जानी चाहिये और फिर अधिकारियों का काम है कि चुनाव करायें । तो क्या यह प्रगति की तरफ कदम नहीं है ? अब हर साल रोटेशन होता है, कुछ डायरेक्टर्स का इलेक्शन होता है । हमने एक टर्म रख दिया तीन साल का, डिसेन्ट्रलाइज्ड इलेक्शन होगा, नामीनेशन होगा, ब्लाक लेविल पर हम चुनाव करायेंगे और जब सहकारी आन्दोलन का जन्म हुआ था तो प्रीफरेंशियल शेयर होल्डर्स का स्थान था । आज मैं मानता हूं कि उनका कोई अधिकार नहीं है । हमने उनके अधिकारों को सीमित किया है । ब्लाकों से कर्ज लेने वालों के प्रतिनिधि आयेंगे, प्रीफरेंशियल शेयर होल्डर्स का भी उसके अन्दर एक प्रतिनिधि होगा ।

बड़ी चर्चा की गई माननीय चतुर्भुज शर्मा जी की, मेरा विश्वास है कि किसी गलतफहमी के अन्दर उन्होंने बयान दिया, जिसकी चर्चा माननीय राधेश्याम जी ने की । बहरहाल, वह तो उन्हीं का बच्चा है, मैंने तो उसकी परवरिश की है और अगर उसके अन्दर कोई बीमारी थी, कमजोरी थी तो उसे दूर करने का प्रयास किया ।

प्राविन्शियल कोआपरेटिव फेडरेशन के एकाउन्ट्स के बारे में सन् १९६२–६३ के अन्दर आडिट विभाग ने कोई टीका टिप्पणी नहीं की । टीका टिप्पणी का सम्बन्ध जो है वह यू० पी० कोआपरेटिव यूनियन की आडिट रिपोर्ट से है । इसके अन्दर यह लिखा गया कि १ करोड़ ३० लाख रुपया यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन ने सीड स्टोर्स से लैवी की शक्ल में वसूल किया । उनका ऐतराज यह है कि यह रुपया सुपरवाइजर और कामदारों की तनख्वाह के लिये २५ लाख रुपया

[श्री बनारसीदास]

यू० पी० कोआपरेटिव यूनियन को दे दिया गया और बाकी एक करोड़ ५ लाख रुपया यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन के पास रहा यह मिसऐप्रोप्रियेशन है । यह उनका कथन है । आडिट विभाग ने यह नोट लिखते हुये कोई सलाह नहीं की । लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि १९४८ में हमारे प्रदेश के जो भी सीड स्टोर्स थे उनको कोआपरेटिव विभाग में ट्रांसफर किया गया उस समय यह फैसला किया गया कि इसका जो पावना है, जो लायबिलिटी है, जो गवर्नमेन्ट को पैसा देना है, यह यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन अदा करेगा यह भी तय किया गया कि सुपरवाइजर्स की व्यवस्था यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन के द्वारा होगी । उस समय उनकी संख्या कम थी जो बाद में बढ़कर १६०० हो गई । १९४८ में यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन ने इतना रुपया वसूल नहीं किया , बल्कि ७० लाख ७४ हजार रुपया वसूल हुआ । यह भी गलत है कि यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन ने केवल २५ लाख रुपया यू० पी० कोआपरेटिव यूनियन को दिया । ऐसा नहीं है, दोनों के पदाधिकारियों ने मिलकर देखा कि कितने रुपये की आवश्यकता है ? गवर्नमेन्ट ग्रान्ट इन एड लेने के बाद कितना डेफी-सिट है ? ३५ लाख ८ हजार रुपया अदा किया गया ।

इसके अलावा यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन जिलों में अपने दफ्तर रखता है और प्रान्त में भी रखता है । लेकिन सीड स्टोर्स अलग चलते हैं और इन पर २२ लाख ९१ हजार रुपया खर्च हुआ, तो कुल रकम १५ लाख ९ हजार बची । इससे एक सीड फार्म कायम किया गया। प्रत्येक ब्लाक में एक सीड स्टोर है। लिहाजा ब्लाक में जो सीड स्टोर्स थे उनसे हानि का अनुमान था और वह करीब १ करोड़ है जो गवर्नमेन्ट अदा नहीं करेगी । सीड फार्म में करीब १२ लाख रुपया लगा है । गवर्नमेन्ट ने रजिस्ट्रार को १९४८ से ही लैवी वसूल करने का अधिकार दे दिया था । यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन पर भी यह लागू है और विधान में भी यह लिखा है । इसलिये इसमें किसी तरह का इम्बैंजिलमेंट नहीं है । फेडरेशन ने १ करोड़ ३० लाख रुपया वसूल न करके केवल ७० लाख ७४ हजार रुपया वसूल किया था और कोआपरेटिव यूनियन को २५ नहीं बल्कि ३५ लाख रुपया दे दिया था । फेडरेशन एक साउंड संस्था है । गवर्नमेन्ट जो रुपया वसूल नहीं कर सकती थी उसको इसने वसूल किया ।

श्रीमन्, एक चर्चा की गई कि हमारे सीड स्टोर्स का बीज निकम्मा है । मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा किसान हो जो बीज न उगने पर उसकी चर्चा न करे । केवल १० लाख क्विंटल बीज दिया गया और इससे पहले वह एग्रीकल्चर विभाग से सर्टीफाई हो जाता है कि उगेगा या नहीं। तीन तरह का बीज था ए०बी०और सी० । साढ़े सात लाख क्विंटल बीज ए० क्लास का था और ढाई लाख क्विंटल बीज बी० और सी० क्लास का था । हमारे प्रदेश में एक करोड़ मन बीज की आवश्यकता होती है, उसमें से २५ लाख मन हमने दिया और अगर हमारा बीज खराब था तो मैं समझता हूं कि हमारे यहां सारी खेती उगी नहीं होगी ।

मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि माननीय सहदेवसिंह ने कहा कि यह सहकारिता आन्दोलन बैठने वाला है, इस पर कर्जा बढ़ता चला जाता है । आजकल जो अर्थ शास्त्री हैं वे जानते हैं कि जितने भी लिमिटेड कर्न्स हैं उन पर कितना कर्जा है । सदन में रोज चर्चा चलती है कि आपने फलां इंडस्ट्रियलिस्ट को लोन दिया तो क्या सब मिट गये ? किसी व्यापारी का एकाउन्ट देखें तो जिसके पास एक लाख रुपया होता है वह १० लाख रुपये का व्यापार करता है और बाकी रुपया बैंक से कर्ज लेता है । छोटी मोटी सोसाइटियां चलाने के लिये बैंकों की व्यवस्था है । उत्पादन बढ़ाने के हेतु यदि किसान कर्ज लेता है तो वह क्या बुरा करता है, यह मेरी समझ में नहीं आता है। यदि उसके कर्ज लेकर उन्नत ढंग से खेती करने से देश को अन्न मिलता है, उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनती है तो इसमें किसी को आब्जेक्शन होने की क्या बात है ? जिनके पास जमीन होती है, एसेट्स होते हैं, उन्हीं को कर्जा मिलता है सभी को तो नहीं मिल जाता ।

हरीसिंह जी ने शिकायत की कि जिनके पास जमानत देने को नहीं है उनको कर्ज नहीं मिलता है, तो इसमें गलत बात क्या है? जिसके पास कर्ज लेने के लिये जमीन नहीं है साधन नहीं है तो, उसको किस लिये कर्ज दिया जाये ? हम १ करोड़ ७० लाख का कर्जा देते हैं। यहां पर ४५० लाख एकड़ जमीन है, यदि हम १००–१०० रुपया भी कर्जा दें तो हमें करीब १४५ करोड़ रुपये की जरूरत होगी । तो हम तो नहीं के बराबर कर्ज देते हैं, इससे ज्यादा है ही नहीं सरकार के पास फिर भी माननीय मेम्बर कहते हैं कि वह कर्ज से दबा जा रहा है । देश की आर्थिक उन्नति के लिये, तरक्की के लिये, और एसेट्स को बढ़ाने के लिये इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा करना ही पड़ेगा। आज जो गवर्नमेंट लोन बढ़ाती जाती है तो उसके साथ उसके एसेटस भी बढ़ते जाते हैं । कारपोरेशन लोन फलोट करती है, गवर्नमेंन्ट आफ इंडिया और सभी गवर्नमेन्टस लोन फलोट करती हैं एसेट्स को बढ़ाने के लिये । मैं राधेश्याम जी से कहूंगा कि वह कम से कम प्रारम्भिक समाजवाद के बारे में तो अपने साथियों को सुशिक्षित करें या गोविन्द सहाय जी ही इसके लिये कोई स्कूल खोलें । कर्ज बढ़ता जाता है तो यह कोई आश्चर्य या संशय की बात नहीं है ।

श्रीमन, विजयपाल सिंह जी ने जो चर्चा की उससे मुझे ताज्जुब हुआ । शायद उनके दिमाग में कोई उलझन है कि वह कोआपरेटिव फार्मिग की चर्चा न करके उनके विभाग में चीन और रूस की कोआपरेटिव फार्मिग और कलेक्टिव फार्मिग की कोई तश्वीर है । क्लेक्टिव फार्मिग में तो अवश्य वहां पर गवर्नमेंट का उन पर नियन्त्रण रहता है, सरकारी मैनेजर रहता है । लेकिन हमारी कोआपरेटिव फार्मिग में कोई ऐसी बात नहीं है, सरकार का जरा भी नियन्त्रण नहीं है, सदस्यों की बिलकुल ही स्वतंत्रता पर उसका सारा कार्य होता है, चाहे कोई भी अपना शेयर चाहे जब वापस ले सकता है, जमीन वापस ले सकता है । उन्होंने इतिहास पढ़ा सोवियेट रशा का जहां पर "लैण्ड टू दि टिलर" का नारा देकर कोआपरेटिव फार्मिग हुई और फिर वह कलेक्टिव फार्मिग हुई और फिर वह स्टेट फार्मिग हो गयी । हमारा रास्ता और नीयत बिलकुल साफ है जैसा कि कम्यूनिस्ट लोग समझते हैं वैसा नहीं है । "लैण्ड टू दी टिलर" यह तो एक नारा है जमीन लेने का नेशनलाइजेशन करने का । मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इस सूबे में यदि कहीं कोई कम्युनिस्ट है तो मैं उससे पूछता हूं कि उनके गांव में मुजफ्फरनगर के गांव में तो कोई कोआपरेटिव सोसाइटी होनी चाहिये थी । यह कोआपरेटिव सोसाइटी नहीं बनायेंगे और कहते हैं कि विभाग निकम्मा है ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

मैं यह जानना चाहता हूं कि इनकी कोआपरेटिव फार्मिग तो खाने पीने का, लूटने का आदर्श कायम कर रहा है, कम्यूनिस्ट कौन सा आदर्श कायम करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपया बैठ जाइये ।

श्री बनारसीदास—

उन्होंने कहा कि कोआपरेटिव डिपार्टमेंट में एक तरह का कोआपरेशन है खाने कमाने का । अगर यह कोआप्रेशन है तो इसमें मुझे कोई एतराज की बात नहीं मालूम पड़ती है । यदि वह ऐसा कहते हैं तो मैं समझता हूं वह जनता के सामने अपने दिमाग का दिवालियापन का ही इजहार करते है । अगर वे नैतिक दिवालियेपन को जनता में घोषित करें तो सिवाय इसके और मैं क्या कर सकता हूं किउनके प्रति अपनी हमदर्दी का इजहार करूं । उनके अन्दर इंजेक्शन लगाकर मैं अक्ल पैदा नहीं कर सकता हूं और न कोई सलफा ड्रग देकर ही उनके अन्दर नैतिक बल पैदा कर सकता हूं । मैं तो केवल कोशिश कर सकता हूं उनको रोशनी दिखाने की । बहरहाल उनको एक दिशा दिखा सकता हूं । अगर आप डाकखाने में जाकर रजिस्ट्रेनशन कराये तो इसमें दोष किसका है ? कोआपरेटिव आन्दोलन के मामले में जिस प्रकार से सोसाइटी रजिस्टर्ड

[श्री बनारसीदास]

होती है अगर उसी प्रकार से होती हो और फिर कहते हैं कि चल नहीं सकती तो इसमें दोष किसका है ? किसकी जिम्मेदारी है ? यदि स्टाक एक्सचेन्ज कम्पनी का आडिट होता है तो वे भी कम्पनी ऐक्ट के मातहत रजिस्टर्ड होती हैं । तो इसका क्या मतलब है ? क्या कोआपरेटिव कानून के मातहत रजिस्टर्ड होनी चाहिये या नहीं ? कोआपरेटिव का आन्दोलन एक जनता का आन्दोलन है । कुछ लोग होते हैं जो हमेशा एक चीज को दूसरी तरह से देखते हैं और उसका विश्लेषण दूसरी तरह से करते हैं । इसमें उनको तसल्ली हासिल होती है । अगर अपनी गलती होती है तो उसको दूसरे के अन्दर अभ्यारोपित करके तसल्ली करते ह । अगर कोई यह समझ ले कि जो लड़का मरा है वह हमने ही मारा है या हमारी वजह से मरा है तो फिर वह जिन्दा नहीं रह सकता है । डाक्टर का कसूर बताकर उसको तसल्ली मिलती है । तो जनतंत्र की परम्परा में कोआपरेटिव आन्दोलन इसी तरह से चलते हैं । इस पर कुछ कलमथे खैर कहकर हमारे कुछ भाई तसल्ली कर लेते हैं । यह परम्परा है और उस परम्परा को तोड़ने के लिये इस तरह की बातें कही जाती है । इसी तरह से वे २ और २ चार न कहकर २ और २ को पांच कहना पसन्द करते हैं । अब यह उनकी बुद्धि पर है कि वह ३ और ३ को ३३ करें या ३ और ३ को ६ करें । अगर बीच में सिफर लगा दिया जाय तो फिर ३०३ भी हो सकताहै । यह उनकी योग्यता पर है कि किस तरह से इसका अर्थ लगाते हैं । यह विभाग तो एक प्रकार से सुविधा प्रदान करता है । हो सकता है उससे थोड़ा सा ही रास्ता मिलता हो ।

कहा गया कि जो हार गये उनको श्रमदान प्रदान किया गया । मैं यह निवेदन करूंगा कि अभी राज्य सभा के चुनाव आने वाले हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आपने यह निश्चय कर लिया है कि जो व्यक्ति जनरल एलेक्शन में हार गये हैं वे राज्यसभा में नहीं आ जायेंगे, क्या जो व्यक्ति जनरल एलेक्शन में हार गये हैं वे राज्य परिषद् में नहीं जायेंगे ? सबसे पहले समाजवादी दल की तरफ से ही यह परम्परा चालू हुई है कि वहां पर दूसरे व्यक्ति न जाकर बल्कि हारे हुये उम्मीदवार फिर से चुनकर गये हैं. . . . . .

श्री काशीनाथ मिश्र---

मैंने यह निवेदन कर दिया है कि इधर के बैठने वाले कांग्रेस की ही नकल कर रहे हैं ।

श्री बनारसी दास---

मैं पूछना चाहता हूं कि क्या हारने वाले लोगों का वहां स्थान नहीं होना चाहिये ? जो लोग शीशे के महल में बैठते हैं उनको पत्थर फेंकने का प्रयास नहीं करना चाहिये । आप यह जानते हैं कि हारने के बाद में जैसी कि हमारी यह नीति है, हमने इस सदन के हारे हुये आदमी को नहीं भेजा लेकिन मैं माननीय बालोजी अग्रवाल का यह भ्रम निवारण कर देना चाहता हूं कि होम मिनिस्टर एक नहीं, दो नहीं बल्कि कई जिले के एक एक ग्राम समाज के प्रधानों दवारा चुन कर आये हैं । अब अगर हठधर्मी ही बालोजी करना चाहें तो इसका कोई इलाज नहीं है ।

कुवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)---

आपकी पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया, जनता नेउनको वोट नहीं दिया तब वे ग्राम समाज के प्रधानों द्वारा चुन कर आये ।

श्री बनारसीदास---

कुंवर साहब भी मेरी बात का समर्थन करते हैं कि वे जिनको हमने टिकट नहीं दिया था उनके द्वारा चुनकर माननीय गृह मंत्री आये ।

तो बहरहाल अगर बालो जी प्रधानों के मत को कोई मत नहीं मानते, जिन प्रधानों को जनता ने चुना है, तो कम से कम म तो यह कहने की गुस्ताखी नहीं करता ।

कुंवर श्रीपालसिंह—

आपने पहले उनको मंत्री बना दिया है उसके बाद उनको चुनवाया ।

श्री बनारसीदास—

संविधान में यह प्रिविलेज है कि कोई भी व्यक्ति बिना चुनाव के ६ महीने तक मंत्री रह सकता है। और उनको मंत्री तो बना दिया गया था लेकिन मंत्री घोषित हो जाने के बाद भी उन्होंने चार्ज तब तक नहीं लिया जब तक वे चुन कर नहीं आ गये ।

श्री भगवानदास यादवेन्दु—

एक तरफ तो वे हाउस के बाहर माननीय सदस्यों को पिटवाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप उनके चुनकर आने की बात कहते ह (व्यवधान)

श्री बनारसीदास—

बहरहाल, कौंसिल का चुनाव तो अब आ रहा है। एक मर्तबा मैं फिर उन माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इसमें इतनी दिलचस्पी दिखलायी और जिन्होंने इस विभाग की आलोचना। की उन्होंने भी इस आन्दोलन का पूर्णतया समर्थन ही किया और इसके लिये मैं उन सब का कृतज्ञ हूं ।

श्री राधेश्याम शर्मा—

एक स्पष्टीकरण मैं माननीय मंत्री जी से चाहता हूं। मार्गेज बैंक से जो कर्जा दिया जाता है तो हर जगह काश्तकारों को एक फर्द की जरूरत पड़ती है जिसको लेने के लिये उन्हें काफी दौड़ धूप करनी पड़ती है और काफी पैसा खर्च करना पड़ता है, तब वह उसे मिल पाता है। तो क्या आप इस तरह का कोई तरीका निकालने के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं कि हर काश्तकार का एक कार्ड बन जाय और उसके साथ उसकी एक फोटो लगा दी जाय ताकि जब उसे फर्द की जरूरत पड़े तो उसे आसानी से मिल जाया करे और लूट खसोट स बच सक ।

श्री बनारसीदास—

जैसा कि आप का सुझाव है कि उस पर भी गौर किया जायगा लेकिन हमने तो काश्तकारों के लिये पास बुक बनवा दिया है। फिर लैंड डेवलपमेंट जब लोन देता है तो उसके लिये काश्तकार को नानइनकम्बरेंस सर्टिफिकेट देना पड़ती है कि उसके ऊपर कहीं दूसरी जगह का कर्जा नहीं है। किसी को बाध्य तो किया नहीं जा सकता कि वह केवल बैंक से ही कर्जा ले। वह व्यक्तिगत रूप से भी किसी से कर्जा ले सकता है। बहरहाल, जो आपका सुझाव है उस पर भी हम अवश्य गौर करेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या २३—सहकारिता के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सहकारिता के नाम पर सरकारी एकाधिकार की मनोवृत्ति के खिलाफ ठोस सुझाव देना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २३—सहकारिता के अन्तर्गत २,४९,८१,६०० रुपये की मांग वर्ष १९६६–६७ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ४ बजकर, ५८ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मिश्र,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
२ मार्च, १९६६।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'क'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ९ का उत्तर पीछे पृष्ठ १२ पर]

परिशिष्ट 'क'

सड़क का नाम	अन्य विवरण
१—थानापुर चहनिया रोड	कार्य शुरू हो गया
२—सकलडीहा अलीनगर रोड	,,
३—ज्ञानपुर दुर्गागंज कंकर रोड	,,
४—लेगाइलिया रोड	,,
५—बड़ा गांव कछवा रोड	,,
६—पाली सुरियांवा रोड	सर्वे हो रहा है
७—सरपतहा मोध रोड	,,
८—गिरई बानूपुर रोड	,,
९—निवाजी समरथ रोड	,,
१०—सकलडीहा सैयद राजा रोड द्वारा नया बाजार डिघौल व धसूरा।	कार्य शुरू नहीं हुआ

विधान सभा पुस्तकालय

नत्थी 'ख'

(देखिये पीछे पृष्ठ ३३ पर।)

प्रतिवेदन

मैं, उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय की पुनस्संगठन समिति का सभापति, निम्नलिखित प्रश्नों पर, जो माननीय अध्यक्ष द्वारा २८ सितम्बर, १९६५, को समिति को निर्दिष्ट किये गये थे यह प्रतिवेदन सदन को प्रस्तुत करता हूं।

अनुच्छेद १८७ में विहित है कि विधान सभा का सचिवालय व साचविक कर्मचारीवृन्द पृथक होंगे। इस अनुबन्ध से विदित होता है कि विधान सभा का सचिवालय स्वतंत्र रूप से संचालित होगा और अपना कार्य सम्पादन करेगा। अतः निम्नांकित सदस्यों की समिति को अधोलिखित प्रश्न विचारार्थ सुपुर्द किया जाता है जो अपना प्रतिवेदन ३ मास में प्रस्तुत करेगी—

(१) क्या वर्तमान प्रक्रियाओं तथा संचालन विधियों को ध्यान में रखते हुये उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय अनुच्छेद १८७ के अभिप्रायों के अनुसार स्वतंत्र हैं ? यदि नहीं तो, उसके स्वतंत्र रूप से काम करने में क्या कठिनाइयां है और उनका निवारण किस प्रकार से हो ?

(२) विधान सभा सचिवालय के साचविक कर्मचारी वृन्द की भर्ती, नियुक्ति व उनकी सेवा की शर्तों के विनियमन आदि के बारे में क्या नियम हों, इस पर भी विचार करे और अपने सुझाव दें।

(३) अनुच्छेद १८७ के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुये समिति उपर्युक्त विषयों के अतिरिक्त अन्य सुसंगत व सम्बन्धित विषयों पर भी सुझाव दे सकती है।

यहां पर यह भी उल्लेखनीय होगा कि किन परिस्थितियों के कारण इस समिति का गठन किया गया। संविधान को लागू हुये १६ वर्ष से अधिक व्यतीत हो चुके हैं और इस सचिवालय के भरसक प्रयत्न करने पर भी यहां के अधिकारियों और कर्मचारियों के सम्बन्ध में कोई सेवा नियम नहीं बनाये जा सके और न कोई अधिनियम ही पारित हुआ। समय-समय पर सदन में भी इस सचिवालय के सम्बन्ध में प्रश्न उठाये गये और सरकार ने इस सचिवालय को संविधान की मंशानुसार स्वतंत्रता प्रदान करने के लिये आश्वासन भी दिये। परन्तु कोई ठोस कदम लक्ष्य की प्राप्ति के लिये नहीं उठाया गया। हालांकि केन्द्र और अन्य राज्यों ने इस लक्ष्य को नियम बना कर प्राप्त कर लिया है। सरकार ने वेतन अभिनवीकरण समिति की नियुक्ति की और उसके प्रतिवेदन से यह स्पष्ट था कि इस सचिवालय के कर्मचारियों के प्रति उनके वेतन-क्रमों को निश्चित करने में न्याय नहीं हुआ है और उस अन्याय के निवारण हेतु श्री रामसुन्दर पांडेय सदस्य, विधान सभा ने एक असरकारी प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया और सदन ने उस प्रस्ताव का एक मत से समर्थन किया और अन्त में यह इच्छा प्रकट की कि माननीय अध्यक्ष एक ऐसी समिति का गठन करने का कष्ट करें जो सचिवालय की स्वतंत्रता और उसके कर्मचारियों के वेतनक्रम के सम्बन्ध में सिफारिश करे। संसदीय मंत्री महोदय भी इस सुझाव से सहमत थे। अतः माननीय अध्यक्ष महोदय ने इस समिति का उपरोक्त विषयों पर विचार करने हेतु गठन किया।

(सदन की कार्यवाही से सम्बन्धित उद्धरण के लिये कृपया देखिये परिशिष्ट १)

समिति को अपना कार्य ३ मास के अन्दर पूर्ण करना था। परन्तु कई उच्चाधिकारियों की साक्ष्य लेने एवं जटिल वैधानिक व प्रशासकीय प्रश्नों पर विचार विमर्श करने के लिये अधिक समय की आवश्यकता पड़ी। अतएव, माननीय अध्यक्ष महोदय ने समिति के अनुरोध पर २ मास का समय और बढ़ा दिया।

समिति ने ११ अक्टूबर, १५, १६, १७ नवम्बर, १९६५, ८, ९, १०, २० दिसम्बर, १९६५, ८ व २८ जनवरी, २४ व २५ फरवरी, १९६६ को बैठकें कीं (समिति की बैठकों की कार्यवाहियों के संक्षिप्त विवरण के लिये कृपया देखिये परिशिष्ट २)

समिति के सभापति के आदेशानुसार समिति को निर्दिष्ट किये गये प्रश्नों पर विधान सभा सचिवालय द्वारा एक ज्ञापन (ज्ञापन संख्या १ परिशिष्ट ३) प्रस्तुत किया गया।

दिनांक ११ अक्टूबर, १९६५ की बैठक में समिति ने अपने निर्दिष्ट विषयों पर सामान्य-रूप से चर्चा की।

यह निश्चय किया गया कि संविधान के अन्तर्गत भारतीय संसद् तथा राज्य विधान मंडलों के सचिवालयों की स्थिति एवं कार्य प्रणाली की जानकारी के हेतु संविधान के अनुच्छेद ९८ तथा १८७ के अन्तर्गत निर्मित विधि एवं/अथवा नियमों की प्रतियां तथा तत्संबंधी अन्य सूचना प्राप्त कर ली जाय।

भारत के विधान मंडलों के अधिष्ठाताओं के विभिन्न सम्मेलनों में विधान मंडल सचिवालयों के गठन, स्वतंत्रता इत्यादि के विषयों पर लिये गये निर्णयों तथा इंगलैन्ड के हाउस आफ कामन्स के सचिवालय की पद्धति के बारे में टिप्पणी प्रस्तुत की जाय।

समिति के आदेशानुसार विधान सभा सचिवालय द्वारा तीन ज्ञापन और प्रस्तुत किये, ज्ञापन संख्या २ में भारत के विधान मंडलों के अधिष्ठाताओं के सम्मेलन में विधान मंडल सचिवालयों के गठन के बारे में लिये निर्णयों का उल्लेख है। ज्ञापन संख्या ३ में उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद १८७ के अनुकूल प्रशासकीय मामलों में समय-समय पर लिये गये निर्णयों का ब्योरा दिया गया है तथा ज्ञापन संख्या ४ में इंगलैंड के हाऊस आफ कामन्स, भारत की लोक सभा तथा राज्य सभा सचिवालयों तथा भारत के कतिपय राज्यों के विधान मंडल सचिवालयों के संगठन तथा उनको प्रशासकीय व वित्तीय मामलों में कार्यतालिका से पृथक करने में स्थिति के बारे में सूचना दी गयी है। (ज्ञापन संख्या २, ३ तथा ४७५ के लिये कृपया देखिये परिशिष्ट ४ ७५ तथा ६)

दिनांक १५ नवम्बर, १९६५ की बैठक में समिति ने ज्ञापन संख्या १, २, ३ तथा ४ पर विचार किया और यह निश्चय किया कि उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय के स्वतंत्र रूप से कार्य संचालित करने में होने वाली कठिनाइयों के बारे में पुनः एक ज्ञापन तैयार किया जाय, तदनुसार सचिव, विधान सभा ने समिति के लिये ज्ञापन संख्या ५ (कृपया देखिये परिशिष्ट ७) प्रस्तुत किया।

अपनी १६ नवम्बर, १९६५ की बैठक में भी समिति ने ज्ञापन संख्या १, २, ३, ४ तथा ५ पर विचार किया और निश्चय किया कि ज्ञापनों में उठाये गये प्रश्नों पर एडवोकेट जनरल, मुख्य सचिव, वित्त सचिव, सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, विधायिका विभाग, सचिव विधान परिषद्, सचिव, विधान मंडल तथा सचिव, विधान सभा का साक्ष्य लिया जाय तथा तदर्थ एक प्रश्नावली तैयार की जाय।

समिति ने १६ नवम्बर, १९६५ की बैठक में प्रश्नावली के प्रारूप पर विचार किया और उसे स्वीकार किया (प्रश्नावली के लिये कृपया देखिये परिशिष्ट ८) ज्ञापनों की प्रतियां एवं समिति द्वारा जारी की गयी प्रश्नावली सभी साक्षियों के पास भेजी गयीं।

८ दिसम्बर, १९६५ की बैठक में समिति द्वारा जारी की गयी प्रश्नावली पर विचार किया गया और यह निर्णय हुआ है कि प्रश्नावली के आधार पर मुख्य सचिव और वित्त सचिव से यह जानकारी प्राप्त की जाय कि मुख्य मंत्री व वित्त मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासनों के अनुसार विधान सभा सचिवालय को पूर्णरूप से स्वतंत्र करने में क्या कठिनाई है ?

दिनांक ९ दिसम्बर, १९६५ को समिति ने श्री के० के० दास, मुख्य सचिव तथा श्री वी० एम० भिडे, वित्त सचिव का साक्ष्य लिया। श्री कृष्णचन्द्र पुरी, सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, विधायिका विभाग तथा श्री परमात्माशरण पचौरी, सचिव विधान परिषद का साक्ष्य २० दिसम्बर, १९६५ को लिया गया। श्री कन्हैयालाल मिश्र, एडवोकेट जनरल, श्री कौशलपाल गुप्त, सचिव विधान मंडल तथा श्री देवकीनन्दन मित्थल, सचिव, विधान सभा का साक्ष्य समिति ने ८ जनवरी, १९६६ को लिया (साक्ष्य के लिये कृपया देखिये परिशिष्ट ९)।

समिति ने अपनी दिनांक २८ जनवरी, १९६६ की बैठक में यह निश्चय किया कि एक उप समिति गठित की जाय जो १५ फरवरी, १९६६ तक प्रतिवेदन का प्रारूप प्रस्तुत करे। उस समिति ने १५-२-६६ को प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया, जिसको पूरी समिति ने दिनांक २५-२-६६ की बैठक में संशोधनों सहित पारित किया।

समिति ने भारतीय संविधान सभा की सम्बन्धित कार्यवाहियों तथा सचिव, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत ज्ञापनों व सम्बन्धित पत्रादि का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया और इस निष्कर्ष पर पहुंची कि विधान निर्माताओं ने संविधान में अनुच्छेद १८७ केवल इसी उद्देश्य से रखा था कि विधान मंडलों के सदनों के सचिवालयों को पूर्ण रूप से पृथक रखने के साथ साथ शासन के प्रशासकीय नियंत्रण से भी मुक्त रखा जाय। उनकी यह कदापि मंशा नहीं हो सकती थी कि सदनों के सचिवालय पृथक तो हो किन्तु शासन के प्रशासकीय नियंत्रण में रहें। वैसे तो हर विभाग के कार्यालय अपने सीमित क्षेत्र में कार्य करने के लिये एक सीमा तक स्वतंत्र होते ही हैं। परन्तु वास्तव में स्वतंत्र नहीं माने जा सकते हैं जबकि उनके ऊपर शासन का नियंत्रण किसी न किसी रूप में होता है। यदि संविधान निर्माताओं का सदनों के सचिवालयों को पृथक रखने का तात्पर्य केवल यही होता कि वे प्रशासकीय नियंत्रण से मुक्त न रहे तो इन सचिवालयों के लिये संविधान में अलग से किसी अनुच्छेद १८७ में प्राविधान करने की आवश्यकता न होती और न उस दशा में अनुच्छेद १८७ के अन्तर्गत इनकी सेवाओं के लिये पृथक् से कोई अधिनियम या सेवा नियम बनाने का प्राविधान होता। इसमें कोई दो मत नहीं हो सकते कि इन सचिवालयों के कर्मचारियों को स्वतंत्र रूप से बिना किसी पक्षपात के निर्भीकतापूर्वक सदन की सेवा करना है और यह तभी सम्भव है जब उनके ऊपर सदन के नियंत्रण के अतिरिक्त कोई बाहरी नियंत्रण रहे। यदि ये सचिवालय राज्य के शासन के अंग माने जायें तो इनके कर्मचारी शासन के प्रभाव में रह कर सदन के विरोधी दलों के साथ बिना पक्षपात के सेवा करने में समर्थ नहीं होंगे। इन सब तथ्यों को ध्यान में रख कर समिति इसी निर्णय पर पहुंची है कि सदनों के सचिवालय केवल पृथक ही नहीं होंगे, उन पर प्रशासन का नियंत्रण भी किसी प्रकार से नहीं रहेगा। सचिव, विधायिका विभाग ने अपने साक्ष्य में जो इस सम्बन्ध में मत प्रकट किया है वह समिति की राय में संविधान निर्माताओं की मंशा के विपरीत है।

सदन के कर्मचारियों का कर्त्तव्य सदन के विभिन्न दलों की स्वस्थ जनतांत्रिक परम्पराओं के आधार पर सेवा करना है और सरकारी कर्मचारियों का कर्त्तव्य किसी सीमा तक भिन्न रहता है। उनका कर्त्तव्य तो शासन की नीतियों के अन्तर्गत ही कार्य करना है। सदन के कर्मचारियों को कोई प्रशासनिक कार्य नहीं करना पड़ता है। उनका कार्य केवल सांचविक है जिससे सदन एवं उसकी समितियों की कार्यवाही सुचारुरूप से और निष्पक्षता से सम्पन्न हो सके। उपर्युक्त पृष्ठभूमि को सामने रखते हुये समिति को यह निर्णय करना था कि वर्तमान प्रक्रिया एवं कार्य संचालन विधि को ध्यान में रखते हुये क्या उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय अनुच्छेद १८७ के अभिप्रायों के अनुसार स्वतंत्र कहा जा सकता है। समिति ने इस विषय पर बड़ी गम्भीरतापूर्वक अध्ययन और मनन किया और इस निष्कर्ष पर पहुंची कि वर्तमान प्रक्रियाओं तथा कार्य विधियों को देखने से उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय, अनुच्छेद १८७ के अभिप्रायों एवं प्रयोजनों के अनुरूप स्वतंत्र नहीं है क्योंकि—

(१) अभी तक शासन ने विधान सभा सचिवालय को एक विभागाध्यक्ष का कार्यालय ही मान रखा है, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि वह सरकारी सचिवालय के एक

विभाग (विधायिका) विभागों के प्रशासकीय नियंत्रण में है। वह संविधान की मंशा के विरुद्ध है।

(२) सामूहिक रूप से सदन के कर्मचारियों का स्तर संविधान के अनुसार सचिवालय का स्तर है न कि वैभागिक अध्यक्ष अथवा प्रशासकीय विभाग का। अतः सरकारी सचिवालय क प्रशासकीय नियंत्रण में बने रहना संविधान के उद्देश्यों के अनुकूल नहीं है।

(३) अभी तक जो प्रशासकीय एवं वित्तीय अधिकार माननीय अध्यक्ष अथवा सचिव, विधान मंडल को प्राप्त हैं वे उस प्रकार के अधिकार नहीं हैं जिससे यह कहा जा सके कि अन्तिम निर्णय माननीय अध्यक्ष के हाथ में है। इसका अर्थ यह हुआ कि यहां के कर्मचारी वृन्द आज भी पूर्णरूप से माननीय अध्यक्ष के प्रशासकीय नियंत्रण में नहीं हैं बल्कि उन पर अन्य प्रशासकीय विभाग का दबाव बना रहता है।

(४) वर्तमान समय में विधान सभा में नियुक्तियां, पदाधिकारियों की पदोन्नति, छुट्टी, अनुशासन सम्बन्धी अधिकार, सेवा की शर्तें, वेतन तथा अन्य प्राशासकीय विषयों में सरकार को हस्तक्षेप करने का अधिकार है।

(५) अभी तक सदन की आवश्यकतानुसार सचिवालय में कितने कर्मचारी हों तथा सदन की और क्या आवश्यकतायें हैं, इसका अन्तिम निर्णय करने का अधिकार सरकार को ही है।

(६) अभी तक सदन के आय व्यय को अन्तिम रूप से सदन में किस तरह प्रस्तुत किया जाय, इसका भी अन्तिम अधिकार शासन को ही हैं।

(७) विधान सभा सम्बन्धी जिन विषयों पर संविधान के अनुसार राज्यपाल की आज्ञा अपेक्षित है, वे सभी आज्ञायें अभी तक शासन के प्रशासकीय विभाग द्वारा ही राज्यपाल के नाम पर जारी होती हैं।

उपर्युक्त को देखने से यह बिलकुल स्पष्ट है कि इस समय इस सचिवालय का संचालन संविधान के अनुरूप नहीं हो रहा है।

उक्त निर्णय पर आने के बाद समिति ने इस विषय पर विचार किया कि किन कारणों से यह व्यवस्था अब तक चली आ रही है और अनुच्छेद १८७ के अनुरूप व्यवस्था को लाने में क्या कदम उठाने चाहिये। समिति को यह जान कर बड़ा खेद हुआ कि इस प्रदश के मुख्य मंत्री तथा मंत्रि मंडल के स्पष्ट निर्णयों के बाद भी उन निर्णयों को लागू करने में उसकी गंभीरता, महत्ता और गुरुता को ध्यान में न रख कर सरकारी अधिकारियों ने अन्य सरकारी कार्यों की तरह शिथिलतापूर्वक कार्य किया। समिति इस सम्बन्ध में १ फरवरी, १९५५ को मंत्रिमंडल द्वारा लिये गये निर्णय का उल्लेख करना चाहती है, जो इस प्रकार है:—

".....that as far as possible all administrative and financial powers pertaining to these Secretariats should be delegated to Sri Speaker and Sri Chairman or the Secretary Legislature, as the case may be, subject to the responsibility of the Minister concerned under the constitution. This delegation should be expedited."

[संविधान के अन्तर्गत मंत्री के दायित्व को ध्यान में रखते हुये, जहां तक सम्भव हो सके इन सचिवालयों (विधान सभा एवं विधान विधान परिषद्) के मामलों में सभी प्रशासकीय और वित्तीय अधिकार यथास्थिति, श्री अध्यक्ष, श्री सभापति या सचिव, विधान मंडल को सौंपे जायं। इस कार्य में शीघ्रता की जाय।)

इसके साथ ही साथ समिति भूतपूर्व मुख्य, मंत्री डा० सम्पूर्णानन्द, द्वारा २३ अक्टबर, १९५८ को व्यक्त किये गये निम्नलिखित मत की ओर भी ध्यान आकृष्ट करती है:—

"What is the objection in principle to the practice obtaining in Delhi? There is no escaping the fact that our Speaker and Chairman are very sensitive in the matter of what they consider to be their independence and Delhi will set the pace for all future conventions and rules supposed to be

conducive to such independence. Why not concede gracefully today what will have to be conceded some day in any case.

(Sd.) SAMPURNANAND."

23.10

"दिल्ली (केन्द्र) में प्रचलित प्रथा को अपनाने में सिद्धान्ततः क्या आपत्ति है ? इस बात से बचा नहीं जा सकता कि हमारे अध्यक्ष एवं सभापति उन बातों के बारे में जिन्हें वे अपनी स्वतंत्रता का द्योतक समझते हैं बड़े संवेदनशील हैं । ऐसी परम्पराओं (को स्थापित करने) और नियमों को लागू करने में जो विधान मंडल की स्वतंत्रता के अनुकूल समझी जायें दिल्ली आदर्श होगी । शोभनीय यही होगा कि वह बात इसी समय क्यों न स्वीकार कर ली जाय जो आगे चलकर स्वीकार करनी ही पड़ेगी ।

ह० सम्पूर्णानन्द"

२३-१०

समिति को यह जानकर असंतोष हुआ कि सरकारी सचिवालय के विभागों ने उनकी उपर्युक्त पृच्छा (क्वेरी) का न तो कोई उत्तर ही दिया और न मंत्रिमंडल के उपर्युक्त निर्णय को ही मूर्तरूप दिया । यही नहीं, समय समय पर मंत्रियों द्वारा दोनों सदनों में दिये गये आश्वासनों के विपरीत भी सरकारी सचिवालय के विभाग कार्य करते रहे । इसका कोई संतोषजनक कारण मुख्य सचिव, वित्त सचिव व विधायिका सचिव, समिति के समक्ष अपने साक्ष्य में न बता सके । उन्होंने अपने साक्ष्य में केवल एक ही बात बतायी कि परम्पराओं द्वारा मंत्रिमंडल के निर्णयों को लागू कर दिया गया है । किन्तु वास्तविकता ऐसी प्रतीत नहीं होती जैसा कि समिति ने पैरा २ में कहा है कि आज भी माननीय अध्यक्ष को सारे वित्तीय एवं प्रशासन सम्बन्धी अधिकार प्राप्त नहीं हैं और विधान सभा सचिवालय को सचिवालय का स्तर प्राप्त नहीं है और उसको शासन के विधायिका विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण के काम करना पड़ता है । माननीय अध्यक्ष अथवा उनके पदाधिकारियों को कार्य संचालन में अन्तिम निर्णय के लिये शासन के समक्ष जाना पड़ता है । इसलिये यह कहना कि मंत्रिमंडल के निर्णयों को परम्पराओं द्वारा लागू कर दिया गया है, सत्य से परे है ।

इसके उपरान्त समिति ने इस विषय पर विचार किया कि वर्तमान व्यवस्था को किस प्रकार संविधान के अनुरूप बनाया जाये । इसके लिये जैसा कि समिति ने पहले कहा है, यह आवश्यक है कि (१) माननीय अध्यक्ष को प्रशासकीय तथा वित्तीय अधिकार पूर्णरूप से प्राप्त होने चाहिये और

(२) राज्यपाल के आदेशों को प्रसारित करने का अधिकार इस सचिवालय को होना चाहिये ।

प्रथम बात के ऊपर विचार के समय समिति के सम्मुख दो मत आये । एक मत के अनुसार राज्यपाल विधान मंडल के ही अंग होने के नाते जो भी कार्य करते हैं उसका प्रसारण सदन के अधिकारियों द्वारा ही संविधान के अनुसार हो सकता है । किन्तु विधायिका सचिव ने दूसरा मत समिति के समक्ष यह प्रस्तुत किया कि राज्यपाल सभी कार्य अपने मंत्रिमंडल की सलाह से करते हैं और विधान मंडल के अंग होते हुए भी कोई कार्य अपने मंत्रिमंडल की सलाह के बिना नहीं कर सकते हैं । अनुच्छेद १६६ के अन्तर्गत ही यह सारे कार्य राज्यपाल द्वारा किये जाते हैं । समिति इस तर्क से सहमत तो नहीं है, किन्तु, यदि यह तर्क मान भी लिया जाये तो जिस प्रकार अन्य राज्यों में किया गया है अथवा किया जा रहा है, उसके अनुसार समिति यह समझती है कि निम्न प्रकार एक विज्ञप्ति जारी कर दी जाये तो यह अधिकार सदन के सचिवालय को प्राप्त हो जायेगा :—

"In exercise of the powers conferred by clause (2) of Article 166 of the Constitution of India, the Governor is pleased to make the following rule, namely :

Orders and other instruments made and executed in the name of the Governor shall be authenticated by the signature of Secretary, Additional Secretary, Joint Secretary,Deputy Secretary, Under Secretary or Assistant Secretary to the Government of Uttar Pradesh;

XX XX XX
XX XX XX
XX XX XX

In the case of orders and other instruments relating to the Secretariat or the Vidhan Sabha by its Secretary or Assistant Secretary or."

XX XX XX

[भारत का संविधान के अनुच्छेद १६६(२) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर के राज्यपाल निम्नलिखित नियम बनाते हैं:—

राज्यपाल के नाम पर जारी किये गये और कार्यान्वित किये गये आदेश और अन्य करण उत्तर प्रदेश शासन के सचिव, अतिरिक्त सचिव, संयुक्त सचिव, उप समिति अनु सचिव तथा सहायक सचिव के हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणीकृत किये जावेंगे।

विधान सभा सचिवालय से संबंधित आदेश और अन्य करण विधान सभा के सचिव या सहायक सचिव के हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणीकृत किये जावेंगे।]

समिति यह समझती है कि इसमें कोई मतभेद नहीं है कि इस प्रकार की राजाज्ञा शीघ्र जारी कर दी जाय।

जहां तक माननीय अध्यक्ष को सभी प्रशासकीय एवं वित्तीय अधिकारों को देने का प्रश्न है, समिति का यह निश्चत मत है कि सब अधिकार माननीय अध्यक्ष को प्राप्त हैं। यदि किसी कारणवश यह भी मान लिया जाये कि वे नहीं भी प्राप्त हैं तो अनुच्छेद १८७ (२) के अन्तर्गत विधि बनाकर अथवा १८७ (३) के अन्तर्गत नियम बनाकर यह सब अधिकार मा० अध्यक्ष को अवश्य दिये जाने चाहिये। लोक सभा, राज्य सभा तथा अन्य राज्यों के विधान मंडल के कुछ सदनों में इस प्रकार के नियम बन गये हैं और कुछ में बनाये जा रहे हैं। इसलिये समिति यह समझती है कि लोक सभा की भांति यहां भी तुरन्त नियम बनाकर उनको लागू कर दिया जाना चाहिये। समिति ने लोक सभा तथा अन्य राज्य विधान सभा सचिवालयों के नियमों का अध्ययन करने के उपरान्त एक नियमावली का प्रारूप भी तैयार किया है (परिशिष्ट १०)। इन नियमों में इस बात का प्राविधान किया गया है कि विधान सभा सचिवालय में नियुक्तियां एवं पदोन्नतियां माननीय अध्यक्ष द्वारा लोक सेवा आयोग के परामर्श से की जायेंगी। समिति यह चाहती है कि माननीय अध्यक्ष इस नियमावली को स्वीकार करने के लिये राज्यपाल महोदय से अनुरोध करें और स्वीकार होने के उपरान्त इनको तुरन्त लागू कर दिया जाय। इनके लागू होने पर बहुत सी कठिनाइयां स्वतः दूर हो जायेंगी और सचिवालय के कर्मचारियों में एक स्थिरता एवं निश्चितता की भावना व्याप्त होगी और वे अधिक कुशलता से कार्य कर सकेंगे।

समिति को यह जानकर प्रसन्नता है कि जो अभी तक शैक्षिक योग्यता इस सचिवालय के कर्मचारियों की है वह सरकारी सचिवालय के कर्मचारियों से कुछ उच्च ही है। उदाहरणतया प्रवर वर्ग के कर्मचारियों के लिये इस सचिवालय में ला का स्नातक होना अनिवार्य कर दिया गया है और अवर वर्ग के कर्मचारियों के लिये स्नातक की योग्यता निर्धारित की गयी है। जिन पदों के संबंध में अभी तक योग्यता निर्धारित नहीं की गयी है, उनके लिये नियमों में प्राविधान किया गया है कि माननीय अध्यक्ष लोक सेवा आयोग के परामर्श से इन पदों के लिये योग्यतायें निर्धारित कर दें। समिति चाहती है कि इस प्रकार की योग्यताओं का निर्धारण लोक सेवा आयोग के परामर्श से शीघ्रातिशीघ्र और जहां तक संभव हो ६ मास के अन्दर कर दिया जाय जिससे कमचारीवृन्द में किसी प्रकार की अनिश्चितता की भावना न रह जाय।

समिति का यह निश्चित मत है कि अनुच्छेद १८७ के अन्तर्गत एक अधिनियम तुरन्त पास किया जाना चाहिये, किन्तु जब तक अधिनियम पास न हो, उपर्युक्त नियमावली के स्वीकार हो जाने से कार्य चल सकता है।

एक और प्रश्न जो समिति के समक्ष रखा गया वह इस सचिवालय के आय-व्ययक के संबंध में है। मुख्य सचिव तथा वित्त सचिव ने अपने साक्ष्य में इस बात पर जोर दिया है कि आय-व्ययक को संविधान के अनुसार सदन में प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी उनकी है और वे इस उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं हो सकते। आय-व्ययक को किस प्रकार तैयार किया जाये। किस रूप में उसको सदन के समक्ष लाया जाय, ये सब ऐसे विषय में जो हाउस आफ कामन्स लोक सभा तथा राज्य सभा तथा अन्य राज्यों के विधान मंडलों में किसी न किसी रूप में निर्णीत हो चुके हैं और इस संबंध में कुछ परम्पराएं पड़ चुकी हैं। समिति की राय में इस संबंध में किसी प्रकार की कठिनाई उठने की संभावना नहीं होगी। जहां तक विधान मंडलों के आय-व्ययक का संबंध है, उसमें अधितकर वे रकमें हैं जो सदस्यों के वेतन-भत्ते अथवा अन्य सुविधाओं के लिये हैं, साथ ही माननीय अध्यक्ष एवं माननीय उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते की रकमें हैं। केवल कुछ ही धन सचिवालय के कर्मचारियों से संबंधित है और उसमें भी अधिकतर धन ऐसा है जो स्थायी कर्मचारियों के वेतन से संबंधित है। केवल एक प्रश्न शेष रह जाता है जो समय समय पर कठिनाई उपस्थिति कर सकता है और वह यह कि इस सचिवालय के सुचारुरूप से कार्य संचालन के लिये कर्मचारियों की संख्या क्या हो तथा सदस्यों, समितियों, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को क्या क्या सुविधायें प्राप्त हों ? इन सब के लिये समिति का यह सुझाव है कि एक छोटी सी स्टाफ कमेटी अध्यक्ष के सभापतित्व में गठित की जाय जिसमें वित्त मंत्री तथा सदन की अन्य समितियों के सभापति सदस्य हों और वे समय समय पर बैठकर यह निर्णय लें कि कितने कमचारियों की आवश्यकता है तथा समितियों, सदन, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को क्या क्या सुविधायें प्रदान की जायें ? ठीक इसी प्रकार एक अन्य वित्त समिति माननीय अध्यक्ष के सभापतित्व में ही गठित की जाये, जिसमें वित्त मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री तथा नेता विरोधी दल हों। वह समिति इस सचिवालय से संबंधित आय-व्ययक तैयार करे और वह सामान्य आय-व्ययक में सीधे रख दिया जाये। इस आय व्ययक पर न इस समय परम्परानुसार कोई विवाद होता है और सदन बिना किसी कटौती के इसको स्वीकार कर लेता है। यह प्रथा अब इतनी परिपक्व हो गयी है कि इसमें अब किसी प्रकार की शंका उठाये जाने का औचित्य नहीं रह गया है।

इस प्रकार उपर्युक्त प्रक्रिया को मान लेने में विधान सभा के उत्तरदायित्व का कोई प्रश्न नहीं उठता और न माननीय अध्यक्ष पर ही कोई टीका-टिप्पणी होने की आशंका होगी।

परम्परानुसार अब यह निश्चित है कि माननीय अध्यक्ष अपने कर्मचारिवृन्द के लिये कोई ऐसे वेतन की मांग नहीं करते जो उसी पद के समकक्ष सरकारी सचिवालय के पद के वेतन के समान न हो।

किन्तु समिति यह समझती है कि विधान सभा सचिवालय के कर्मचारियों को किसी अन्य विभाग अथवा अन्य पदों पर सेवा का अवसर नहीं मिलता और इस कारण इस सचिवालय के कर्मचारियों में उत्साह की कमी की आशंका हो सकती है। इसलिये यह समिति समझती है कि उनके रिटायर होने का समय और अवकाश प्राप्ति के बाद मिलने वाली पेंशन इस प्रकार की निर्धारित की जाय जिससे अत्यन्त कुशल कर्मचारी इस सचिवालव में कार्य करने के लिये उद्यत् हों।

वित्त मंत्री इस प्रकार बनाये गये आव-व्ययक पर टीका टिप्पणी न करके उसे ऐसे ही सदन में प्रस्तुत कर देते हैं और सदन बिना किसी विवाद के उसको स्वीकार कर लेता है। अब इस संबंध में केवल यह प्रश्न विचारणीय रह जाता है कि यदि कोई पद विधान सभा सचिवालय

का सरकारी सचिवालय के अनुरूप न हो अथवा विधान सभा में कोई ऐसा पद हो जिसके समकक्ष सरकारी सचिवालय में कोई पद न हो तो उसका क्या वेतन-क्रम निर्धारित किया जाय इसका निर्णय बताई गयी वित्त समिति कर सकेगी, ऐसा समिति का सुझाव है।

समिति श्री कौशल पाल गुप्त, सचिव, विधान मंडल तथा श्री देवकी नन्दन मित्थल सचिव, विधान सभा के प्रति आभार प्रकट करती है। उन्होंने समिति के कार्य को सुचारुरूप से निष्पादित करने और प्रतिवेदन तैयार करने में बड़ी सहायता की।

समिति श्री कन्हैया लाल मिश्र, महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश, श्री के०के० दास, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, श्री वी०एम० भिड़े, तत्कालीन वित्त सचिव, श्री के० सी० पुरी, विधि परामर्शी तथा श्री परमात्मा शरण पचौरी, सचिव, विधान परिषद् के प्रति भी आभार प्रकट करती है, जिन्होंने समिति के समक्ष उठे जटिल प्रश्नों के संबंध में अपनी बहुमूल्य सम्मतियां देकर समिति को लाभान्वित किया।

होतीलाल अग्रवाल,
सभापति,
विधान सभा सचिवालय, पुनस्संगठन समिति,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊः
दिनांक २५ फरवरी, १९६६।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—२३३ एल० ए०—१९६६—८६२।